Thursday, 05 March, 1964

599
9.6.64

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

Preservation Unit.
Fumigated
On 21-5-42
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड २६ में अंक ११ से २० तक हैं
Vol. XXVI contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contain Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

अंक १९—गुरुवार, ५ मार्च, १९६४ / १५ फाल्गुन, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
***तारांकित प्रश्न संख्या**		
४३९	नागपुर में आसंचित सोने का पकड़ा जाना	१४४७—५०
४४०	पश्चिम बंगाल में बिजली का उत्पादन	१४५०—५१
४४१	कैंसर	१४५१—५४
४४२	यात्रियों की निकासी सम्बन्धी प्रक्रिया	१४५५—५६
४४३	गृह-निर्माण, सम्बन्धी नियम	१४५६—५८
४४४	जीवन बीमा निगम की विनियोजन योग्य निधियां	१४५८—६०
४४५	कलकत्ता नेशनल बैंक लिमिटेड	१४६०—६१
४४६	पिछड़े क्षेत्र	१४६२—६४
४४८	सिगरेट से राजस्व	१४६४—६६
४४९	राज्य विद्युत् बोर्ड	१४६६—६८
४५०.	क्षय-रोधी औषधियों की कमी	१४६८—७२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
५	महलनोबिस समिति की रिपोर्ट	
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
४४७	दक्षिणी राज्यों के लिये जोनल विद्युत् ग्रिड	१४७२—७३
४५१	मूल्यों में वृद्धि	१४७३
४५२	कर अपवंचन सम्बन्धी अमरीकी विशेषज्ञ	१४७३
४५३	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान	१४७४
४५४	विस्थापित व्यक्तियों के लिये पुनर्वास सुविधायें	१४७४
४५५	बर्ड एण्ड कम्पनी	१४७५

*किसी नाम पर अंकित यह+चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 19.— Thursday, March 5, 1964/Phalguna 15, 1885 (Saka)

Oral answers to questions

**Starred Questions Nos.*	Subject	Pages
439	Seizure of Hoarded Gold in Nagpur	1447—50
440	Power Production in West Bengal	1450—51
441	Cancer	1451—54
442	Clearance Procedure	1455—56
443	House-Building Rules	1456—58
444	Investible Funds of LIC	1458—60
445	Calcutta National Bank, Ltd.	1460—61
446	Backward Areas	1462—64
448	Revenue from Cigarettes	1464—66
449	State Electricity Boards	1466—68
450	Shortage of Anti-T.B. Drugs	1468—72
Short Notice Question No.		
5	Mahalanobis Committee Report	

Written answers to Questions

Starred Questions Nos.		
447	Zonal Power Grid for Southern States	1472—73
451	Rise in Prices	1473
452	U.S. Expert on Tax Evasion	1473
453	Accommodation for Central Government Employees	1474
454	Rehabilitation Facilities for D.Ps.	1474
455	Bird & Co.	1475

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित
प्रश्न संख्या

४५६	बेतर नाले की जांच	१४७५
४५७	"बैंक आफ चाइना"	१४७६
४५८	दिल्ली में सजावटी बाग	१४७६
४५९	बिजली की दरें	१४७७
४६०	निधि का व्ययवर्तन	१४७७—७८

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८८४	औद्योगिक कर्मचारियों में साक्षरता के लिए तालिका	१४७८
८८५	व्यास बांध	१४७८—७९
८८६	मेडिकल कालिज	१४७९
८८७	वित्त मंत्रालय में समितियां	१४८०
८८८	आन्ध्र प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	१४८१
८८९	आन्ध्र प्रदेश में गांवों में मकान बनाने की योजना	१४८१
८९०	केन्द्रीय सचिवालय, नयी दिल्ली	१४८१—८२
८९१	जीवन बीमा निगम द्वारा सामान्य बीमा	१४८२
८९२	जीवन बीमा निगम	१४८२—८३
८९३	गैर-परियोजना सहायता	१४८३
८९४	नेवेली और ओबरा तापीय बिजलीघर	१४८३—८४
८९५	श्रमजीवी महिलाओं के लिये आवास-स्थान	१४८४
८९६	करेंसी नोटों का विरूपण	१४८४—८५
८९७	ग्रामीण गृहणियों द्वारा बचत	१४८५
८९८	दण्डकारण्य में कृषि वस्तुओं का उत्पादन	१४८५
८९९	बहरापन	१४८५—८६
९००	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को श्रवण यंत्र	१४८६
९०१	केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में विशेष विभाग	१४८६
९०२	नगर आयोजन	१४८६—८७
९०३	तेवरा ढाल	१४८७
९०४	बिजली की खपत	१४८८
९०५	ग्राम्य आवास योजनायें	१४८८
९०६	चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान	१४८९

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Starred Questions Nos.	Subject	Pages
456	Inspection of Betar Nullah	1475
457	Bank of China	1476
458	Ornamental Gardens in Delhi	1476
459	Power Rates	1477
460	Diversion of Funds	1477—78
Unstarred Questions Nos.		
884	Panel for Literacy among Industrial Workers	1478
885	Beas Dam	1478—79
886	Medical Colleges	1479
887	Committees in Ministry of Finance	1480
888	Primary Health Centres in Andhra Pradesh	1481
889	Rural Housing Schemes in Andhra Pradesh	1481
890	Central Secretariat, New Delhi	1481—82
891	General Insurance by L.I.C.	1482
892	L.I.C.	1482—83
893	Non-Project Assistance	1483
894	Neyveli and Obra Thermal Power Stations	1483—84
895	Accommodation for Working Girls	1484
896	Disfiguring of Currency Notes	1484—85
897	Savings by Rural Households	1485
898	Production of Agricultural Commodities in Dandakaranya	1485
899	Deafness	1485—86
900	Hearing Aids for Central Government Employees	1486
901	Special Departments under Central Government Hospitals	1486
902	City Planning	1486—87
903	Tewra Dal	1487
904	Power Consumption	1488
905	Rural Housing Schemes	1488
906	Research in Medical Science	1489

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
९०७	गंगा नदी का सर्वेक्षण	१४८९
९०८	निर्यात-आयात बैंक से ऋण	१४९०
९०९	अतिश्वेतरक्तता के लिये औषधि . . .	१४९०
९१०	हृदय रोग	१४९१
९११	कोठागुडम तापीय संयंत्र	१४९१
९१२	सीमा-शुल्क विभाग द्वारा जब्त की गई तिब्बती ऊन .	१४९१
९१३	लाहोल और स्पिती जिलों में विद्युत् स्टेशन . .	१४९२
९१४	ग्राम्य जल सम्भरण अग्रिम परियोजनायें . .	१४९२
९१५	परिवार नियोजन . . .	१४९४
९१६	दन्त स्वास्थ्य सेवा . . .	१४९४
९१७	तपेदिक नियंत्रण	१४९४—९५
९१८	कलकत्ता में प्राकृतिक चिकित्सा का अखिल भारतीय कालिज	१४९५
९१९	बम्बई में तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारी .	१४९५—९६
९२०	उड़ीसा सरकार के लेखों की लेखा-परीक्षा	१४९६
९२१	उपभोक्ता सामग्री उद्योग . . .	१४९६
९२२	बारापुल्ला नाले का पुल	१४९६—९७
९२३	राज्यों को आवंटन .	१४९७
९२४	भविष्य निधि पर ब्याज .	१४९८
९२५	पंजाब में सिंचाई योजनायें . . .	१४९८
९२६	उल्हासनगर (महाराष्ट्र) में विस्थापित व्यक्तियों के लिये जमीन	१४९८
९२७	टर्नर, मोरिस एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	१४९८—९९
९२८	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम . . .	१४९९
९२९	त्रिपुरा का विकास . . .	१५००
९३०	हिमाचल प्रदेश में विद्युत् विकास . . .	१५००—०१
९३१	पूर्व पाकिस्तान से विस्थापित तपेदिक के रोगी	१५०१
९३२	दिल्ली में बिजली की करैन्ट	१५०१
९३३	सिंचाई योजनायें	१५०१
९३४	एस्टेट अफसरों द्वारा तय किये गये मामले . .	१५०२
९३५	पट्टे पर दिये गए प्लाट . . .	१५०२

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Questions Nos.	Subject	Pages
907	Survey of Ganga River	1489
908	Loan from Export-Import Bank	1490
909	Drug for Leukaemia	490
910	Heart Diseases	1491
911	Kothagudam Thermal Plant	491
912	Tibetan Wool Confiscated by Customs	1491
913	Power Stations in Lahaul and Spiti Districts	1492
914	Rural Water Supply Pilot Projects	1492
915	Family Planning	1494
916	Dental Health Service	1494
917	T. B. Control	1494—95
918	All India College of Naturopathy at Calcutta	1495
919	Arrest of Smugglers in Bombay	1495—96
920	Auditing of Orissa Government's Accounts	1496
921	Consumer Products Industry	1496
922	Barapulla Nallah Bridge	1496—97
923	Allocations to States	1497
924	Interest on Provident Fund	1498
925	Irrigation Schemes in Punjab	1498
926	Plot for D.Ps. in Ulhasnagar (Maharashtra)	1498
927	Turner, Morris and Co. Ltd., Calcutta	1498—99
928	National Malaria Eradication Programme	1499
929	Development of Tripura	1500
930	Power Development in Himachal Pradesh	1500—01
931	Displaced T. B. Patients from East Pakistan	1501
932	Electric Current in Delhi	1501
933	Irrigation Schemes	1501
934	Cases decided by Estate Officers	1502
935	Plots given on Lease	1502
936	Small-Pox Eradication	1502—03

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
९३६	चेचक उन्मूलन	१५०२—०३
९३७	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियां	१५०३
९३८	गुजरात में ग्रामीण जल सम्भरण	१५०३
९३९	विदेशी विनियोजन	१५०३—०४
	दिनांक २८ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७३ के उत्तर में शुद्धि	
सभा पटल पर रखा गया पत्र		१५०४
कार्य मंत्रणा समिति		
	पच्चीसवां प्रतिवेदन	१५०५—०६
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा		१५०६
	श्री विश्वनाथ पाण्डेय	१५०६—०७
	श्री के० दे० मालवीय	१५०७—०९
	डा० राम मनोहर लोहिया	१५०९—१२
	श्री हेडा	१५१२—१३
	श्री नि० चं० चटर्जी	१५१३—१४
	श्री बसुमतारी	१५१५—१६
	श्री दे० द० पुरी	१५१६—१७
	श्रीमती यशोदा रेड्डी	१५१७—१९
	श्री मनोहरन	१५१९—२०
	श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	१५२०—२३
	महाराजकुमार विजय आनन्द	१५२३—२४
	श्री राम सहाय पाण्डेय	१५२४—२५
	श्री मानवेन्द्र शाह	१५२५—२६
श्री स्वैल द्वारा आसाम की पुलिस के बारे में कही गई कुछ बातों के बारे में वक्तव्य		१५२६—२८
	श्री नन्दा	१५२८

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Questions Nos.	Subject	Pages
937	C.G.H.S. Dispensaries	1503
938	Rural Water Supply in Gujarat	1503
939	Foreign Investment.	1503—04

Correction of Answer to Unstarred Question No. 773 dated 28th November, 1963.

Paper laid on the Table 1504

Business Advisory Committee—

Twenty-fifth Report . . . . 1505—06

General Budget, 1964-65—General Discussion 1506

Shri Vishwa Nath Pandey . . . . 1506—07

Shri K. D. Malaviya . . . . 1507—09

Dr. Ram Manohar Lohia . . . . 1509—12

Shri Heda . . . . 1512—13

Shri N. C. Chatterjee . . . . 1513—14

Shri Basumatari . . . . 1515—16

Shri D.D. Puri. . . . . 1516—17

Shrimati Yashoda Reddy . . . . 1517—19

Shri Manoharan . . . . 1519—20

Shrimati Tarkeshwari Sinha . . . . . . 1520—23

Maharajkumar Vijaya Ananda . . . . . . 1523—24

Shri R.S. Pandey . . . . 1524—25

Shri Manabendra Shah . . . . 1525—26

Statement re: certain observations made by Shri Swell about Assam police . . . . 1526—28

Shri Nanda 1528

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, ५ मार्च, १९६४ / १५ फाल्गुन, १८८५ (शक)
Thursday, March 5, 1964/Phalguna 15, 1885 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए}
{**Mr. Speaker** in the Chair}

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नागपुर में आसंचित सोने का पकड़ा जाना

+

*४३९ {**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदीः**
{**श्री हरि विष्णु कामत :**

क्या वित्त मंत्री २१ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गा प्रसाद, जिनके स्थान से आसंचित सोना पकड़ा गया था, के मामलों के सम्बन्ध में अन्य किन स्थानों पर तलाशियां ली गई हैं ;

(ख) क्या जांच पूरी हो गई है ; और

(ग) क्या कार्यवाही की गई है तथा आरोप किस प्रकार के हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकश्वरी सिन्हा) : (क) बम्बई, दिल्ली, गोआ, जयपुर, कैम्पटी, टुमसर और विशाखापटनम में श्री श्रीराम दुर्गा प्रसाद और उनके रिश्तेदारों तथा व्यापार सहयोगियों के स्थान की तलाशियां ली गई थीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) कुछ दस्तावेज पकड़े गये हैं परन्तु इन पक्षों के प्रार्थना पत्र पर महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये रोधन आदेशों के कारण उनकी छानबीन करना संभव नहीं हो पाया है । महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय द्वारा अपना रोधन आदेश वापिस ले लिये जाने पर पिछले सप्ताह छानबीन पुनः आरम्भ की जा रही है । तथापि इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि आरोप किस प्रकार के हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवे ी: माननीय उपमंत्री कहते हैं कि जांच पूरी नहीं हुई है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कागजों से कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिन से वह महसूस करते हैं कि और तलाशियां तथा अग्रेतर जांच आवश्यक है या सरकार के कब्जे में जो दस्तावेज हैं उन की पड़ताल नहीं की गई है ? वास्तव में इसका अर्थ क्या है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जैसाकि मैंने कहा, जब जांच चल रही थी उन्होंने महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के नागपुर बेंच को तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को भी एक लेख भेजा और रोधन आदेश प्राप्त कर लिया। जैसाकि मैंने अपने मूल उत्तर में बताया है, केवल पिछले ही सप्ताह वे कागज मुक्त किये गये हैं। वे कागज उच्च न्यायालयों के पास थे और अब उन की पड़ताल की जा रही है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैंने यह पूछा था कि क्या इस मामले में जांच पूरी नहीं हुई है अथवा उच्च न्यायालय के रोधन आदेश के कारण बरामद हुए कागजों को देखना संभव नहीं था। इसका वह उत्तर नहीं दे रही हैं।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : स्थिति इस प्रकार है। न्यायालय बीच में आ गए हैं। उन्होंने एक रोधन आदेश जारी कर दिया। अब उसे वापिस ले लिया गया है। परन्तु एक अन्य उच्च न्यायालय में एक और मामला भी लम्बित है और संभव है यह मुझे बताया गया है, कि वे सर्वोच्च न्यायालय में जा रहे हैं। इसलिए जब तक स्थिति स्पष्ट न हो जाय आवश्यक है कि अग्रेतर जांच रुक जायेगी। इस समय हम इतना ही कह सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी: क्या यह सच नहीं है कि उच्च न्यायालय को भेजे गये मामले के इलावा भी कुछ दस्तावेज़ ऐसे पकड़े गये हैं जिन से पता चलता है कि न केवल विदेशी मुद्रा का उल्लंघन किया गया है बल्कि सोने के अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापारियों के बीच, जो इस फर्म से संबंधित हैं, एक षड्यंत्र भी है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अध्यक्ष समझ सकते हैं कि जब तक जांच पूरी न हो जाये और न्यायालय निर्णय न कर दे हम सदा यही कहते हैं कि यह एक अभिकथित अपराध है। इस समय मैं साफ साफ कह सकने की स्थिति में नहीं हूं कि यह सच है या नहीं क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिस का अन्ततः न्यायालयों ने फैसला करना है। हम तो केवल जांच के ब्योरे तथा उसकी प्रगति के बारे में ही बता सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी: एक शपथपत्र दर्ज किया गया है। क्या वह नहीं बता सकते कि . . .

अध्यक्ष महोदय: जांच चल रही है इसलिए नहीं बताया जा सकता।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी: आरोप कैसे हैं यह चाहे वह न बतायें।

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी बात की जांच हो रही है तो वे कैसे बता सकते हैं कि अब तक की जांच से क्या पता चला है क्योंकि उसका बाद की जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी: परन्तु उच्च न्यायालय में एक शपथपत्र दर्ज करवाया गया है जिस में बताया गया है कि आरोप कैसे हैं। उत्पादन शुल्क के पर्यवेक्षक ने एक शपथपत्र दर्ज किया है जिस में कहा है कि इस फर्म के विरुद्ध ये आरोप हैं। सरकार ने जो शपथपत्र दर्ज किया है उसमें क्या लिखा गया है क्या वे इतना नहीं बता सकते ? वह तो सार्वजनिक दस्तावेज है।

अध्यक्ष महोदय : तब तो वह माननीय सदस्य के ध्यान में भी आया होगा ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वह अलग बात है । मैं जानता हूं कि एक शपथपत्र दर्ज किया गया था ।

अध्यक्ष महोदयः क्या यह ब्यौरा देना संभव है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारीः मामले का ब्यौरा हमने मांगा नहीं है । क्या किया जा रहा है, अपराध कैसे हैं, हम तो मोटे तौर पर ही जानते हैं क्योंकि हमारे लिये यह सन्देह करने का कोई कारण नहीं है कि इस जांच को करने वाले अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं । जहां तक ब्योरे का सम्बन्ध है, मैं कह नहीं सकता, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता क्योंकि हम ने दस्तावेज भेजने के लिये नहीं कहा है । जब तक दस्तावेज मेरे पास न हों मैं कुछ और नहीं कह सकता ।

श्री हरि विष्णु कामत क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमा शुल्क विभाग ने लेख कार्यवाही में महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के नागपुर बेंच के सम्मुख जो शपथपत्र दर्ज करवाया था, जिसका कि मेरे माननीय सहयोगी ने उल्लेख किया है, उसमें न केवल इन कुरीतियों को आरोपित किया गया है बल्कि कतिपय मंत्रियों और बड़े अधिकारियों के नाम भी दिए गए हैं ; यदि हां, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए क्या सरकार इस मामले को एक साधारण मजिस्ट्रेट के हाथ में न छोड़ कर शीघ्र ही एक विशेष न्यायाधिकरण नियुक्त करने का विचार रखती है ताकि इसका जल्दी से निबटारा हो सके ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : पहली बात यह है कि मुझे किसी मंत्री के नाम का उल्लेख किये जाने की कोई जानकारी नहीं है । दूसरी यह कि यह एक साधारण अपराध है और एक साधारण न्यायालय साधारण ढंग से इसका फैसला करेगा । सरकार का इसमें एक ही हित है कि न्याय पूरी तरह से हो . . . . (**अन्तर्बाधायें**)

श्री रंगा : आप जरा जोर से क्यों नहीं बोलते हमारे लिये उत्तर का समझना कठिन हो जाता है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : स्पष्ट है कि माननीय सदस्य की तरह मुझे भाषण देने का प्रशिक्षण नहीं मिला है । मैं कह रहा था कि सरकार की इस मामले में सिवाय इसके कोई और रुचि नहीं है कि कानून तोड़ने वालों को दंड दिया जाय । माननीय सदस्यों को लेशमात्र भी सन्देह नहीं होना चाहिये . . . . . (**अन्तर्बाधायें**)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : एक न्यायाधिकरण क्यों न नियुक्त कर दिया जाय ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारीः माननीय सदस्य मेरी बात सुनते क्यों नहीं ? इस तरह के मामले में जो करना चाहिये सरकार का उससे ज्यादा कुछ और करने का इरादा नहीं है । माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि इस तरह के मामलों में लोग अदालत में जाते हैं और आदेश ले लेते हैं । इस से जांच में गतिरोध आ जाता है । अब जबकि इसे वापिस ले लिया गया है, जब तक मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय में न जाय और वह कोई रोधन आदेश जारी न करे, मामले को तेजी से निबटाया जायेगा, विशेषतः जबकि माननीय सदस्य इसमें रुचि रखते हैं । मामले को शीघ्रता से निबटाने के लिये मैं अपने अधिकारियों को हिदायतें दे दूंगा, हिदायतें तो मैं दे सकता हूं परन्तु वह भी इस बात पर निर्भर करेगा कि अन्त में न्यायालय क्या करेंगे ।

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि इस मामले को दिसम्बर, १९६२ में उठाया गया था और फिर जून, १९६३ में एक शपथपत्र दिया गया था लेकिन अभी तक जांच ही चल रही है ? क्या हम मंत्री महोदय के इस वक्तव्य को गंभीरतापूर्वक लें कि जानबूझ कर देर नहीं की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यही कहा है। यदि न्यायालय बीच में आ जाते हैं और एक याचिका लेख दर्ज किया जाता है और उस में समय लगता है तो क्या किया जाय ? हाल ही में इसे वापिस लिया गया है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : बीच की अवधि में उन्होंने जांच पूरी क्यों नहीं की ? दिसम्बर, १९६२ में वित्त मंत्रालय को इस बारे में बताया गया था परन्तु तलाशी सितम्बर, १९६३ में ली गई थी।

श्री त्यागी : क्या मैं जान सकता हूं कि कितना सोना पकड़ा गया ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : २५८६.७ ग्राम सोना और सोने के आभूषण।

श्री शिव नारायण : जांच कौन कर रहा है और उस का अधिकार क्या है ? क्या यह भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं; एक सरकारी अधिकारी जांच कर रहा है, हो सकता है नागपुर में।

पश्चिम बंगाल में बिजली का उत्पादन

+

*४४०. { **श्री यशपाल सिंह:**
श्री भी० प्र० यादव:
श्री धवन:
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री सुबोध हंसदा
श्री म० ला० दिवेदी : }

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य में अतिरिक्त बिजली के उत्पादन पर आने वाली लागत को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर संघ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) किस प्रकार की सहायता मांगी गई है और केन्द्र ने कितनी सहायता देने का आश्वासन दिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) योजना के अन्तर्गत स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय सहायता मांगी थी।

(ख) और (ग). १९६३-६४ में ३ करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ आवंटन मांगा गया था। वह स्वीकृत कर लिया गया है।

Shri Yashpal Singh : Is the Govt. in a position to say whether our power production would be in Surplus or deficit by the end of the Third Five Year Plan ?

डा० कु० ल० राव : तीसरी योजना के अन्त में आशा है कि बंगाल क्षेत्र में ८१ मेगावाट अतिरिक्त बिजली होगी ।

Shri Yashpal Singh : How much of it would be given to agriculture and industry separately ?

डा० कु० ल० राव : ठीक आंकड़े बताना संभव नहीं है; परन्तु कृषि सम्बंधी सारी आवश्यकतायें पूरी की जायेंगे ।

श्री भगवत झा आजाद : अतिरिक्त बिजली पैदा करने के लिये अनुदान देने के अलावा क्या इसके वितरण हेतु पारेषग लाइनों के लिये बराबर का अनुदान दिया जाता है अन्यथा बिजली पैदा तो होगी परन्तु पारेषण लाइनों के न होने के कारण उसका उपयोग नहीं हो पायेगा जैसा कि बिहार के पड़ौसी राज्य में होता है ।

डा० कु० ल० राव : उसकी व्यवस्था कर दी गई है ।

श्री सुबोध हंसदा : इस बात को देखते हुये कि पश्चिम बंगाल में बिजली की कमी के कारण छोटे पैमाने के बहुत से उद्योगों को बिजलो नहीं मिल सकी है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वर्तमान स्वोकृत राशि के साथ पश्चिम बंगाल सरकार इस कमी को दूर कर सकेगी ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैंने कहा, दो वर्षों में फालतू बिजली हो जायेगी ; विद्युत एकक बढ़ाये जा रहे हैं और आशा है कि १९६४ में बिजली काफी ज्यादा हो जाएगी तथा १९६५ के अन्त तक तोसरी पंचवर्षीय योजना मे जितनी आवश्यक चीजें लक्षित हैं वे सब पूरी हो जायेंगी और उसके बाद कोई अभाव नहीं रहेगा ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में हल्दिया पत्तन के लिये बहुत अधिक बिजली की जरूरत पड़ेगी तथा क्या पश्चिम बंगाल ने इसके लिये अतिरिक्त सहायता की मांग की है ?

डा० कु० ल० राव: तीसरी योजना में अतिरिक्त बिजली के लिये कोई और प्रार्थना नहीं आई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो कुछ मांगा था स्वीकृत कर लिया गया था और उसकी व्यवस्था कर दी गई है। सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं तथा तीसरी योजना में ही उन्हें कार्यान्वित कर दिया जायेगा ।

कैंसर

\+
*४४१. { **श्री यशपाल सिंह:**
श्री श्रीनारायण दास:
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हरि विष्णु कामत : }

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रारम्भिक अवस्था में कैंसर पर काबू पाने के लिये क्या कोई विशिष्ट अनुसंधान किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय विशेषज्ञों के क्या विचार हैं ; और

(ग) भारत में उन संस्थाओं तथा संगठनों के क्या नाम हैं जो कैंसर के निदान तथा उपचार के बारे में अनुसंधान कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) (क) और (ख). कैंसर को प्रारंभिक अवस्थाओं के उपचार के लिए इंडियन कैंसर सोसायटी, बम्बई, बहिर्गोय कोशिकाविज्ञान[1] जैसी नई विधियों का विकास कर रही है।

(ग) १. भारतीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र बम्बई।

२. चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता।

३. कैंसर संस्था, मद्रास।

४. रेडियम अनुसंधान संस्था, हैदराबाद।

५. पैथोलाजी विभाग, एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा।

६. टाटा मैमोरियल हस्पताल, बम्बई।

Shri Yashpal Singh: May I know what Government is spending on the diagonis and treatment of cancer separately?

डा० द० स० राजू: जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बंध है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने अधिकतर अनुसंधान के लिये लगभग १५ लाख रुपया खर्च किया है।

Shri Yashpal Singh: Is it a act that no aid has so far been taken from Ayurveda in this connection? If so, when do Govt. propose to do so?

डा० द० स० राजू: जहां तक आयुर्वेद का सम्बंध है, मैं समझता हूं कि इसकी उपयोगिता के बारे में देने योग्य अधिक जानकारी नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत: क्या यह सच नहीं है कि बहुत से वास्तविक चिकित्सा वैज्ञानिक ऐसा सोचने लगे हैं कि कैंसर मानव शरीर को स्वयं विषकता[2] का अन्तिम परिणाम है—हाल ही मे इस विषय पर कुछ पुस्तकें भी छापी गई हैं—और इसलिये कोई भी इलाज करने से पहले सबसे आवश्यक बात विकिरण तथा चाकू से बचना है न दोनों से दूर रहना चाहिये—विकिरण और सर्जन का चाकू।

डा० द० स० राजू: कैंसर होने के कई कारण हैं। मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक लेख से, जो हाल ही में, दिसम्बर, १९६३ में प्रकाशित हुआ था, उद्धृत करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि कैंसर अनेक अतिरेकों से हो सकता है ; अधिक खाने से, अधिक धूम्रपान करने से और अधिक मदिरा पीने से।

कुछ माननीय सदस्य: बहुत बातें करने से। (अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय: मैं पूछता कि क्या बहुत बोलने से भी ?

श्री त्यागी: श्री कामत सभा में कैंसर हैं।

[1]Exfoliatine Cytology. [2]Auto-in toxication.

श्री हरि विष्णु कामत : यह बहुत आपत्तिजनक है। मेरे विचार में वह यहां अधिक बड़े कैंसर (मुंह की बीमारी) हैं ; उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहियें। अब श्रीमान्,मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। इस सुझाव के लिए हम आपके आभारी हैं क्योंकि मैं समझता हूं कि यह सर्वज्ञात है कि श्री राम कृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था और कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों की यह राय थी कि शायद लगातार उपदेश देने और भाषण करने से ऐसे लक्षण पैदा हो गए हैं—(हंसी)—यह कोई हंसी को बात नहीं है। मेरा प्रश्न उस दिशा में नहीं था और माननीय मंत्री ने प्रश्न का बिल्कुल उत्तर नहीं दिया है। प्रश्न यह था कि क्या हाल हो में यह विचार जोर पकड़ रहा है कि स्वयं विषात्तता से, शरीर की विषाकतता से—रक्त विषाकतता आदि से—कैंसर होता है और क्या आज बहुत से डाक्टरों का यह विचार है कि साधारण शल्य चिकित्सा और विकिरण कैंसर का कोई इलाज नहीं है। यह मेरे प्रश्न का दूसरा भाग था।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य औचित्य प्रश्न उठाना चाहते थे। मैं अभी तक उसे समझ नहीं पाया हूं। (हंसी) मैं हंस नहीं रहा हूं। मैं इस बारे में बड़ा गम्भीर हूं। पहली बात यह है कि केवल बीच मे टोकने के लिये ही माननीय सदस्य औचित्य प्रश्न न उठाया करें। मेरी उन से अपील है कि कम से कम प्रश्नकाल में प्रत्येक सैकेंड को बचाया जाना चाहिये। मैं एक विनम्र सुझाव देना चाहता हूं : प्रश्न इतना दार्शनिक तकनीकी और वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए कि मेरे लिये भी उसे समझना मुश्किल हो जाए। मैं केवल उसे समझने में अपनी असमर्थता प्रकट कर रहा हूं। समझना मुश्किल हो जाता है। यदि प्रश्न सरल शब्दों में हो जिस साधारण समझ-बूझ वाला व्यक्ति भी समझ सकता हो तो अधिक तेजी से काम कर सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : तब इस प्रश्न को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Even foreign doctors are of the opinion that cancer is caused by chewing, smoking and snuffing tobacco, would Government impose any restriction on it.

डा० द० स० राजू : जैसा कि मैंने कहा है, कैंसर होने के कई कारण हैं। उनमे से लगातार तम्बाकू खाते रहने से होने वाला सतत क्षोभ आदि भी हो सकता है। परन्तु इसे भली भांति प्रमाणित नहीं किया गया है। इसलिये इस पर प्रतिबंध लगाने के लिये हम कोई विधान नहीं ला सकते।

श्री कपूर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विशिष्ट अनुसंधान के प्रयोजन के लिये, जिसे करने का अब विचार हो रहा है,ऐसा अनुमान है कि उपकला कोशिकाओं[1] का प्रारंभिक अव्यवस्थित विकास केवल बाधक कारणों से होता है अथवा यह शारीरिक कारणों से भी हो सकता है ?

एक माननीय सदस्य : वह डाक्टर हैं ?

श्री कपूर सिंह: मैं डाक्टर तो नहीं हूं परन्तु यह एक ऐसा प्रश्न है जो एक समझदार व्यक्ति पूछना चाहेगा।

डा० द० स० राजू : यह बहुत ही आधारभूत प्रश्न है। हम नहीं जानते कि सामान्य कोशिकायें दुर्दम्य क्यों हो जाती हैं। हम इसको जांच करने को कोशिश कर रहे हैं। कभी विषाणु इसका कारण बताये जाते हैं और कभी सतत क्षोभ। कई कारण बताये जाते हैं परन्तु अभी तक कोई अन्तिम फैसला नहीं हो पाया है।

[1]Epithelial cells.

2553(ai)LSD—2.

Shri M. L. Verma : Doctors are of the opinion that smoking is the cause of cancer. Is Govt. considering to frame some legislation on rules in order to strictly prevent smoking among the youth so that this disease may not be caused ?

डा० द० स० राजू: धूम्रपान एक सामाजिक आदत है और विधान द्वारा इसे पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता। यह जानते हुये भी कि यह बुरी चीज है कई बुद्धिजीवी धूम्रपान करते हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या पिछले दो या तीन वर्षों में कैंसर का रोग बहुत तेजी से बढ़ता जाता है और यदि हां तो क्या इसके विशिष्ट कारणों का पता लगाने के लिये कोई अनुसंधान किया गया है ?

डा० द० स० राजू : रोग बढ़ा नही है बल्कि इलाज के तरीकों में सुधार आया है और अधिक रोगियों का इलाज हुआ है। एक सर्वेक्षण से पता चला था कि बम्बई नगर में १००,००० लोगों में ७५ रोगी होते हैं ।

श्री बी० चं० शर्मा : आजकल कैंसर का मनुष्य को लिये सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। इसे देखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार ने तीसरी योजना में कैंसर के सम्बंध में अनुसंधान तथा अन्य चीजों पर केवल १५ लाख रुपया क्यों खर्च किया है ?

डा० द० स० राजू: देश में बहुत सी ऐसी संस्थायें हैं—लगभग ८० कालेज और संस्थायें—जो अनुसंधान कर रही हैं, इलाज तथा सभी अन्य चीजें कर रही हैं जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, हम केवल अनुसंधान से संबंधित हैं।

श्री राधेलाल व्यास: श्री यशपाल सिंह के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में उपमंत्री महोदय ने कहा था कि कैंसर के इलाज के बारे में आयुर्वेद म बहुत कम जानकारी है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह उनकी अपनी जानकारी है या राज्यों मे अनुसंधान से सम्बन्धित आयुर्वेदक संस्थाओं के साथ परामर्श करने के बाद यह जानकारी दी गई है और यदि उन्होंने आयुर्वेद अनुसंधान संस्थाओं से परामशनहीं किया है तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वह उन अनुसंधान संस्थाओं के पास यह मामला भेजना पसन्द करेंगे जहां कि बहुत सारी जानकारी है जिसका पूरा उपयोग हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय: केवल पहले भाग का उत्तर दिया जाए ; दूसरा भाग सुझाव है।

डा० द० स० राजू: आयुर्वेद के बारे मं काफी जानकारी नहीं है जिसका कि कुछ महत्व हो सकता हो। मैंने यह कहा था। **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय: शांति, शांति। प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय ने यह राय आयुर्वेद वे विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद ी है और उन से यह पता लगाया है कि उनके पास कोई इलाज है, या उन्होंने इस बारे में कोई अनुसंधान किया है या नहीं, या उन्होंने यह राय उनसे परामर्श किये बिना ही दे दी है ?

डा० द० स० राजू : यह मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय में हमारे पास एक बहुत ही निपुण आयुर्वेदिक सलाहकार है ।

यात्रियों की निकासी सम्बन्धी प्रक्रिया[1]

+
*४४२. { श्री रा० गि० दुबे:
श्री विश्राम प्रसाद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २ जनवरी, १९६४ से समुद्री मार्ग द्वारा आने वाले उन यात्रियों की निकासी के लिये जिनके पास सामान नहीं होता है कोई नई प्रक्रिया लागू की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें तथा इजनके किन उद्देश्यों की पूर्ति होने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा). (क) अनुमान है कि माननीय सदस्य का संकेत यात्रियों के साथ न आने वाले सामान की ओर है। समुद्र द्वारा आने वाले यात्रियों के उनके साथन आने वाले सामान की निकासी के लिये बम्बई में २ जनवरी १९६४ से एक नई प्रक्रिया लागू की गई है ।

(ख) नई प्रक्रिया में यह व्यवस्था है कि सीमा शुल्क विभाग वाले गोदियों में एक केन्द्रीय स्थान पर यात्रियों के साथ न आने वाले सामान की निकासी के लिये सभी तरह की दस्तावेजी तथा अन्य प्रकार की पड़ताल करें। पत्तनपवास को औपचारिकताओं की भी केन्द्रीकृत कर दिया गया है। नई प्रक्रिया का प्रयोजन यात्रियों के साथ न आने वाले सामान की निकासी को सरल तथा शीघ्र बनाना है

श्री रा० गि० दुबे : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस नई प्रक्रिया से विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में सहायता मिलेगी ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इसी कारण से तो यह नई प्रक्रिया अपनाई गई है । यात्रियों के साथ न आये सामान को विभिन्न स्थानों पर ले जाने में जो अनुचित देर हुआ करती थी उसे दूर करने के लिये इसे लागू किया गया है । उस तरह के विलम्ब को दूर करने के लिये यह प्रक्रिया अपनाई गई है ।

Shri Vishram Prasad : How many persons smuggling gold and wine in Bomboy have been arrested under this new procedure?

Shrimati Tarkeshwari Sihna : Under this procedure the unaccompanied baggage which come and is collected in the Customs is, after verification, given to those present there. Previously the baggage was taken to many offices but now we have provided one place called the Unaccompanied Baggage Centre. All the necessary formalities or other things are gone through thereafter which the baggage is relased to the Customer.

श्री राम सहाय पाण्डेय : श्रीमान्, कुछ लोग अफ्रीकी देशों से आते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हों ने कुछ ऐसी सुविधाओं के बारे में कहा है जो सीमा शुल्क वालों को देनी चाहियें। यदि कोई ऐसीरबात है तो उस के लिये क्या किया जा रहा है ?

[1]Clearance Procedure.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जब कभी यात्रियों को असुविधा होने या विलम्ब के बारे में शिकायतें मिलती हैं तो हम देखते हैं कि ऐसी असुविधाओं को दूर करने के लिये प्राधिकारियों को तुरन्त हिदायतें भेजी जायें । परन्तु जांच पड़ताल की प्रक्रिया में कुछ असुविधा हो जाती है और सभी मामलों में इसे दूर नहीं किया जा सकता ।

श्री हेडा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रक्रिया में नये सुधार करने के बाद यात्री विकास ऐजेंटों की सहायता के बिना अपने साथ न आने वाले सामान का ध्यान रख सकेंगे और प्रक्रिया उतनी ही सरल है जितनी यहां केन्द्रीय राजस्व में है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस बात का प्रबन्ध कर दिया गया है कि बी० पी० टी० द्वारा सामान को इकट्ठा करने के स्थान से निरीक्षण के स्थान तक ले आने में उपस्थापन तथा कानूनी कार्यवाही सरल हो। इस से सीमा शुल्क आधिकारियों तथा यात्रियों के बीच उन लोगों का हस्तक्षेप कुछ हद तक कम हो जायेगा क्योंकि प्रक्रिया ही सरल हो जायेगी ।

Shri Rameshwaranand : Previously checking was done at many places and at one place or another people were caught smuggling. Is it not a fact that now arrangements have been centralised at one place so that the relatives of the Ministers and high officials of the Ministries who smuggle things from outside may not be caught ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न : श्री महेश्वर नायक :

गृह-निर्माण सम्बन्धी नियम

\+
*४४३. { **श्री महेश्वर नायक** :
श्री बड़े :
श्री बृजराज सिंह :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्य सरकारों ने यह प्रार्थना की है कि गृह-निर्माण संबंधी वर्तमान कठोर नियमों को ढीला किया जाय ताकि वे गृह निर्माण की परियोजनाओं को बढ़ावा दे सकें;

(ख) नियमों में किस प्रकार की ढील के लिये सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (ग). इस मंत्रालय की विभिन्न गृह-निर्माण योजनाओं के अधीन गृह-निर्माण संबंधी नियम स्वयं राज्य सरकारों द्वारा ही बनाये जाते हैं। माननीय सदस्य शायद इन योजनाओं के आधारभूत उपबन्धों की ओर सकेत कर रहे हैं। जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने निर्धारित किया है। राज्य सरकारों से उन के कड़ा होने के बारे में कोई अभ्यावेदन नहीं मिले ने हैं। आवास मंत्रियों के सम्मेलनों में भी इन योजनाओं का लगातार पुनर्विलोकन किया जाता है तथा आवास मंत्रियों के सुझावों के प्रकाश में आवश्यक अल्पभेद किये जाते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने के बाद योजनाओं में जो अल्पभेद किये गये हैं उन में से कुछ को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।, [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २४५३/६४]

श्री महेश्वर नायक : विवरण से ज्ञात होता है कि राज्य सरकारों को ३७$^1/_2$ प्रतिशत तक अधिक राज सहायता दी जा रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक राज्यों को कितनी राशि दी गई है और इन लाभकारी योजनाओं के अधीन मकानों के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ?

श्री पू० शे० नासकर : माननीय सदस्य एक विशेष प्रकार की योजना का उल्लेख कर रहे हैं। तीसरी योजना के अधीन आवास योजनाओं के लिये अब तक दी गई राशियों मैं बता सकता हूं। तीसरी योजना के पहले तीन वर्षों में ८६.०४ करोड़ रुपये दिये गये हैं जब कि योजना में १८२ करोड़ रुपये का उपबन्ध है। मुझे खेद है कि मैं इस समय गन्दी बस्तियों को साफ करने की योजना के ठीक ठीक आंकड़े नहीं दे सकता।

श्री महेश्वर नायक : विवरण में आगे लिखा है कि ग्राम आवास योजना के अधीन भी राज्यों को ऋण दिये गये हैं। निजी अनुभव से मैं कह सकता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-निर्माण के बारे में बहुत ही कम प्रगति हुई है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने क्या उपाय किये हैं जिन से ग्रामीण क्षेत्रों में भी गृह-निर्माण में प्रगति हो।

श्री पू० शे० नास्कर : राज्यों को जो कठिनाइयां पेश आती हैं उन सब पर आवास मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की जाती है। यदि माननीय सदस्य को अपने राज्य के सम्बन्ध में कोई विशेष कठिनाई हो तो वह मुझे बताये, मैं राज्य सरकार से बात करूंगा।

श्री भागवत झा आजाद : यदि राज्यों ने गृह-निर्माण संबंधी नियमों में कोई ढील करने को नहीं कहा है तो गृह-निर्माण की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ? मंत्री महोदय ने एक बार सभा में जो वक्तव्य दिया था उस के अनुसार भी प्रगति लक्ष्य से बहुत पीछे हैं।

श्री पू० शे० नास्कर : यह ठीक है कि पिछले दो वर्षों में अवास योजनाओं में प्रगति लक्ष्य के अनुसार नहीं हुई है—सच तो यह है कि यह लक्ष्य से बहुत ही कम है—क्योंकि राज्य सरकारों ने अन्य अविलम्बनीय विकास कार्यों को अधिक पूर्ववर्तिता दी है। १९६२ के अन्त में आपातकाल आया और इस्पात तथा सीमेंट जैसी बहुत सी अत्यावश्यक सामग्री प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये देनी पड़ी जिस से आवास योजनाओं की प्रगति भी धीमी रही। हाल ही में योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार दोनों ने ही राज्य सरकारों को तीसरी योजना की शेष अवधि के लिये गृह-निर्माण को उच्चतर पूर्ववर्तिता देने के लिये कहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से पता चलता है कि आवास मंत्रियों के सम्मेलन में अधिक किराये के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की योजना राज सहायता से बने मकानों का किराया दस रुपये से घटा कर श्रमिकों को मकान के किराये के रूप में मिलने वाली वास्तविक राशि के बराबर करने की है।

श्री पू० शे० नास्कर : जहां तक राज सहायता प्राप्त आवास योजना का सम्बन्ध है वर्तमान स्थिति विवरण में दी गई है ?

Shri Onkar Lal Berwa : The Works Offices take more than 6 months even two years to issue orders. Has any time limit been fixed within which the officers should issue orders for construction work?

श्री पू० शे० नास्कर : जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, हम धन राशि देते हैं। योजनाओं की कार्यान्विति राज्य सरकारों के हाथ में है।

श्री वारियर : क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों ने बागान श्रमिकों के आवास में क्या प्रगति की है ? क्या सरकार ने इस में तेजी लाने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

श्री पू० शे० नास्कर : बागान श्रमिक आवास योजनाओं के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है शीघ्र ही हम वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे जिस से माननीय सदस्यों को सारी जानकारी मिल जायेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न है : मैं ने किराये के बारे में प्रश्न पूछा था, कि क्या सरकार किराये को १० रुपये से घटाकर ७ या ५ रुपये, या जो कुछ श्रमिक को वास्तव में मिलत है, करना चाहती है । माननीय मंत्री ने कहा है कि यह विवरण में दिया हुआ है । मैं ने सारा विवरण पढ़ा है । उस में यह नहीं है । माननीय मंत्री और किस विवरण का उल्लेख कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहां कई बार उठाया गया है और मैं ने कहा है कि यदि कोई माननीय सदस्य समझते हैं कि मंत्री महोदय का विवरण ठीक नहीं है तो वह मुझे लिख सकते हैं और मैं जांच करूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं ठीक रकरने के लिये नहीं कह रहा हूं । मैंने पुन: विवरण को देखा है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कहते हैं कि यह विवरण में दिया हुआ है और माननीय सदस्य कहते हैं कि नहीं है और इसलिये विवरण गलत है । इसलिए मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वह इसे मेरे ध्यान में लायें ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या नियमों में ढ़ील देने से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी उन सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे जो उन के तत्संबंधी राज्यों को दी जाती हैं ताकि वे वहां अपने मकान बना सकें ?

श्री पू० शे० नास्कर : केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के लिये एक आवास योजना है । ब्यौरा तो मैं नहीं बता सकता परन्तु मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सराकार के जो अधिकारी योजना के अन्तर्गत पात्र हैं वे जहां कहीं अपने मकान बनाना चाहते हैं उन्हें सीधे केन्द्रीय सरकार से अग्रिम धन मिलता है ।

Shri Tulshidas Yadav : I want to know the amount spent so far out of the total amount earmarked for the village housing scheme during the third Five Year Plan.

श्री पू० शे० नास्कर : जैसा कि मैं ने कहा, तीसरी योजना के पहले तीन वर्षों में अब ८६.०४ करोड़ रुपया आवंटित किया गया है ।

जीवन बीमा निगम की विनियोजन योग्य निधियां

\+

*४४४. { **श्री भागवत झा आजाद :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम की विनियोजन योग्य समस्त निधियों को "अनधिकृत ऋण"[1] के रूप में अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है; और

[1]Unfounded debt.

(ख) यदि हां, तो निर्णय का स्वरूप क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भागवत झा श्राजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किसी समय ऐसे प्रस्ताव पर विचार हुश्रा था श्रौर श्रन्त में उसे त्याग दिया गया था ?

श्री बा० रा० भगत : इस पर बड़े ध्यानपूर्वक विचार किया गया था क्योंकि यह प्राक्कलन समिति की सिफारिशों का एक भाग था परन्तु कुछ के श्रपरिहार्य कारणों से इसे स्वीकार नहीं किया जा सका था, मुख्य कारण यह था कि इस से जीवन बीमा निगम की प्रत्याय पूर्णतः श्रस्त व्यस्त हो जायेगी क्योंकि ऐसे श्रनधिगत ऋणों में यह जरूरी होता है कि जीवन बीमा निगम द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर कम होगी श्रौर पालीसीधारियों को होने वाले प्रत्याशित लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

श्री भागवत झा श्राजाद : इसे स्वीकार न करने के तर्क को समझते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि किन कारणों ने सरकार को इस मामसू पर विचार करने के लिये प्रेरित किया ?

श्रध्यक्ष महोदय : किन कारणों ने सरकार को इस विषय पर विचार करने के लिये प्रेरित किया जब कि साफ था कि इसे लागू नहीं किया जा सकता ?

श्री ब० रा० भगत : सरकार ने विाचार नहीं किया ।

श्रीमती सावित्र निगम : इस की सिफारिश करते हुए प्राक्कलन समिति ने क्या विशेष सुझाव दिये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : यह उस प्रतिवेदन में हैं जिन में प्राक्कलन समिति की सिफारिशें हैं ।

श्री त्यागी : जीवन बीमा निगम की ऐसी निधियों के विनियोजन के लिये क्षेत्र चुनने की वर्तमान प्रक्रिया क्या है ? श्रौर श्राज तक का कुल विनियोजन कितना है ?

श्री ब० रा० भगत : कुल राशि के लिये मुझे श्रलग सूचना चाहिये, परन्तु मैं इतना बता सकता हूं कि श्रतिरिक्त निधियां, जो वियोजन योग्य हैं १ जनवरी, १९६२ से ३१ मार्च, १९६३ तक, श्रर्थात्, नवीनतम, के १५ महीनों में ९१ करोड़ रु० हैं । श्रौर १९६१ के बारह महीनों में ये ७१ करोड़ रु० होती हैं । विनियोजन योग्य निधियां इतनी हैं ।

श्री त्यागी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं जानना चाहता था कि विनियोजन के क्षेत्र चुनने के लिये वर्तमान प्रक्रिया क्या है । क्या सरकार इस प्रयोजन के लिये कोई सलाहकार समिति बनाने का विचार रखती है श्रथवा कौन इस काम को करता है ?

श्री ब० रा० भगत : विनियोजन सरकार द्वारा निर्धारित नीति के श्रनुसार किया जाता है जो संसद् द्वारा स्वीकृत हो चुकी है श्रौर इस का श्रधिकतर भाग सरकारी प्रतिभूतियों में होता है तथा थोड़ा सा भाग, १५ से १७ प्रतिशत, गैर सरकारी क्षेत्र में हो सकता है । प्रत्येक प्रार्थना पत्र जीवन बीमा निगम के बोर्ड की विनियोजन समिति के पास जाती है श्रौर श्रन्त में इसे बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाता है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जीवन बीमा निगम क्योंकि सब से बड़ी संस्था है जिस के पास अपार निधि है क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसे निदेश दिये गये हैं कि विनियोजन को सरकार की समाजवादी नीति के अनुरूप बनाया जाए; यदि हां, तो वे निदेश क्या हैं ?

श्री ब० रा० भगत : सरकार द्वारा कोई निदेश नहीं दिया गया है परन्तु, जैसा कि मैं ने कहा, विनियोजन नीति संसद् द्वारा स्वीकृत की गई थी : अधिकतर भाग, ७५ से ८० प्रतिशत, सरकारी प्रतिभूतियों में है इसी तथ्य से झुकाव का पता चलता है। गैर-सरकारी कम्पनियों में भी जो १५ से १७ प्रतिशत है वह भी उन क्षेत्रों में ऐसी स्वीकृत परियोजनाओं के लिये हैं जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित पूर्ववर्तिताओं से मेल खाती हैं। अतः रुझान बड़ा स्पष्ट है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि यह महलानोबिस समिति की उपपत्तियों में बताया गया है कि जीवन बीमा निगम की विनियोजन योग्य निधियों के धन से गैर-सरकारी क्षेत्र को सुदृढ़ बनने में सहायता मिली है तथा क्या प्राक्कलन समिति की सिफारिश पर यह संकल्प उस के विपरीत न होगा ?

श्री ब० रा० भगत : वह प्रतिवेदन सरकारी तौर पर अभी प्रकट नहीं हुआ है। इसलिये मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्या कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती हैं ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : सिफारिशों में से यह एक है।

कलकत्ता नेशनल बैंक लिमिटेड

***४४५. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या वित्त मन्त्री २८ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता नेशनल बैंक लिमिटेड की परिसमापन कार्यवाही इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) खातेदारों को अब तक कितनी धनराशि दी जा चुकी है और इस परिसमापन कार्यवाही पर आज तक कितना व्यय हो चुका है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). अब तक हुई कुल वसूली में से परिसमापक ने, उच्च न्यायालय की मंजरी से, १.१२ करोड़ रुपये का भुगतान किया है या करने की व्यवस्था की है जिसमें खातेदारों को दी गई या देय ७०.५७ लाख रुपये की राशि सम्मिलित है। परिसमापन पर दिसम्बर १९६३ के अन्त तक १४.५७ लाख रुपये खर्च हुये।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मन्त्री महोदय जानते हैं कि इस बैंक का परिसमापन १९५१ में हुआ था और यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि परिसमापन कार्यवाही न्यायसंगत शीघ्रता से की जा रही है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री ब० रा० भगत : परिसमापन कार्यवाही उच्च न्यायालय के अधीन है तथा न्यायालय का परिसमापक मार्च, १९५४ में नियुक्त किया गया था। यह ठीक है कि इसमें बड़ा समय लग गया है। परन्तु चीज ही ऐसी है कि कार्यवाही में लम्बा समय लग जाता है। उदाहरणार्थ उच्च न्यायालय की

हिदायत के अन्तर्गत, रुपये की वसूली के लिए परिसमापक को २२५ मुकदमे दर्ज करने हैं और इन चीजों में विलम्ब होना स्वभाविक है। अपनी ओर से हम परिसमापक को इस मामले में जल्दी करने के लिये रहने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री हरि विष्णु कामत : खातेदारों तथा लेनदारों को पूरा भुगतान करने के लिये बैंक की चल आस्तियों के निबटारे की अब क्या सम्भावना है ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि मैंने कहा, खातेदारों को उनका ४० प्रतिशत रुपया दे दिया गया है। जहां तक आगे की सम्भावनाओं का सम्बन्ध है, बैंक की कलकत्ता के बहुत ही प्रसिद्ध इलाके में बड़ी कीमती इमारत है और उसे बेचने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं। यदि उससे मुनासिब मूल्य मिला तो मैं समझता हूं कि अधिक धन उपलब्ध होगा।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या पूरा भुगतान होगा ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा मैंने बताया, यह तो परिसमापक द्वारा चलाये गये मुकदमों की सफलता पर निर्भर करता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यदि मन्त्री महोदय की बात मैं ठीक से समझ पाई हूं तो उन्होंने कहा है कि ४० प्रतिशत लेनदारों को दे दिया गया है...

श्री ब० रा० भगत : ऐसा नहीं, उनके रुपये का ४० प्रतिशत।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : ठीक है। क्या मैं जान सकती हूं कि छोटे खातेदारों का किस स्तर पर भुगतान किया गया है ? क्या यह जानकारी मिल सकती है ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक सुरक्षित लेनदारों तथा छोटे खातेदारों का सम्बन्ध है, २५० रु० तक प्रत्येक को भुगतान कर दिया गया है। दूसरों के बारे में ४० प्रतिशत किया गया है।

Shri Rameshwaranand : Sir, Government wants to take everything like agriculture, trade, life insurance, banks etc. in its own hands I want to know whether it conforms to the Socialistic pattern. My question may kindly be answered.

Mr. Speaker : This question is regarding the Calcutta National Bank.

Shri Rameshwaranand : Please hear my submission. Take the banks. I want to know whether nationalisation of the banks, as intended by the Government, is in conformity with the socialistic pattern. Is this Government of the Communists or is it democratic ?

Shri Tyagi : This Government is of the 'sanyasis'.

Mr. Speaker : The hon. member has said what he wanted to say what will the government do by taking over this bank? It has gone into liquidation.

पिछड़े क्षेत्र

*४४६. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम हरख यादव :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री मलाईछामी :

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों को पिछड़ा मानने के लिये क्या मानदण्ड स्वीकार किया गया है ; और

(ख) योजना आयोग ने अभी तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के किन क्षेत्रों को पिछड़ा हुआ माना है और इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) अगस्त १९६२ में योजना आयोग ने पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण के लिये प्रादेशिक विकास की कसौटियां राज्य सरकारों को भेजी थीं। राज्य/प्रादेशिक विकास की कसौटियों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्पकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—२४५४/६४]**

(ख) विवरण में दी गई कसौटियों के आधार पर उत्तर प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान की सरकारों ने अपने अपने राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया है। पिछड़े क्षेत्रों का व्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि कसौटियों की सूची में रेलवे लाइनों तथा सड़कों को क्यों नहीं शामिल किया गया ? क्या मैं यह भी जान सकती हूं कि क्या इन कसौटियों की सिफारिश करते हुए योजना आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि इन क्षेत्रों में सुधार करने के लिये क्या अमुक कदम उठाये जाने चाहियें ?

श्री ब०रा० भगत : कसौटियों के प्रश्न पर योजना आयोग द्वारा बहुत सावधानीपूर्वक विचार किया गया था तथा तकनीकी तथा विशेषज्ञ सम्बन्धी सलाह भी प्राप्त की गई थी। काफी व्यापक कसौटियां दी गई हैं। क्या कार्यवाही की जाये, इस पर विचार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या ने विशेष रूप से यह पूछा है कि क्या योजना आयोग किस क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के मामले में वहां के संचार साधनों अथवा उनकी कमी को भी ध्यान में रखेगा ?

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्या ने रेलवे लाइनों का उल्लेख किया। पिछड़ेपन के निर्धारण के लिये इनको पर्याप्त कसौटी नहीं समझा गया है।

श्रीमती सावित्री निगम : मेरे प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। क्या मैं जान सकती हूं कि क्या इन क्षेत्रों में सुधार करने के लिये योजना आयोग ने किन्हीं विशिष्ट उपायों की सिफारिश की है ? और यदि हां, तो वे उपाय क्या हैं ?

श्री ब० रा० भगत : क्षेत्रों का निर्धारण किया जा रहा है तथा इस कार्य के बाद निश्चय ही आगामी वर्षों में और विशेषतया अगली योजना में योजना आयोग कुछ उपायों के बारे में सुझाव देगा ?

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या इन क्षेत्रों के विकास के लिये धन मंजूर करते समय योजना आयोग ने कभी भी विभिन्न राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि वे और अधिक धन का विनियोजन करें तथा कुछ सुविधायें प्रदान करें ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा मैंने बताया इन क्षेत्रों का निर्धारण किया जा रहा है। इसके बाद कुछ होगा।

श्री सुबोध हंसदा : विवरण से पता चलता है कि उल्लिखित अधिकांश जिलों में आदिम जाति के लोग रहते हैं आदिम जाति विकास खण्डों के अतिरिक्त इन समस्त क्षेत्रों के विकास के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उठाये जाने वाले कदमों की बात एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न है। प्रश्न तो इस समय हमारे सामने यह है कि इन क्षेत्रों का पिछड़े क्षेत्रों के रूप में किस प्रकार निर्धारण किया जाता है।

श्री वी० चं० शर्मा : सरकार ने बहुत सोच विचार कर किसी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र मानने के लिये १२ कसौटियां बनाई हैं। किसी क्षेत्र को पिछड़ा हुआ घोषित करने के लिये कितनी सहायता, कितना सड़क यातायात आदि की आवश्यकता होता है ? मेरे विचार से इन बारह कसौटियों के आधार पर तो कनाट प्लेस को भी पिछड़ा हुआ माना जा सकता है।

श्री ब० रा० भगत : सीमा अथवा परिमाण स्वयं कसौटियों में दिया हुआ है। उदाहरणार्थ, सड़कों के बारे में यह दिया गया है :—

"सड़कों की लम्बाई—प्रति लाख जनसंख्या तथा प्रति १०० वर्ग मील।"

उनके बारे में कुछ परिमाण दिया गया है।

श्री बसुमतारी : आसाम राज्य को पिछड़ा हुआ क्यों नहीं माना गया है जब कि वहां सड़कों, परियोजनाओं तथा उद्योगों का अभाव है ?

श्री ब० रा० भगत : यह करना आसाम सरकार का कार्य है।

Shri P. L. Barupal : I want to ask one question from the Prime Minister who is also the Chairman of the Planning Commission......

Mr. Speaker : He should ask the question from the Minister who is replying.

Shri P. L. Barupal : Bikaner, Jaiselmer, Barmer and Jalore districts are the most backward areas of Rajasthan. The Prime Minister has seen these areas with his own eyes. Why these areas have not been included as backward areas ?

Shri B. R. Bhagat : The State Governments were asked to send name of the areas to be included as backward areas and the names sent by them can only be included as backward areas.

श्री पं० वेंकटासुब्बया : विवरण में कमी प्रधान क्षेत्रों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। क्या सरकार का विचार अकालग्रस्त तथा कमी प्रधान क्षेत्रों को भी पिछड़े क्षेत्रों में शामिल करने का है और यदि हां, तो इसकी क्या कसौटी है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री जी ने पहिले ही बता दिया है कि यह कार्य राज्यों का है।

Shri R. S. Pandey : In Madhya Pradesh one-third population consists of tribals and Harijans. May I know whether at the time of determining the backward areas some areas in Madhya Pradesh complained that these areas are mostly inhabited by tribals and thus they should be declared as tribal areas ?

Shri B. R. Bhagat : This question does not relate to the declaration of tribal areas. As far as the question of declarinng the backward areas is concerned a reply from the Government of Madhya Pradesh is awaited.

Shri Vishram Prasad : The Patel Commissioner has visited Azamgarh, Ghazipur, Jaunpur and Deoria districts of Uttar Pradesh. May I know which of the districts fall under the category of backward areas as alsot heir per capita income as compared to that of other areas of India ?

Shri B. R. Bhagat : The report has been laid on the Table of the House. Everything is given there.

श्री हिम्मतसिंहजी : क्या गुजरात राज्य के किन्हीं इलाकों को पिछड़ा हुआ माना गया है ?

Shri B. R. Bhagat : No reply has been received from the State Govt. as yet.

Shri Ram Sewak Yadav : The purpose of determining the backward areas is to develop them. What steps have been taken or are being taken to give immediate assistance to these areas ?

Mr. Speaker : It is a different question.

Shri Daljit Singh : When the question of selling up big factories or constructing railway lines arises, mainly in view of their benefits it has been seen that these backward areas are ignored. May I know in what other way these areas would be developed ?

Mr. Speaker : It is a different question.

Dr. Govind Das : As regard Madhya Pradesh, the hon. minister would recall that when the States Reorganisation Commission was constituted and after that such a large State came into being, it was recommended by the commission in its report that some special arrangements should be made for transport there such as rails, roads etc., especially in Bastar and Sarguja ? May I know whether something is being thought of in this connection also ?

Mr. Speaker : This is also different question.

सिगरेट से राजस्व

***४४८. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में सिगरेट, बीड़ी तथा चिलम में प्रयोग किये जाने वाले

तम्बाकू से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ; और

(ख) धूम्रपान को रोकने के लिये यदि सरकार कोई उपाय करने का विचार कर रही हैं, तो क्या ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) वर्ष १९६०-६१, १९६१-६२ तथा १९६२-६३ के दौरान सिगरेट, सिगरेट के तैयार करने में काम आने वाले तम्बाकू तथा बीड़ी एवम् हुक्के के तम्बाकू से जितना राजस्व की प्राप्ति हुई है उसको बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०— २४५५/६४]

(ख) "केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा विभाग" के सामान्य स्वास्थ्य शिक्षा कार्य के भाग के रूप में फोल्डर, पुस्तिकायें आदि के द्वारा धूम्रपान से होने वाली हानियों के बारे में सरकार द्वारा आवश्यक प्रचार किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत इस बात पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है कि बच्चे तथा नवयुवक विशेष रूप से धूम्रपान न करें।

कुछ राज्य सरकारों/प्रशासनों ने "बाल धूम्रपान" को रोकने के लिये तथा सिनेमा/थियेटर हाल /आडिटोरियम/बस तथा सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य स्थानों में धूम्रपान को बन्द करने के लिये पहिले ही वैधिक उपबन्ध लागू किये हुए हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस मद से प्राप्त होने वाला राजस्व दो वर्षों में ४८ करोड़ रुपये से बढ़ कर ६१ करोड़ रु० हो गया है। यह वृद्धि कितनी शुल्क बढ़ाने के कारण हुई है तथा कितनी खपत अधिक होने से ?

श्री० ब० रा० भगत : अधिकांशतः इस वृद्धि का कारण शुल्क में बढ़ोतरी है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुरः धूम्रपान से स्वास्थ्य को होने वाली हानि को देखते हुए तथा स्वास्थ्य मंत्री के इस विचार को ध्यान में रखते हुए कि धूम्रपान शराब से अधिक हानिकारक है, क्या वित्त मन्त्रालय इस विचार से सहमत है ? यदि हां, तो इस विचार को कार्य रूप देने के लिये क्या वित्तीय विनियम लागू किये जा रहे हैं ?

श्री ब० रा० भगत : वित्त मन्त्रालय द्वारा किये गये उपाय स्वास्थ्य मन्त्री जी के विचारों के अनुरूप ही हैं जिनका मत इस सम्बन्ध में अन्तिम है।

श्री हेम बरुआः इस बात को देखते हुए कि अकेले व्यक्ति का सिगरेट ही एकमात्र सहारा है तथा दिमागी काम करने वाले को इससे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, सरकार इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है ? क्या यह इसलिये है कि जिन व्यक्तियों के हाथ में यह कार्य है वे सिगरेट को छूना भी ठीक नहीं समझते ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मन्त्री जी इसके उत्तर दे सकते हैं ?

श्री ब० रा० भगत : मेरे विचार से माननीय सदस्य को इसके उत्तर की आशा नहीं होनी चाहिये।

श्री कपूर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जैसा कि चौधरी साहब कहते हैं, कि किस निश्चित रूप में "शराब" के मद से प्राप्त राजस्व के मुकाबले "तम्बाकू" के मद से प्राप्त राजस्व कम अनैतिक है ? यदि मद्य निषेध सम्बन्धी नीति उचित है तो धूम्रपान निषेध की नीति क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : इतना बड़ा प्रश्न।

श्री ब० रा० भगत : यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रथम भाग को मैं नहीं समझ सका। उसका उत्तर दे दिया जाय।

श्री ब० रा० भगत : वह कहते हैं कि धूम्रपान से प्राप्त होने वाला राजस्व अनैतिक है।

श्री कपूर सिंह : प्रश्न यह है कि शराब से प्राप्त होने वाले राजस्व की तुलना में यह कम अनैतिक किस प्रकार है ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक व्यापक प्रश्न है। उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। शायद मंत्री जी यहां सभा में नैतिक आचार के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते।

श्री बी० चं० शर्मा: क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया है कि अमरीका रूस, पश्चिम जर्मनी तथा इंग्लैंड में धूम्रपान पर व्यय की जाने वाली प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले इस देश में धूमपान पर प्रति व्यक्ति आय का कितना प्रतिशत खर्च होता है ? यदि हमारे यहां प्रति व्यक्ति आय का धूम्रपान पर इन देशों के मुकाबले अधिक खर्च होता है, तो इसको कम करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किया जा हा है ?

श्री ब० रा० भगत : हमने कोई अध्ययन नहीं किया है। मेरे विचार से इस प्रकार के अध्ययन का कोई लाभ नहीं निकलेगा परन्तु सामान्य धारणा यही है कि अन्य देशों की अपेक्षा इस देश में धूम्रपान कम होत है ।

राज्य विद्युत बोर्ड

\+
*४४६. { **श्री दे० जी० नायक :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये सभी साधनों की खोज करने के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के सिंचाई और विद्युत मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether the Power Minister of Rajasthan had recommended to Government that due to the unsatisfactory economic position this might be taken over by the Centre ?

अध्यक्ष महोदय: क्या राज्य सरकार ने यह सिफारिश की है कि चूंकि इनके पास धन का अभाव हैं, अतः इसको केन्द्र अपने हाथ में ले ले।

डा० कु० ल० राव : केन्द्र क्या अपने हाथ में ले ले ?

अध्यक्ष महोदय : यह विषय ।

डा० कु० ल० राव : केन्द्र को ऐसा कोई सुझाव नहीं मिला है ।

Shri Onkar Lal Berwa : Which of the States have been given representation on th's Committee ?

डा० कु० ल० राव : इस समिति में विभिन्न राज्यों के आठ मंत्री हैं । राज्य ये हैं : मद्रास, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल/संयोजक मद्रास के मंत्री हैं तथा केन्द्रीय सरकार के ४ अधिकारी इसमें होंगे ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या राज्य विद्युत बोर्डों की आर्थिक स्थिति को सुधारने, उन्हें ऋण प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करने तथा जनता से धन प्राप्त करने के लिये कोई निर्णय किया गया है ?

डा० कु० ल० राव : यह उन विषयों में से एक है जिस पर समिति विचार करेगी ।

श्री प्र० के० देव : इस बात को देखते हुए कि अन्ततोगत्वा हम एक अखिल भारतीय विद्युत ग्रिड बनाने जा रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सब राज्यों में बिजली की एक जैसी दरें करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

डा० कु० ल० राव : वह एक आदर्श स्थिति होगी परन्तु इसमें बहुत समय लगेगा ।

श्री वारियर : क्या सरकार को इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन मिला है कि उद्योग तथा घरेलू खपत के लिये जो इस समय बिजली की दरें हैं, वे बहुत अधिक हैं ?

डा० कु० ल० राव : यह समिति संचालन व्यय, दरें, प्रशुल्क तथा राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये प्रशुल्क जैसी अनेक बातों पर विचार करेगी तथा सिफारिशें करेंगी । इनके प्राप्त होने के बाद सरकार इस मामले पर और आगे विचार करेगी ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : इस बोर्ड में मैसूर सरकार को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया है ?

डा० कु० ल० राव : मैसूर की सरकार उन भाग्यशाली सरकारों में एक है जहां कि राज्य विद्युत बोर्ड को अच्छी आय प्राप्त हो रही है और यही कारण है कि उसका कोई प्रतिनिधि इसमें नहीं है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : बिहार राज्य के प्रतिनिधि को क्यों सम्मिलित नहीं किया गया है ?

डा० कु० ल० राव : बिहार का प्रतिनिधि इस समिति में है ।

श्री स० चं० सामन्त : जब इन जोनल ग्रिडों का स्थापना की जायेगी तो क्या जोनल विद्युत बोर्ड भी बनाये जायेंगे ?

डा० कु० ल० राव : राज्य विद्युत बोर्डों का गठन राज्य वार किया जाता है । इस समय १५ विद्युत बोर्ड हैं । केवल एक नागालैंड के लिये कोई पृथक विद्युत बोर्ड नहीं है ।

श्रीमती सावित्री निगम : बुन्देलखंड के पिछड़ेपन को देखते हुए इन बोर्डों के बन जाने के बाद क्या वहां दरें कम कर दी जायेंगी ?

डा० कु० ल० राव : बोर्डस तो पहिले ही बन चुके हैं । माननीय सदस्य द्वारा दरें कम किये जाने के बारे में पूछे गये प्रश्न पर, बोर्डों के निर्णय के मामले को अलग रखते हुए, विचार किया जा रहा है । हम यह चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य में तथा हर प्रकार के उद्योग के लिये यथा संभव एक समान दरें हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या उनका ध्यान उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा वहां के कुछ उद्योग-पतियों द्वारा दिये गये इस आशय के विभिन्न वक्तव्यों की ओर आकृष्ट किया गया है कि वे बिजली की ऊंची दर होने के कारण उत्तर प्रदेश में नये उद्योगों की स्थापना करने में असमर्थ हैं और यदि हां तो क्या माननीय मंत्री जी इस हेतु कि औद्योगिक प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें कम कर दी जायें कोई कदम उठाने जा रहे हैं ?

डा० कु० ल० राव : यह ऐसा ही है। ऊंची दर होने के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी भी है और इस कमी के कारण ही उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना अधिक नहीं की जा सकी है। इस पहलू को यह समिति ध्यान में रखेगी।

क्षय-रोधी औषधियों की कमी

+

*४५०. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :**
श्रीमती विमला देवी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में क्षय-रोधी औषधियों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी नहीं, चालू आवश्यकताओं के लिये नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श० ना० चतुर्वेदी क्षयरोग के विरुद्ध किये गये उपायों का देश में क्षय रोग के प्रसार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

डा० द० स० राजू : क्षय रोग का प्रसार कई बातों पर निर्भर होता है जैसे आहार के स्तरों में सुधार, इलाज के लिये सुविधाओं की व्यवस्था आदि। २०० जिला केन्द्र हैं और वहां रह कर जो इलाज कराया जाता है उससे काफी संतोषजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। इस साल पांच लाख लोगों का इलाज हो रहा है और अगले साल लगभग १५ लाख रोगियों का इलाज हो सकेगा।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। उन कार्यवाहियों का क्या प्रभाव पड़ा है।

डा० द० स० राजू : प्रत्येक वष का प्रभाव मालूम करना कठिन है।

श्री शं० ना० चतुर्वेदी : माननीय मंत्री बताते हैं कि इलाज के लिये औषधियां पर्याप्त हैं। क्या टीकों की कमी नहीं है ?

डा० द० स० राजू : इस समय देश में कमी नहीं है। इस समय ५ लाख रोगियों का इलाज हो रहा है। लगभग १५० टन आई०एन०एच० और लगभग २० टन एस्टेप्टोमाइसिन की खपत हो रही है। इस संख्या के लिये ये औषधियां काफी हैं, लेकिन यदि अगले वर्ष हम और अधिक रोगियों को शामिल करेंगे तो हमें अधिक औषधियों की जरूरत होगी और अगले वर्ष कमी पड़ेगी।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री ने अखबारों में दवाइयों की कमी की शिकायतें देखी हैं ? क्या किसी राज्य से कोई शिकायत आयी है ?

डा० द० स० राजू : वास्तव में राज्य सरकारें गरीब रोगियों के लिये पर्याप्त धन नहीं दे सकती और हम इस वर्ष और अगले वर्ष भी ५० प्रतिशत लागत की राजसहायता दे रहे हैं **(अन्तर्बाधा)** रोगियों ने शिकायत की कि औषधियों की कमी है।

Shri R. S. Pandey : Some days back there were press reports that this country has the largest number of T. B. patients in the world and in this country the largest number is in Kanpur. Is it a fact ?

श्री द० स० राजू : हो सकता है कि कानपुर में अधिक रोगी हों क्यों कि अब क्षय रोगियों की कुल संख्या लगभग ५० लाख होने का अनुमान है।

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

Short Notice Question and Answer

महलनोबिस समिति की रिपोर्ट

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५. श्री हरि विष्णु कामत : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि महलनोबिस समिति की रिपोर्ट इस सभा में पेश किये जाने के पहले ही दिल्ली के एक समाचार पत्र (पेट्रियाट) के २८ फरवरी, १९६४ के अंक में इस समिति की रिपोर्ट के विस्तृत उद्धरण प्रकाशित हुए थे ;

(ख) ये उद्धरण कहां से और कैसे मिले ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को जानकारी नहीं है।

(ग) कोई कार्यवाही न करने का विचार है क्योंकि अनधिकृत उद्धरणों में रिपोर्ट के कुछ भागों का उल्लेख है और सम्पूर्ण रिपोर्ट शीघ्र ही सभापटल पर रख दी जायगी और बाद में प्रकाशित की जायगी।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या ऐसे उद्धरण देश के किसी दूसरे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं और यदि उत्तर नहीं हो, तो जनता के इस व्यापक संदेह और विश्वास के लिये कोई आधार है कि 'पैट्रियट' की पीछे काम करने वाले कुछ व्यक्ति और इस समिति के अध्यक्ष या कुछ सदस्यों के बीच राजनैतिक या व्यक्तिगत मैत्री इस रहस्योद्घाटन के लिये उत्तरदायी है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यह कहें कि यह माननीय सदस्य की राय है या वह उसे इन्कार करें। जो भी वह कहना चाहें वह कहें।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : यह जानकारी नहीं है कि वह किसी दूसरे अखबार में प्रकाशित हुआ है। दूसरे प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते। वह एक राय की बात है।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर टाल दिया है। यदि आप समझते हैं कि वह ठीक है, तो मैं आग्रह नहीं करूंगा। लेकिन मैंने ठोस तथ्य बताया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है तो . . . .

श्री हरि विष्णु कामत : तब ठीक है। अब दूसरा प्रश्न। क्या अब रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी गयी है और यदि हां, तो क्या सरकार बता सकती है कि जो उद्धरण प्रकाशित किये गये हैं वे प्रमाणिक अथवा ठीक हैं, और पैट्रियट से पूछताछ करने और सभा के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कब सरकार का विचार है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सरकार इस बारे में सोच रही है। इस मामले की छानबीन की जा रही है। मंत्रिमंडल उस पर विचार करेगा और उसके बाद वह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जायेगी। सरकार यह नहीं बता सकती कि वे उद्धरण सही हैं या गलत और मैं समझता हूं कि प्रश्न के दूसरे भाग का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इसके उद्धरण करीब आठ महीने पहले स्टेट्समैन में प्रकाशित हुए थे और तब मैंने तथा कई दूसरे सदस्यों ने प्रश्न पूछा था जिसका जवाब प्रधान मंत्री ने दिया था। इस बात को देखते हुए कि यह सभा और सामान्य जनता इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है, क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि यह रिपोर्ट अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ होने से पहले अगले १० या १५ दिनों में सभा पटल पर रख दी जायगी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, सभा यह जानती है कि प्रधान मंत्री ने प्रश्न का उत्तर दिया था। समिति में अनेक गैर-सरकारी सदस्य हैं। हो सकता है कि उन्होंने चर्चा के विषय का कुछ उल्लेख किया हो और मैं समझता हूं कि उसी के बारे में उत्तर दिया गया था। रिपोर्ट सभा पटल पर रखने का जहां तक सम्बन्ध है सरकार उसे यथाशीघ्र सभा पटल पर रखने का प्रयत्न करेगी। लेकिन वह कोई निश्चित तारीख नहीं बता सकती।

श्री त्यागी : रिपोर्ट पर वास्तव में किस दिन हस्ताक्षर किये गये थे और पहली बार सरकार को वह कब पेश की गयी थी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं इस प्रश्न के लिए नोटिस मांगूंगा क्योंकि वह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री त्यागी : वह सरकार को कब पेश की गयी थी ? क्या वह यह भी नहीं बता सकते ?

अध्यक्ष महोदय : वह नोटिस चाहते हैं।

श्री रंगा : यदि वह सरकार को पेश की गयी है, तो वह उनके पास होनी चाहिये। उन्हें मालूम होना चाहिये कि वह कब सरकार को पेश की गयी थी।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं जानकारी दे सकता हूं। वह गोपनीय नहीं है। लेकिन इस समय वह मेरे पास नहीं है। मुझे ठीक ठीक बताना चाहिये और ठीक ठीक जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री ब० रा० भगत : रिपोर्ट २५ फरवरी के शाम को सदस्य-सचिव से प्राप्त हुई थी।

श्री नि० चं० चटर्जी : उस पर हस्ताक्षर कब किये गये थे?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि उन्हें मालूम नहीं है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस बात को देखते हुए कि हमारे देश में समाचारपत्रों को अनुमान लगाने का अधिकार प्राप्त है बशर्ते कि वह सार्वजनिक हित में हो, क्या सरकार की ओर से उस अनुमान का खंडन न किये जाने पर, सभा को विश्वास दिलाने के सम्बन्ध में सरकार की अनिच्छा के बारे में गलतफहमी बनी नहीं रहेगी?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे आशंका है कि यह एक व्यक्तिगत अनुमान है जिससे सरकार सहमत नहीं है।

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि गोपनीय रिपोर्ट और सरकारी निश्चय समाचार पत्रों को मालूम हो जाते हैं क्या सरकार ने विशेषकर संकटकाल में सरकारी प्रणाली के छिद्रों को भरने का कोई प्रयत्न किया है?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि जब कोई प्रलेख सरकार के हाथ में होता है तो वह गुप्त प्रलेख रहता है। उससे पहले समिति के कई गैर-सरकारी सदस्य होते हैं और वे गोपनीयता के लिए बाध्य नहीं होते। हो सकता है उन्होंने चर्चा की हो और मैं समझता हूं कि बात फूटने के प्रश्न के पीछे कोई उद्देश्य लगाना प्रश्न से परे है।

श्री अ० प्र० जैन : पैट्रियट में यह रिपोर्ट जिस दिन प्रकाशित हुई उसके एक दिन बाद उद्योग मंत्री ने सदन में बताया था कि रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। आज मंत्री महोदय से यह उत्तर मिला है कि रिपोर्ट २५ फरवरी को ही मिल गयी थी। यह गलत बयान किस प्रकार दिया गया था और क्या उन्हें मालूम था या नहीं? सरकार इन दोनों बातों में किस तरह मेल बैठाती है?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय मित्र काफी समय तक मंत्री रह चुके हैं और वह जानते हैं कि जब एक मंत्रालय को कोई प्रलेख दिया गया हो तो दूसरे मंत्रालय को उसे दिये जाने का ठीक ठीक समय और ठीक ठीक तारीख नहीं मालूम होती। यह रिपोर्ट प्रधान मंत्री को दी गयी थी और उसके बाद संपूर्ण सरकार उस विषय पर विचार कर रही है। हो सकता है कि उद्योग मंत्री को उस बारे में जानकारी न हो और सरकार प्रक्रिया में यह भी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक मंत्री को प्रत्येक प्रलेख पेश किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी बनायी जाये।

श्री अ० प्र० जैन : मैं जानना चाहता हूं कि गलत उत्तर क्यों दिया गया था। मंत्री महोदय ने यह कहा होता कि उन्हें मालूम नहीं है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि अप की जा कारी में माननीय मंत्री ठीक थे। ले किन जब उद्योग मंत्री के वक्तव्य के बारे में सवाल उ ाया गया और यह कहा गया कि उनके बक्तव्य में और मेरे बजट भाषण में अन्तर है तो वह बात उन्हें मालूम नहीं थी और उस समय वह केवल मेरे ही दिमाग में थी।

श्री वी० चं० शर्मा : समाचारपत्रों में प्रकाशित उद्धरण प्रामाणिक हैं, अर्द्ध- प्रामाणिक हैं या झूठे हैं और क्या सरकार यह धारणा दूर करेगी कि वे उद्धरण झूठे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे सहयोगी श्री हेम बरुआ के प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार पास पहुंचने से पहले ही संभवतः बात फूट गयी हो अर्थात जब रिपोट समिति के हाथ में थी तभी उसका दूसरों को पता लगा होगा। लेकिन जब मैं ने वही प्रश्न पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अब वे कहते हैं कि शायद बात फूट गयी हो . . .

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि अब भी उनके पास जानकारी नहीं है।

श्री प्र० क० देव : मंत्री महोदय यह कहकर सारी बात टाल नहीं सकते कि कुछ ग़ैर-सरकारी लोग थे। लेकिन तथ्य यह है कि विशेषाधिकार भंग हुआ है आशा है कि आप हमें इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपने की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दक्षिणी राज्यों के लिये जोनल विद्युत् ग्रिड

***४४७. श्री अ० क० गोपालन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी राज्यों के लिये एक जोनल विद्युत् ग्रिड की स्थापना की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितना व्यय हो चुका है; और

(ग) जोनल विद्युत् ग्रिड के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

दक्षिणी प्रादेशिक बिजली बोर्ड जिसमें आन्ध्र प्रदेश, केरल, मद्रास और मैसूर राज्यों के बिजली बोर्डों के अध्यक्ष, केन्द्रीय बिजली प्राधिकार का एक प्रतिनिधि और एक सदस्य-सचिव है, बनाया गया है। यह इस प्रदेश में योजना बनाने और प्रणालियों का एकीकृत संचालन इस प्रकार सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है ताकि कुल उत्पन्न की गयी और प्रेषित बिजली से संपूर्ण प्रदेश को अधिकतम संभव लाभ हो सके।

दक्षिणी राज्यों में क्षेत्रीय बिजलीघर की स्थापना के लिए आरम्भ में अन्तर्राज्यीय २२० किलोवाट लाइनें बनाने की ज़रूरत है जिससे दक्षिणी प्रदेश में एक राज्य से दूसरे राज्य को बिजली का हस्तान्तरण करने के लिए केरल और मद्रास तथा मद्रास और मैसूर में सम्बन्ध जोड़ा जा सके। ये अन्तर्राज्यीय लाइनें कई दौर में बनायी जायेंगी और अनुमान है कि यह काम तीसरी आयोजना की अवधि के अन्त तक पूरा हो जायेगा। इसका खर्च राज्य सरकारें उठाती हैं और आज तक लगभग ४५ लाख रुपया खर्च हुआ है।

मूल्यों में वृद्धि

*४५१. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते में वृद्धि का सरकार द्वारा निर्णय किये जाने के तुरंत बाद राजधानी में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) मूल्यों को कम करने के लिए तथा स्थिर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). खाद्यान्न की, खास कर गेहूं और चावल की कीमतें फरवरी में कुछ हद तक बढ़ी हैं जैसा कि उस विवरण से पता लगता है जिसे मैं सभा पटल पर रखता हूं। फिर भी, यह वृद्धि मुख्यतः कमी के कारण है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल टी—२४५६/६४]**

(ग) सस्ते दाम की दूकानों के जरिये वितरण के लिए सरकार ने गेहूं की ज्यादा सप्लाई दी है।

कर अपवंचन सम्बन्धी अमरीकी विशेषज्ञ

*४५२. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर अपवंचन को रोकने के तरीकों तथा प्रक्रिया के सम्बन्ध में भारतीय कर अधिकारियों को सलाह देने के लिये सरकार एक अमरीकी विशेषज्ञ नियुक्त कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी नियुक्ति की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी अभिकरण ने तीन कर विशेषज्ञों की सेवायें प्रस्तुत करना मंजूर कर लिया है। विशेषज्ञ भारतीय कर विधियों और आय तथा निगम करों सम्बन्धी प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे और कर अपवंचन रोकने तथा कर निर्धारण और संग्रह की प्रक्रिया को सरल बनाने के उपायों की सिफारिश करेंगे ।

(ख) यात्रा का सारा खर्च अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण उठायेगा।

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान

*४५३. **श्री बी० चं० शर्मा :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में केन्द्रीय सरकार के कितने प्रतिशत कर्मचारियों को अब तक सरकारी मकान दिये जा चुके हैं ;

(ख) उपरोक्त स्थानों पर चालू वर्ष में कितने प्रतिशत अन्य कर्मचारियों को मकान दिये जाने की संभावना है; और

(ग) शत प्रतिशत लक्ष्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प० शे० नास्कर) : (क) मेरे मंत्रालय के सामान्य आवास संग्रह के आवास के लिए जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनमें से अब तक दिल्ली में ३६.६ प्रतिशत बम्बई में ५.४ प्रतिशत और कलकत्ते में १८.६ प्रतिशत कर्मचारियों को आवास दिया जा चुका है । मद्रास में इस समय आवास का कोई सामान्य संग्रह नहीं है ।

(ख) दिल्ली में ४३००, बम्बई में १२८ और कलकत्ते में ४५० नये मकान बनाये जाने के कारण संतुष्टि की प्रतिशतता क्रमशः ४४ प्रतिशत, ६ प्रतिशत और २८ प्रतिशत बढ़ जायेंगी ।

(ग) सात साल का एक कार्यक्रम बनाया गया है और यथासंभव कमी को पूरा करने के लिए निर्माण कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया है ।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये पुनर्वास सुविधायें

*४५४. **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**
श्री कछवाय :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार ने सरकार को बताया है कि १०,००० विस्थापित परिवारों को और पुनर्वास सुविधायें दी जा सकती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख). दण्डकारण्य विकास प्राधिकार का मूल कार्यक्रम १९६४–६५ में ३००० परिवारों को बसाना है । पूर्वी पाकिस्तान से आने वालों की काफी संख्या को देखते हुए दण्डकारण्य में पुनर्वास का कार्यक्रम बढ़ाने के लिए हर कोशिश की जा रही है ।

बर्ड एण्ड कम्पनी

*४५५. { **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दाजी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री स० मो० बनर्जी : }

क्या **वित्त** मंत्री १२ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२८ के उत्तर **के सम्बन्ध में** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्ड ऐंड कम्पनी के बारे में जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) क्या कम्पनी के विरुद्ध कोई मुकद्दमा चालू किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या आरोप हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) से (ग). समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन कुछ अभियोगों के सम्बन्ध में कारण दिखाओ नोटिसें जारी की गई हैं। चूंकि मामलों का फैसला अभी बाकी है, इस दशा में अभियोगों का ब्योरा बताना उचित नहीं होगा। आगे और जांच पड़ताल जारी है।

बेतर नाले की जांच

*४५६. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री जेधे :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री श्यामलाल सर्राफ : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुंच के बेतर नाले की संयुक्त जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) अक्तूबर, १९६३ में पानी की सप्लाई बन्द होने से पहले की सामान्य स्थिति ३१-१२-१९६३ को स्थायी सिन्धु आयोग द्वारा संयुक्त निरीक्षण के पहले कायम कर दी गयी है। बाद में विद्युत् प्रणाली को उसकी सामान्य सप्लाई प्राप्त होती रही।

"बैंक ऑफ चाइना"

*४५७. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुग्रा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री २१ नवम्बर, १९६३ के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या २३१ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक ग्राफ चाइना के बहीखातों तथा ग्रभिलेखों की विशेष जांच-पड़ताल इस बीच पूरी हो चुकी है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री० ब० रा० भगत) : (क) जांच पड़ताल ग्रभी पूरी नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में सजावटी बाग

*४५८. श्री बी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :

क्या **निर्माण, ग्रावास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न भागों में सजावटी बागों तथा पार्कों का विकास करने के प्रस्ताव में क्या प्रगति हुई है ; ग्रौर

(ख) इस कार्य के लिये ग्रब तक कितनी धन-राशि ग्रावंटित की गई तथा खर्च की गई ?

निर्माण, ग्रावास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) ग्रौर (ख). निम्नलिखित स्थानों में बगीचे तथा पार्क बनाने का विचार है :—

(१) हौज खास

(२) रामकृष्णपुरम

(३) कुतुब-बोटैनिकल गार्डन के ग्रास पास

(४) पालम रोड पर लेक तथा पार्क

(५) लाल किला ग्रौर राजघाट से जमुना पुल ग्रौर बेला रोड के पास राष्ट्रीय राजपथ के बीच ।

इनमें से लाल किले के पास के क्षेत्र में एक पार्क का काम ग्रारम्भ किया गया है । इस काम के लिए मंजूर किये गये ४.५३ लाख रुपये के मुकाबिले में ग्रब तक १.१४ लाख रुपये की रकम मंजूर की जा चुकी है । दूसरे बगीचों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

बिजली की दरें

*४५६. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री जेधे :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री महेश्वर नायक :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री वे० जी० नायक :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कोया :
श्री रामपुरे :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता के काम में आने वाली बिजली की दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) राज्य बिजली बोर्डों की आय बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

निधि का व्यपवर्तन

*४६०. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में कृषि सहकार पर व्यय होने

वाले धन को अन्य अनुत्पादक योजनाओं के लिए दे दिया है ;

(ख) वे राज्य कौन-कौन से हैं तथा कितनी रकम का व्यपवर्तन किया गया ; और

(ग) इसको रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) राज्यों तथा ऐसे व्यपवर्तन में संलग्न धन राशि का एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—२४५७/६४]**

(ग) योजना आयोग से जारी किये गये दिनांक २७ दिसम्बर, १९६३ के पत्र संख्या पी सी (पी)४(२)/६२ में राज्य सरकारों को सूचित किया गया है कि १९६३-६४ से 'कृषि कार्यक्रम' मुख्य शीर्षक के अधीन केन्द्रीय सहायता का इस प्रयोजन के लिए पूरा पूरा उपयोग किया जाना चाहिये और वह किसी अन्य शीर्षक के अधीन व्यपवर्तन के लिए उपलब्ध नहीं होगी । सहकारी विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में इसी तरह का रुख अपनाना होगा ।

औद्योगिक कर्मचारियों में साक्षरता के लिए तालिका

८८४. **श्री राम हरख यादव :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक कर्मचारियों में साक्षरता के लिये सरकार ने कोई तालिका बनायी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें कौन कौन हैं और उसके क्या काम हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल टी—२४५८/६४]**

Beas Dam

885. **Shri Hem Raj :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the width and length in miles of the area planned to be earmarked along the banks of the Beas river tributaries to check erosion on the catchment area of the Beas Dam;

(b) whether the inhabitants of that area will be allowed to remain there or they will be evicted;

(c) whether cultivation of that land will also continue or would be stopped; and

(d) the number of people that would be affected as a result of the above scheme ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) The catchment area of the Beas River, upstream of the Pong Dam site, is about 40 miles wide and 113 miles long. Soil conservation is to be undertaken in the whole of this area.

(b) Every attempt will be made to let the inhabitants remain in their areas.

(c) The cultivation will continue, except in a very small portion located one steep slops or shallow soils where the cultivators may be persuaded to take to grass farming or horticulture instead of infrequent cultivaticn.

(d) Does not arise at this stage.

मेडिकल कालेज

८८६. **श्री ब्रजभान सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में (राज्यवार) १९६३ के अन्त तक कितने मेडिकल कालेज थे ;

(ख) १९६३ में डिग्री पाठ्यक्रम में कुल कितने छात्रों को भरती किया गया ; और

(ग) क्या मेडिकल कालेजों में प्री-क्लिनिकल और क्लिनिकल ग्रुप्स में पर्याप्त अनुभव के शिक्षकों की कमी है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) भारतीय संघ में (राज्यवार) १९६३ के अन्त तक मेडिकल कालेजों की संख्या इस प्रकार थी :—

राज्य का नाम	मेडिकल कालेजों की संख्या
१. आन्ध्र प्रदेश	६
२. आसाम	३
३. बिहार	४
४. गुजरात	४
५. जम्मू और काश्मीर	१
६. केरल	४
७. मध्य प्रदेश	६
८. मद्रास	६
९. महाराष्ट्र	९
१०. मैसूर	८
११. उड़ीसा	३
१२. पंजाब	४
१३. राजस्थान	३
१४. उत्तर प्रदेश	६
१५. पश्चिम बंगाल	५
१६ दिल्ली	३
१७. गोआ	१
१८. पांडिचेरी	१
कुल	७३

(ख) १०,०९७ ।

(ग) जी हां; भारत में मेडिकल कालेजों में पर्याप्त अनुभव के लगभग २००० शिक्षकों की कमी है ।

वित्त मंत्रालय में समितियां

८८७. **श्रीमती लक्ष्मी बाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में कुल कितनी समितियां और उपसमितियां काम कर रही हैं ; और

(ख) उन समितियों/उपसमितियों के कुल कितने सदस्य हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय के अधीन चौदह समितियां/बोर्ड काम कर रहे हैं । मंत्रालय के अधीन संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इन निकायों में सदस्यों की संख्या इस प्रकार है :—

	सदस्यों की संख्या
(१) संविहित समितियां/आयोग	
१. पुनर्बीमा मंत्रणा समिति	५
२. समवाय विधि मंत्रणा समिति	५
३. पूंजी निर्गम नियंत्रण सम्बन्धी मंत्रणा समिति . .	५
(२) पूर्णतः राजकीय समितियां	
१. मूल्य संबंधी समिति	६
२. विदेशी सहायता के उपयोग सम्बन्धी समिति . .	५
३. सामाजिक सुरक्षा संबंधी समिति . . .	५
४. कृपापूर्ण निधि संबंधी समिति	३
(३) अन्य	
१. बीमा दावा बोर्ड	९
२. राष्ट्रीय बचत केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड . . .	३२
३. सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मंत्रणा परिषद् .	१६
४. प्रत्यक्ष कर मंत्रणा समिति	१७
५. समवाय विधि प्रभाग में तकनीकी मंत्रणा समिति . .	८
६. समवाय विधि प्रभाग में अनुसंधान कार्यक्रम समिति .	५
७. समवाय सचिव मंत्रणा बोर्ड	१३

आंध्र प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

८८८. { श्री इ० मधुसूदन राव :
{ श्री द० ब० राजू :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को आन्ध्र प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे ;

(ख) १९६४-६५ में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने वाले हैं ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी रकम दी गयी है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) २५५ ।

(ख) २२ ।

(ग) विकास विभाग बजट में ५०·६० लाख रुपये की व्यवस्था के अलावा, राज्य की स्वास्थ्य योजना के अधीन इस प्रयोजन के लिये १४ लाख रुपये की रकम दी गयी है ।

आंध्र प्रदेश में गांवों में मकान बनाने की योजना

८८९. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों में मकान बनाने की योजना के लिए १९६३-६४ में आन्ध्र प्रदेश के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई थी ; और

(ख) क्या स्वीकृत रकम का पूरा पूरा उपयोग किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री श्री (पू० शे० नास्कर) : (क) चालू वित्त वर्ष में गांवों में मकान बनाने की प्रायोजनाओं सम्बन्धी योजनाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश को कुल १२·३० लाख रुपये दिये गये थे जिस में ४·३० लाख रुपया योजना ससाधनों से और ८ लाख रुपया जीवन बीमा निगम की निधि में से है ।

(ख) ज्ञात हुआ है कि उस वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में राज्य सरकार ने ४·७५ लाख रुपया खर्च किया ।

केन्द्रीय सचिवालय, नयी दिल्ली

८९०. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या नर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के केन्द्रीय सचिवालय के नार्थ ब्लाक और सा उथ ब्लाक में मंत्रालयों के अनेक विभागों को अच्छी तरह स्थान नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस से विभागों के कुशलतापूर्वक काम करने पर बुरा असर पड़ा है ; और

(ग) इन ब्लाकों में विभागों को बसाने के मामले में समन्वय लाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) साउथ ब्लाक में मंत्रालयों/विभागों को काफी ठीक जगह मिली हुई है। नार्थ ब्लाक में विभागों/मंत्रालयों को जो जगह मिली हुई है उस में सुधार की गुंजाइश है।

(ख) शायद कुछ हद तक।

(ग) अनुमान है कि जिन इमारतों के लिए मंजूरी दी जा चुकी है उन में अगले २-३ वर्षों में २६ लाख वर्ग फीट कार्यालय-स्थान उपलब्ध होगा। तब आवश्यक होने पर फेरफार करने से सभी दफ्तरों को काफी अच्छा स्थान उपलब्ध हो जायेगा।

जीवन बीमा निगम द्वारा सामान्य बीमा

८६१. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वित्त मंत्री ५ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने सामान्य बीमा की किन किन शाखाओं में पदार्पण किया है ;

(ख) ऐसा निश्चय करने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) व्यापार की शर्तें गैर-सरकारी बीमा व्यवसायियों की शर्तों के मुकाबले में कैसी हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) निकट भविष्य में भारत का जीवन बीमा निगम आग, समुद्रयात्रा तथा विविध अनुभागों में सभी वर्गों का सामान्य बीमा व्यापार करने वाला है।

(ख) सामान्य बीमा व्यापार करने का निश्चय निगम ने ही किया है क्योंकि वह जनता को उचित दरों पर विभिन्न जोखिमों के विरुद्ध सामान्य बीमे की पर्याप्त सुविधाएं दे सकता है।

(ग) फिलहाल निगम वह दरें मंजूर करने वाला है जो व्यापार के तटकर सम्बन्धी अनुभागों के लिए तटकर सिमिति ने निश्चय की हैं। लेकिन वह स्वतंत्र रूप से अपने निजी अनुभव को ध्यान में रखते हुए, कुछ समय में दरों का अधिक वैज्ञानिक ढांचा तैयार कर सकेगा।

जीवन बीमा निगम

८६२. श्री वारियर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी सामान्य बीमा व्यापारियों से शिकायतें आई हैं कि जीवन बीमा निगम ने सामान्य बीमे के क्षेत्र में उतरने के बाद "दर युद्ध" आरम्भ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम ने बताया है कि जब वह सामान्य बीमा व्यापार आरम्भ करेगा तब वह मौजूदा तटकर दरें ही अपनायेगा और इसलिए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गैर-परियोजना सहायता

८९३. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि एड इंडिया क्लब ने अगले वर्ष के लिए गैर-परियोजना सहायता का अनुपात बढ़ाना मंजूर कर लिया है, और यदि हां, तो कितना ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : अगले वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा सम्बन्धी हमारी आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए इंडिया कन्सोर्शियम की बैठक अभी नहीं हुई है और इसलिए यह नहीं बताया जा सकता कि अगले वर्ष गैर-परियोजना सहायता में कितनी वृद्धि होगी ।

नेवेली और ओबरा तापीय बिजलीघर

८९४. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री केप्पन :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूसी विशेषज्ञों के सहयोग से मद्रास में नेवेली तापीय बिजलीघर और उत्तर प्रदेश में ओबरा तापीय बिजलीघर की स्थापना के सम्बन्ध में नवीनतम प्रगति क्या हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : नेवेली तापीय बिजलीघर पहले दौर में ५ × ५० मेगावाट की संस्थापित क्षमता के लिए बनाया गया है । इनमें से चार यूनिट चालू किये गये हैं जिन का ब्योरा इस प्रकार है :—

पहला यूनिट . . .	मई, १९६२
दूसरा यूनिट . . .	जनवरी, १९६३
तीसरा यूनिट . . .	जून, १९६३
चौथा यूनिट	अक्टूबर, १९६३

अनुमान है कि पहला यूनिट अप्रैल, १९६४ में चालू हो जायेगा । दूसरे दौर में ५० मेगावाट का यूनिट और १०० मेगावाट का यूनिट स्थापित करके इस बिजलीघर की क्षमता २५० मेगावाट से ४०० मेगावाट तक बढ़ाने का विचार है । आशा है कि ये यूनिट क्रमशः १९६५ की पहली तिमाही और १९६६ की पहली तिमाही में चालू हो जायेंगे । यह क्षमता और आगे २०० मेगावाट से ६०० मेगावाट तक बढ़ाने (१९६७-६८ में १०० मेगावाट और १९६८-६९ में १०० मेगावाट) का विचार है । अग्रिम कार्यवाही की योजनाओं में इसे मंजूर कर लिया गया है ।

ओबरा तापीय बिजलीघर

ओबरा में २५० मेगावाट का बिजलीघर कायम करने के लिए विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट मंजूर कर ली गई है। बिजलीघर का सामान्य नकशा और अस्थायी निर्माण कार्य और असेम्बली यार्ड्स का अन्तिम निश्चय किया जा चुका है। निर्माण स्थल पर असैनिक इंजीनियरिंग निर्माण कार्य जारी है। रूस से मुख्य मशीनें और साजसामान की सप्लाई के लिए बातचीत चल रही है और आशा है कि चालू वर्ष के मध्य तक पहला यूनिट दे दिया जायेगा। रूस से निर्माण संबंधी जो साज-सामान मंगाया जाने वाला था उस के बारे में आर्डर का अन्तिम निश्चय किया जा चुका है और अनुमान है कि यह साजसामान चालू वर्ष के मध्य तक बिजलीघर के स्थल पर पहुंच जायेगा। देश में जो साजसामान प्राप्त किया जाने वाला था उस के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट और कुछ अन्य विविध साजसामान का जो थोड़ी विदेशी मुद्रा से देश में ही प्राप्त किया जा सकता है, ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

श्रमजीवी महिलाओं के लिये आवास-स्थान

८६५. { श्री महेश्वर नायक :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान वाई० डब्ल्यू० सी० ए० की १७वें सम्मेलन में श्रीमती लक्ष्मी मेनन के इस वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि उपयुक्त आवास-स्थान के अभाव में कई शिक्षित महिलाएं रोजगार नहीं प्राप्त कर रहीं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में कोई कदम उठा रही है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार के अधीन काम करने वाली महिलाओं को अन्य सरकारी कर्मचारियों को आवास-स्थान के आवंटन के तरह ही आवंटन किया जाता है। दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के आवास-स्थानों की कुछ संख्या विशेषत: उन्हीं को आवंटित किये जाने के लिये रखी जाती है। इससे उनको सरकारी मकान अन्य पुरुष कर्मचारियों की अपेक्षा जल्दी मिल जाता है। सरकारी महिला कर्मचारियों को दिल्ली में श्रमजीवी महिला होस्टल में भी स्थान दिया जाता है। नई दिल्ली में मिन्टो रोड क्षेत्र में एक अन्य होस्टल बन रहा है और महिला कर्मचारियों को यहां भी स्थान दिया जायेगा।

करेंसी नोटों का विरूपण

८९६. श्री महेश्वर नायक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें देश में बड़े पैमाने पर करेंसी नोटों पर लिखे जाने और इस प्रकार उनका विरूपण किये जाने की प्रथा की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रथा को निरुत्साहित करने के लिये कदम उठायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) वित्त मंत्रालय की प्रार्थना पर राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभागों ने अपने प्रशासनिक नियंत्राधीन विभिन्न कार्यालयों को करेंसी और बैंक नोटों पर लिखने, मुहर लगाने आदि को रोकने के लिये आवश्यक निदेश जारी किये हैं। भारत के रिज़र्व बैंक ने भी देश में अनुसूचित और गैर-अनुसूचित सभी बैंकों को ऐसे ही निदेश दिये हैं। सरकार ने भी समाचारपत्रों के जरिये जनता से यह अपील की है कि वे ऐसा काम न करें क्योंकि इससे करेंसी नोट और बैंक नोट जल्दी खराब हो जाते हैं और परिणामस्वरूप कागज़ आदि के आयात पर अधिक व्यय करना पड़ता है।

ग्रामीण गृहिणियों द्वारा बचत

८९७. { **श्री भागवत झा आज़ाद :**
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६२ में देश के ग्रामीण गृहिणियों द्वारा की गयी शुद्ध बचत में कमी हुई है; और

(ख) उस वर्ष के लिये निर्धारित लक्ष्य की किस हद तक प्राप्ति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) वर्ष १९६२ में ग्रामीण गृहणियों द्वारा शुद्ध बचत के कोई सरकारी प्राक्कलन उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) उस वर्ष के लिये ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

दण्डकारण्य में कृषि वस्तुओं का उत्पादन

८९८. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री श्याम लाल सर्राफ :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में दण्डकारण्य परियोजना में वनस्पति और अन्य कृषि वस्तुओं का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) क्या कृष्यकरण सम्बन्धी कार्यों से कोई लाभ हुआ है और क्या बुलडोज़रों की उपलब्धता में होने वाली कठिनाइयां दूर कर दी गयी हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पु० शे० नास्कर) : (क) और (ख). जहां तक कृषि उत्पादन तथा कृष्यकरण का सम्बन्ध है, समय समय पर संसद्-सदस्यों को परिचालित दण्डकारण्य विकास योजना सम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदनों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। बुलडोजरों की किसी कमी के कारण कृष्यकरण सम्बन्धी कार्य में कोई बाधा नहीं पहुंची है।

बहरापन

८९९. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पिछले पांच वर्षों में बहरेपन में काफी वृद्धि हुई है; और

2553 (ai) LSD—4.

(ख) क्या वास्तविक स्थिति और बहरेपन की घटनाओं की प्रतिशतता का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) और (ख). देश में बहरेपन की घटनाओं का पता लगाने के लिये अभी तक कोई देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, वर्ष १९५७–५८ और १९५९–६० में दिल्ली, बम्बई और कानपुर में अंगहीन व्यक्तियों के बारे में नमूना सर्वेक्षण किये गये थे। इन सर्वेक्षणों के अनुसार कुछ अगहीन व्यक्तियों में बम्बई में ११ प्रतिशत, दिल्ली में १६ प्रतिशत और कानपुर में १९ प्रतिशत व्यक्ति बहरे पाये गये।

पश्चिम बंगाल में जनवरी से जून, १९६१ तक की अवधि में 'मोडल हेल्थ और आइडियल रजिस्ट्रेशन' क्षेत्रों में अंधे, बहरे और गूंगे आदि के बारे में ब्योरे एकत्र किये गये और इनकी कुल संख्या १६,३२१ पायी गयी। इस गणना में बहरेपन के मामले ०.१ प्रतिशत पाये गये और बहरेपन और गूंगेपन के मामले ०.०३ प्रतिशत पाये गये।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को श्रवण यंत्र

१००. { **श्रीमती सावित्री निगम** :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की केन्द्रीय सरकार के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों और उनके बच्चों को राज-सहायता मूल्य पर श्रवण यंत्र देने की कोई योजना है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : ऐसी कोई योजना नहीं है।

केन्द्रीय सरकार में अस्पतालों में विशेष विभाग

१०१. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली नगरों में कन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन अस्पतालों में सामान्य परीक्षण के लिये विशेष विभाग खोले जाने का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय उपमंत्री में (डा० द० स० राजू) : (क) और (ख). ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। तथापि, दिल्ली में केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत इस योजना में शामिल होने वाले लोगो के सामान्य परीक्षण के लिये एक स्वास्थ्य क्लिनिक है।

नगर आयोजन

१०२. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले हर शहर को व्यवस्थित ढंग से आयोजन की योजना में रखा जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में, राज्यवार, की गयी प्रगति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस योजना की क्रियान्विति में केन्द्र ने क्या योग दिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). १७ अगस्त, १९६२ को परिचालित पत्र में योजना आयोग ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि एक लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले कस्बों और नगरों को यथासंभव अधिकाधिक संख्या में व्यवस्थित ढंग से आयोजन की योजना में रखा जाये। हर शहर अपने संसाधन तैयार करे और अपने नागरिकों को जीवन-निर्वाह की अच्छी स्थिति पैदा करने में सहायता दे। यह भी सुझाव दिया गया कि इसके लिये आवश्यक तैयारी तीसरी योजना में ही शुरू कर दी जायें इस पत्र के परिचालित किये जाने के तत्काल बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कारण अधिकांश राज्य सरकारें इस योजना पर कार्य आरम्भ नहीं कर सकी हैं। योजना आयोग के अगस्त, १९६२ का मुख्य उद्देश्य नगर विकास योजनाओं को राज्य योजनाओं से मिलाने के लिये उपयुक्त तरीके और प्रक्रिया निकालना और नगर निगमों को विकास योजनाओं के तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने देना है। अतः इसमें केन्द्र को बहुत थोड़ा काम करना है और नगर विकास योजनाओं के बनाने और उनके निष्पादन की मुख्य जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की है।

तेवरा दाल

९०३. श्री हरि विष्णु कामत : क्या स्वास्थ्य मंत्री १९ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'तेवरा दाल' की घातकता अथवा अन्यथा के बारे में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जा रही जांच इस बीच पूरी हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उप मंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) और (ख). भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्था ने बतलाया है कि रीवा में फील्ड यूनिट में किये गये महामारी-विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन से पता चला है कि अधरंग की घटनाएं लगभग ४ से ५ प्रतिशत तक हैं और यह रोग निश्चित रूप से बड़ी संख्या में कृषि श्रमिकों द्वारा लैथिरस सैटिवस के अत्यधिक उपभोग से होता है। महामारी वाले जिलों में अधिक भोजन के सर्वेक्षणों से स्पष्ट रूप से पता चला है कि अधरंग का श्रमिकों द्वारा दाल की खपत की मात्रा से बड़ा सम्बन्ध है। थोड़ी उम्र के व्यक्तियों को, विशेषतः पुरुषों को (११–३० वर्ष की आयु वाले) शीघ्र यह रोग होने का पता लगा है। एक बार यह रोग होने पर, वह व्यक्ति जीवन भर के लिये स्थायी रूप से अपंग हो जाता है।

हैदराबाद स्थित पोषक-तत्व अनुसंधान प्रयोगशाला में की गयी जांच से यह स्पष्टतः पता चला है कि लैथिरस सैटिवस के अल्कोहौलिक तत्वों का, यदि चूजों में इंजेक्शन लगाये जायें, तो उनसे इसके एक घंटे के भीतर ही विशिष्ट चेताविकारीय लक्षण नजर आते हैं। दालों में विद्यमान न्यूरोटाक्सिक तत्व को पृथक करने के लिये इन अध्ययनों का और विस्तार किया जा रहा है। न्यूरोटाक्सिन को पृथक कर दिया गया है और उसको आक्सेलिक एसिड और एमिनो एसिड के मिश्रण के रूप में रखा गया है। इस न्यूरोटाक्सिन का एक एक दिन के चूजों में ५ मिलीग्राम की न्यूनतम खुराक का इंजेक्शन देने पर चेताविकारीय लक्षण नजर आते हैं।

अन्य संस्थाओं में किये गये अध्ययनों के परिणाम अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

बिजली की खपत

९०४. { श्री बिश्वनाथ राय :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां इस समय बिजली की प्रति व्यक्ति खपत बहुत थोड़ी है; और

(ख) क्या सरकार इन राज्यों में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के लिये कोई प्रयत्न करेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) ३१-३-१९६३ को बिजली की प्रति व्यक्ति अखिल भारत वार्षिक औसत खपत ४८.२९ किलो वाट की तुलना में आन्ध्र प्रदेश, आसाम, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति खपत बहुत थोड़ी और इन के आंकड़े क्रमशः २५.२८, ४.३६, २१.७५, २६.२९, १४.५६ और १९.३३ किलोवाट हैं।

(ख) चौथी योजना में सभी राज्यों में भार पर आधारित अतिरिक्त जनरेटिंग योजनाएं आरम्भ करने की योजनाएं बनायी गयी हैं जिनके जुलाई १९६३ की भारत के प्रथम वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण प्रतिवेदन में प्राक्कलित रूप में विकसित होने की आशा है।

चौथी योजना में जहां तक संभव हो सकेगा बिजली की खपत के मामले में इस प्रादेशिक असन्तुलन को कम करने और न्यूनतम करने के लिए विशेष प्रयत्न किया जायेगा।

ग्राम्य आवास योजनाएं

९०५. { श्री कर्णीसिंह जी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम्य आवास योजना के सम्बन्ध में, जिस में लगभग ५,००० चुने हुए गांवों में मूल सामाजिक सुविधाएं देने के लिये आवास परियोजनाएं स्थापित करने की व्यवस्था है, राज्य सरकारों ने कितनी प्रगति की है ;

(ख) जब से यह योजना चल रही है, तब से इस ६ ½ वर्षों की अवधि में अब तक योजना लक्ष्यों के विरुद्ध कितने मकान बनाये गये हैं ; और

(ग) तीसरी योजना में, राज्यों ने और विशेषतः राजस्थान ने, कुल कितना व्यय किया, जिसमें कि १२ करोड़ रुपये से भी अधिक के परिव्यय का उपबन्ध है ?

निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों से मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) योजना के प्रथम दो वर्षों में कुल २१०.१४ लाख रुपये व्यय किये गये जिसमें से २८.८२ लाख रुपये राजस्थान में व्यय हुए। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना पर कुल ९२.२० लाख रुपये खर्च किये जायेंगे जिस में राजस्थान के लिये तीन लाख रुपये शामिल हैं।

चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान

९०६. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में ८ दिसम्बर, १९६३ को आयोजित भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी के दीक्षान्त समारोह की कार्यवाही के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसंधान कर्त्ताओं को उपयुक्त उपकरण और औजार देने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ताकि वे देश में चिकित्सा विज्ञान में गहन रूप से अनुसंधान कर सकें और एक परम्परा कायम कर सकें ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : डा० बी० आर० खनोलकर ने, भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी के अपने अध्यक्षीय भाषण में भारत में चिकित्सा अनुसंधान के संवर्द्धन के लिए पहलुओं का विश्लेषण किया और अनुसंधान के तरीकों में प्रशिक्षित व्यक्तियों का एक निकाय बनाने और उन को पर्याप्त उपकरण और प्रयोगशाला सुविधाएं देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कई प्रयोगशालायें खोलने की आवश्यकता पर भी बल दिया। जहां वैज्ञानिकों को अपनी इच्छा के अनुरूप जांच-कार्य करने के लिये सुविधायें और स्वतंत्रता दी जाये।

भारत सरकार ने क्षय रोग, कुष्ठ रोग, कैन्सर, छाती की बीमारियां, मानसिक स्वास्थ्य, संक्रमण रोगों आदि के विशेषित क्षेत्रों में कई अनुसंधान संस्थायें खोली हैं। इसमें अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, जिसको भारत सरकार द्वारा धन दिया जाता है। देश में संस्थाओं में और कालिजों में चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है। इस परिषद् ने हैदराबाद में पोषक-तत्व अनुसंधान प्रयोगशालायें, पूना में विषैला-तत्व अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता में हैजा अनुसंधान केन्द्र और मद्रास में क्षय रोग रासायन-चिकित्सा केन्द्र स्थापित किये हैं। इस ने चुने हुए चिकित्सा कालिजों में अनुसंधान सेल स्थापित करने और अनुसंधान-कर्ताओं की एक पदाली बनाने का फैसला किया है ताकि वे अनुसंधान को अपने व्यवसाय के रूप में अपना सकें। यह एक चिकित्सा अनुसंधान संस्था भी स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रही है जहां योग्य वैज्ञानिकों को चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के कई क्षेत्रों में बिना बाधा काम करने दिया जा सकेगा।

गंगा नदी का सर्वेक्षण

९०७. { **श्री हेम बरुआ** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने धुलियां से जालंगी घाट तक गंगा नदी का संयुक्त रूप से भारत-पाकिस्तानी सर्वेक्षण करने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां तो इस प्रस्तावित सर्वेक्षण के क्या विशिष्ट कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) गंगा नदी का एक सीमित संयुक्त भारत पाकिस्तानी सर्वेक्षण वहां मंजूर किया गया है, जहां इस का एक तट भारत में है और दूसरा तट पाकिस्तान में है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाकिस्तान में नदी के निचले भाग में किसी परियोजना को भारतीय क्षेत्र पर प्रभाव न पड़े।

निर्यात आयात बैंक से ऋण

१०८. { श्री वारियर :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैमीकल्स एण्ड फाइबर्स ग्राफ इंडिया लिमिटेड को १ करोड़ ५० लाख रुपये का ऋण देने के लिए निर्यात-आयात बैंक राजी हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) जी, हां। निर्यात आयात बैंक इस ऋण को देने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गया है ; ऋण करार—जिसमें कि ऋण की शर्तें दी हुई होंगी—पर अभी तक बातचीत चल रही है।

अतिश्वेतरक्तता[1] के लिये औषधि

१०९. { श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिश्वेतरक्तता के उपचार के लिये इंगलैंड में तैयार की गई नई औषधि की ओर सरकार का ध्यान गया है ;

(ख) क्या इस औषधि की प्रभावकारिता और उसके लाभ के बारे में भारतीय चिकित्सा विशेषज्ञों की राय को जानने का सरकार का विचार है ; और

(ग) क्या इस नवीन औषधि को भारत में भी आजमाने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) क्योंकि औषधि के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है अतः प्रश्न के इस भाग का उत्तर देना कठिन कार्य है। कदाचित् यह प्रश्न "लैंसेट" में हाल ही में प्रकाशित हुए एक समाचार पर आधारित है जोकि 'विन क्रिस्टाइन सल्फ़ेट' औषधि के बारे में भी जो इस समय मैसर्स इलो लिली एण्ड कम्पनी द्वारा इंगलैंड में 'ओनकोविन' के नाम से बेची जा रही है।

(ख) चिकित्सा विशेषज्ञों की रायों को जानने अथवा औषधालयों में इसके परीक्षण करने के प्रस्ताव का प्रश्न इस अवस्था पर नहीं उठता।

(ग) जैसाकि इस लेख से देखा जा सकता है, इस औषधि अर्थात् 'विनक्रिस्टाइन सल्फ़ेट' का नशीला प्रभाव होता तो है परन्तु वह स्थायी नहीं होता। अतिश्वेतरक्तता के उपचार में इस औषधि के महत्व को भली भांति जानने में पर्याप्त समय लगेगा।

[1]Leukaemia.

Heart Diseases

910. Shri M. L. Dwivedi:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Health** be pleased to state the number of persons who died of heart attack during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Dr. D. S. Raju): Reliable data regarding the number of persons who died of heart disease is not available. Attention in this connection is invited to Unstarred Question No. 65 answered in the Lok Sabha on the 27th February, 1964, copy attached.

कोठागुडम तापीय संयंत्र

९११. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री दिनांक १९ दिसम्बर, १९६३ अतारांकित प्रश्न संख्या १९२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के किन्हीं इंजीनियरों को इंगलैंड के मैसर्स इयूकेस एण्ड पार्टनर्स के पास, जोकि कोठागुडम तापीय संयंत्र के परामर्शदाता हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेज दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने इंजीनियर भेजे गये हैं और वे किस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) पांच इंजीनियर। वे तापीय स्टेशन के कार्य के सभी पहलुओं में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, विशेष रूप से आयोजन, रूपांकन, निर्माण तथा संचालन के सम्बन्ध में।

सीमाशुल्क विभाग द्वारा जब्त की गई तिब्बती ऊन

९१२. **श्री हेम राज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा-शुल्क विभाग द्वारा १९६२-६३ और १९६३-६४ में कितनी तिब्बती ऊन जब्त की गई थी और उसका मूल्य लगभग कितना था ;

(ख) कितने व्यापारियों अथवा कम्पनियों के चालान किये गये ; और

(ग) कितना जुर्माना किया गया और कितना वसूल किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) १९६२-६३ में ५५,८७५ रुपये के मूल्य की ८२३२.११ किलोग्राम ऊन जब्त की गई थी। १९६३-६४ में कुछ भी ऊन जब्त नहीं की गई।

(ख) तीन।

(ग) अन्तिम रूप में ४,६५० रुपये का जुरमाना किया गया था और वसूल किया गया था।

लाहौल और स्पिती जिलों में विद्युत् स्टेशन

११३. श्री हेम राज : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री दिनांक १९ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के लाहौल और स्पिती जिलों में सिस्सु और शेन्स नालों पर दो विद्युत स्टेशन स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं। तथापि, ऐसा समझा जाता है कि कुछ समय के लिये पंजाब सरकार की सिस्सु योजना के कार्य को आरम्भ करने का इरादा नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम्य जल सम्भरण अग्रिम परियोजनायें

११४. श्री हेम राज : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में अब तक कितनी ग्राम्य जल सम्भरण अग्रिम परियोजनायें प्रारम्भ की गई हैं ;

(ख) १९६४-६५ में कितनी परियोजनायें प्रारम्भ की जायेंगी ;

(ग) इस प्रयोजन के लिये कौन कौन से क्षेत्र चुने गये हैं ; और

(घ) प्रत्येक की अनुमानित लागत कितनी है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) एक भी नहीं।

(ख) गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास राज्यों में पांच ग्राम्य जल संभरण परियोजनाओं के प्रारम्भ किये जाने की आशा है।

(ग) और (घ). इन परियोजनाओं के लिये चुने गये क्षेत्र और प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	जिला	खण्ड	ग्रामों की संख्या		जनसंख्या		कुल अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
						वर्तमान	लक्ष्य	
१.	उत्तर प्रदेश . .	सहारनपुर	—	१६	७८	२२,६१६	२६,६६१	२६.८१
		गढ़वाल		६२				
२.	राजस्थान . .	उदयपुर	बड़गांव		१४०	—	५७,०००	११.६१
३.	पंजाब . .	कांगड़ा	नरपुर	९४	११८	१६,४४८ १६,६५०	२४,३१० २४,६३१	३६.१४
		गुरदासपुर	कहगुवां	२३				
			हरगोविन्दपुर	१				
४.	मद्रास	मदुराई	अठूर और बाटला-गुंडा		१५	—	५०,०००	१०.६३
५.	गुजरात . .	अहमदाबाद	बावला		११	—	१५,०००	९.४३

Family Planning

915. **Shri Tan Singh :** Will the Minister of **Health** be pleased to state ;

(a) whether any essence is being manufactured by Government that would be useful in Family Planning; and

(b) whether it is a fact that this essence has been experimented on rats successfully ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Dr. D S. Raju) : (a) No.

(b) Does not arise.

दन्त स्वास्थ्य सेवा

९१६. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में एक सार्वजनिक दन्त स्वास्थ्य सेवा को बहुत शीघ्र ही प्रारम्भ करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब प्रारम्भ की जायेगी और इस योजना की कुल लागत कितनी होगी ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तपेदिक नियंत्रण

९१७. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय योजना काल के अन्त तक भारत के सभी जिलों में तपेदिक नियंत्रण केन्द्र स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उप मंत्री (डा० द० स० राज) : (क) जी हां । तृतीय योजना काल के अन्त तक भारत के सभी जिलों में ही कम से कम एक एक तपेदिक चिकित्सालय खोलने का सरकार का प्रस्ताव है ।

(ख) तपेदिक चिकित्सालयों की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्न प्रकार की सहायता दी जायेगी :–

(१) भवनों के निर्माण सम्बंधी अनावर्ती व्यय का ७५ प्रतिशत दिया जायेगा । अनुमान है कि प्रति चिकित्सालय भवन निर्माण की लागत ९५,००० रुपये होगी ।

(२) यदि चिकित्सालय में राष्ट्रीय राजयक्ष्मा संस्था, बंगलौर में प्रशिक्षित किये गये कर्मचारीगण रखे जाते हैं तो संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा एक्स-रे और लेबोरेटरी उपकरण निःशुल्क दिया जाता है ।

(३) चिकित्सालय के संधारण सम्बंधी आवर्ती व्यय का ५० प्रतिशत भाग जिसके कि प्रति चिकित्सालय लगभग ५०,००० रुपये के होने का अनुमान है । भारत के जिन जिलों में इस समय तपेदिक चिकित्सालय नहीं हैं उनकी कुल संख्या १२३ है । यदि इन सभी जिलों में चिकित्सालय खोल

दिये जाते हैं तो उक्त प्रणाली के अनुसार केन्द्रीय सरकार ८७,६३,७५० रुपये का अनावर्ती व्यय वहन करेगी। आवर्ती व्यय इस बात पर निर्भर करेगा कि चालू योजना में कोई चिकित्सालय कितने समय कार्य करता है ।

कुछ विशेष वर्ग की योजनाओं के सम्बंध में राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा "अर्थोपाय अग्रिम राशियों" के रूप में सहायता दी जाती है ।

कलकत्ता में प्राकृतिक चिकित्सा का अखिल भारतीय कालेज

९१८. { **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम हरख यादव :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, १९६४ में कलकत्ता में प्राकृतिक चिकित्सा का एक अखिल भारतीय कालेज स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कालेज के लिये केन्द्रीय सरकार से कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) और (ख). कलकत्ता में प्राकृतिक चिकित्सा की एक केन्द्रीय संस्था की स्थापना के लिये भारत सरकार ने प्रकृति निकेतन न्यास, कलकत्ता को वित्तीय सहायता दी है। इस संस्था पर कुल अनुमानित व्यय निम्मलिखित होगा :—

	रुपये
(१) अनावर्ती व्यय	३,९१,०००
(२) आवर्ती व्यय	८८,०००

कालेज पर होने वाले अनावर्ती व्यय के ७५ प्रतिशत तक और आवर्ती व्यय के ५० प्रतिशत तक केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता देगी। अभी तक, कालेज भवन के निर्माण की लागत को पूरा करने के लिये न्यास को २,२५,००० रुपये दिया गया है।

यह कालेज जुलाई, १९६४ में चालू हो जायेगा ।

बम्बई में तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारी

९१९. { **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री राम हरख यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, १९६३ में उत्तरी बम्बई में माध द्वीप के निकट बम्बई के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय ने नगर पुलिस की सहायता से एक ट्रक को पकड़ा था १०,००० तोले चोरी छुपे लाया गया सोना और ४५० कलाई घड़ियां, जिसका कुल मूल्य १२ लाख रुपये था, ले जाई जा रहीं थी ; और

(ख) यदि हां, तो इससे सम्बन्धित ब्यौरे क्या हैं और सरकार ने तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध क्या कारंवाई की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) यह सच है कि २६ दिसम्बर, १९६३ को बम्बई में मलाद पर पुलिस अधिकारियों ने एक ट्रक पकड़ा था जिसमें कि ६,२५,००० रुपये के मूल्य की (अन्तर्राष्ट्रीय दर पर) १०,००० तोले के वजन की सोने की इंटें, ४५,००० रुपये के मूल्य की ४५० कलाई घड़ियां और १७० रुपये के मूल्य की कुछ अन्य वस्तुयें ले जायी जा रही थी।

(ख) ट्रक में बैठे पांचों व्यक्तियों को सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था और ३० दिसम्बर, १९६३ को उन्हें एडीशनल चीफ़ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया था। अब वे जमानत पर रिहा कर दिये गये हैं। मामले की छानबीन की जा रही है।

उड़ीसा सरकार के लेखों की लेखा-परीक्षा

९२०. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ गैर सरकारी फर्मों द्वारा वस्तुओं के सम्भरण से सम्बन्धित उड़ीसा राज्य सरकार के लेखों की जांच करने के लिये एक उप-महालेखा परीक्षक को विशेष रूप से उड़ीसा भेजा गया है ; और

(ख) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार से सम्बन्धित किसी रिपोर्ट के आधार पर ऐसा किया गया था ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां। उड़ीसा सरकार द्वारा की गई कुछ खरीदारियों से सम्बन्धित सौदों की विशेष लेखा-परीक्षा करने के लिये, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय से सम्बद्ध निरीक्षण निदेशक को दिसम्बर, १९६३ में उड़ीसा भेजा गया था।

(ख) राज्य सरकार की विशिष्ट प्रार्थना पर यह विशेष लेखा-परीक्षा का कार्य हाथ में लिया गया था।

Consumer Products Industry

921. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Planning Commission has suggested the decentralisation of the consumer products industry ; and

(b) if so, Government's reaction in this regard ?

The Minister of Planning (Shri C. R. Bhagat): (a) No, Sir. The matter is under the consideration of the Planning Commission.

(b) Does not arise.

बारापुल्ला नाले का पुल

९२२. **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से मथुरा जाने वाली सड़क पर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के निकट स्थित बारापुल्ली नाले के ४०० वर्ष पुराने पुल को गिराने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह मांग की गई है कि इस पुल को न गिराया जाये, परन्तु इसे एक संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करके इसे सुरक्षित रखा जा ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) से (ख) .दिल्ली में बाढ़ों और इसी प्रकार की दैवी आपत्तियों के विरुद्ध उपायों का आयोजन करने सम्बंधी समिति ने अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की थी कि बारापुल्ला नाले पर बड़ा पुल नामक पुल को नया रूप दिया जाय जिससे कि बारापुल्ला नाले में अपर्याप्त जलमार्ग के कारण उत्पन्न होने वाली भारी पानी की बाढ़ को आने से रोका जा सके। क्योंकि यह पुल एक संरक्षित स्मारक है इसलिये इस मामले की जांच की जा रही है।

राज्यों को आवंटन

६२३. श्री विभूति मिश्र: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में योजनाओं का निष्पादन करने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को किये जाने वाले आवंटनों को सरकार ने अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां ; विभिन्न राज्यों को कितना कितना आवंटन किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) आवंटनों का निर्धारण प्रति वर्ष किया जाता है। १९६४-६५ के लिये राज्य योजनाओं के हेतु केन्द्रीय सहायता के आवंटनों की राशियां राज्यों को बता दी गई हैं।

(ख) १९६४-६५ के लिये विभिन्न राज्यों को किये गये आवंटन संलग्न विवरण में दिखाये गये हैं।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य	केन्द्रीय सहायता
१.	आंध्र प्रदेश	४३.०५
२.	आसाम	२२.१०
३.	बिहार	५१.८०
४.	गुजरात	२१.९५
५.	जम्मू तथा काश्मीर	१३.९५
६.	केरल	२६.२०
७.	मध्य प्रदेश	४७.२०
८.	मद्रास	४३.४५
९.	महाराष्ट्र	३६.१०
१०.	मैसूर	२९.७५
११.	उड़ीसा	३४.२०
१२.	पंजाब	३२.१०
१३.	राजस्थान	३९.५५
१४.	उत्तर प्रदेश	७८.३०
१५.	पश्चिम बंगाल	३८.८०
	कुल योग	५५८.५०

भविष्य निधि पर ब्याज

९२४. श्रीमती लक्ष्मीबाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९६० के पश्चात भविष्य निधि पर दिये जाने वाले ब्याज की दर में कोई वृद्धि की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : जी हां। १ अप्रैल, १९६२ से यह ३·७५ प्रतिशत से बढ़ा कर ४ प्रतिशत कर दिया गया था।

पंजाब में सिंचाई योजनायें

९२५. श्री दलजीत सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना में सम्मिलित राज्य की बड़ी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिये पंजाब सरकार ने जो रुपया मांगा था वह सरकार ने मंजूर कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना रुपया मंजूर किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). तृतीय योजना काल के दौरान पंजाब की बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिये भारत सरकार ने अब तक २८ करोड़ १३ लाख रुपये के ऋण मंजूर किये हैं।

Plot for D. Ps. in Ulhasnagar (Maharashtra)

926. **Shri Baswant:** Will the Minister of **Works, Housing and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of plots allotted to displaced persons in Ulhasnagar (Maharashtra); and

(b) the number of families without plots ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Rehabilitation (Shri P. S. Naskar) : (a) and (b). The required information has been called for from the Government of Maharashtra and the Re gional Settlement Commissioner, Bombay, and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

टर्नर, मोरिस एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

९२७. { श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ८ फरवरी, १९६४ को कलकत्ता के सीमा-शुल्क विभाग द्वारा टर्नर, मोरिस एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता की तलाशी ली गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो यह तलाशी किस लिये ली गई थी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) जी, हां । ८ और १६ फरवरी, १९६४ के बीच कलकत्ता के सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों ने मैसर्स टर्नर मोरिसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के कार्यालय की तलाशी ली थी । उसी इमारत के जिस हिस्से का उपयोग मैसर्स ग्राहम्स ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा किया जा रहा है उसकी तलाशी १६ और १७ फरवरी को ली गई थी ।

(ख) यह तलाशी सीमाशुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १०५ के उपबन्धों के अधीन ली गई थी, क्यों कि सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को यह विश्वास था कि उस अधिनियम के अधीन की जाने वाली कर्यवाही के लिये जो दस्तावेज उपयोगी सिद्ध होंगे अथवा जो उससे सम्बद्ध हैं वे उन कार्यालय भवनों में छिपे हुए हैं जिनकी कि तलाशी ली गई थी ।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

९२८. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक राज्य के लिये कितनी रकम स्वीकार की गई है और १९६३-६४ में इस कार्य पर प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी रकम व्यय की गई है ; और

(ख) क्या सरकार संबंधित राज्यों द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन किये गये काम से संतुष्ट है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम १ अप्रल, १९५८ से उन्मूलन कार्यक्रम करने लगा था । राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के चालू करने की योजना के अधीन भारत सरकार ने डी०डी०टी०, मलेरिया विरोधी दवाइयां माइक्रोस्कोप तथा माइकोस्लाइड्स निर्धारित मात्रा में मुफ्त राज्य सरकारों को देना शुरू किया है तथा आयात किए गए सामान के संबंध में सीमा शुल्क के लिये अनुदान दिया है । राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन दिया जाने वाला अनुदान । सीमा शुल्क के लिये दिया गया धन तथा १९६३-६४ में संभरण की जाने वाली सामग्री की लागत दिखाने वाला विवरण संबद्ध है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—२४५९/६४ ।]**

सीमा-शुल्क के लिये अनुदान तथा सामग्री और उपकरण की लागत के अतिरिक्त भारत सरकार ने कर्मचारियों पर होने वाले व्यय का ५० प्रतिशत तथा अन्य व्यय जो राज्य सरकारों को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन नियंत्रण कार्यक्रम के लिये दिये गये व्यय से अतिरिक्त करना पड़ा हो, दिया है । निर्धारित लेखा प्रक्रिया के अनुसार इस सम्बंध में नक़द सहायता राज्य सरकारों को प्रत्येक योजनाओं के आधार पर नहीं दी जाती है अपितु योजना समूह को दी जाती हैं । इसलिये राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिये राज्य सरकारों को दी गई सहायता की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

चालू वर्ष में राज्य सरकारों द्वारा व्यय की गई राशि के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि अभी वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है ।

(ख) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का कार्य संतोषजनक रूप से हो रहा है । परन्तु कई कारणों से कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रगति कम हुई है । संबंधित राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों में कमियों को दूर करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं / उठाये गये हैं ।

त्रिपुरा का विकास

९२६. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना अवधि में त्रिपुरा की अर्थ व्यवस्था के विकास के लिये कोई विशेष योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसको छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों के विकास की ओर कोई विशेष ध्यान दिया गया है ; और

(ग) क्या तीसरी योजना अवधि में त्रिपुरा के लिये कोई सरकारी क्षेत्र उद्योग बनाने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन कई योजनायें हैं जो त्रिपुरा की अर्थ-व्यवस्था के लिये विशेषतया लाभदायक हैं।

(ख) निम्नलिखित योजनायें स्वीकार की गई हैं।

(१) लघु उद्योग विकास निगम ।

(२) सहकारी क्षेत्र में ३०० विद्युत घर थे ।

(ग) हाल में ही संबंधित मंत्रालयों के आवश्यक होने पर सरकारी क्षेत्र में कुछ उद्योग आरम्भ करने की संभावना का तकनीकी, आर्थिक संभावना का अध्ययन करने के लिये लिखा गया है।

हिमाचल प्रदेश में विद्युत विकास

९३०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने हिमाचल प्रदेश में विद्युत विकास के लिये सहायता देने का आश्वासन दिया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना पेश की है ; और

(ग) योजना का ब्योरा क्या है तथा कितनी सहायता देने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :(क) और (ख). जी हां।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में निम्न कार्यों के द्वारा अतिरिक्त ५०० नगरों तथा गांवों में बिजली लगाने की योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने बनाई है :

(१) नोगली में २५०० किलोवाट जल विद्युत स्टेशन की स्थापना ।

(२) पंजाब की भाखड़ा नांगल ग्रिड प्रणाली तथा नांगली जल विद्युत स्टेशन से राज्य में विद्युत वितरण के लिये १३३० किलोवाट विद्युत लाइन तथा १७७ सबस्टेशनों की स्थापना ;

(३) ऐसे क्षेत्रों, जिनमें पंजाब अथवा नांगली से बिजली नहीं दी जा सकती है, में माइक्रो-हाइडल स्टेशन स्थापित करना ।

इन कामों को पूरा करने के लिये तीसरी पंचवषीय योजना के अधीन योजना आयोग ने २०२.५६ लाख रुपया आवंटित किया गया था ।

उक्त निधि के आवंटन के अतिरिक्त केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग विद्युत योजनाओं को लागू करने के लिये स्थानीय सरकार को सहायता दी जाती है ।

पूर्व पाकिस्तान से विस्थापित तपेदिक के रोगी

९३१. श्रीमती ज्योत्सना चंदा : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित तपेदिक के रोगियों के लिये आसाम सरकार ने कितना धन स्वीकार किया है ; और

(ख) क्या सरकार धन राशि बढ़ाने का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) १,५०,००० रुपये ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि आसाम सरकार द्वारा मांगी गई रकम स्वीकार कर ली गई है ।

दिल्ली में बिजली की करैन्ट

९३२. श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "डी०आई०जैड" क्षेत्र में डी०सी० विद्युत करैन्ट को ए०सी० करैन्ट में बदलने के काम में कितनी प्रगति हुई है तथा इर्विन रोड के 'सी' टाइप मकानों में यह परिवर्तन कब तक कर दिया जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० श० नास्कर): "डी०आई० जैड" क्षेत्र के मकानों में डी०सी० करैन्ट को ए० सी० में बदलने का काम 'फेज़' २, ३ तथा ४ में विभाजित कर दिया है। 'फेज़' २ में अशोक रोड, तालकटोरा रोड, इर्विन रोड (सी टाइप) महादेव रोड तथा तालकटोरा पार्क आते हैं। यह काम पूरा हो रहा है। भाग ३ में पार्क लेन, हनुमान रोड, राउज़ लेन तथा इर्विन रोड के ३६ मकान (सी टाइप) आते हैं। आशा है कि यह काम लगभग एक वर्ष में पूरा हो जायेगा। भाग ४ के अन्तर्गत डी०आई०जैड क्षेत्र के अन्य मकान तथा इर्विन रोड के 'सी' टाइप के वह मकान आयेंगे जिनका क्षेत्र के पुनर्विकास का कोई प्रभाव नहीं होगा । भाग ४ अभी स्वीकार नहीं किया गया है ।

सिंचाई योजनायें

९३३. श्री द० ब० राजू : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई योजनाओं के लिये (राज्यवार) राज्यों को केन्द्र द्वारा कितनी रकम दी गई है ; और

(ख) उन सिंचाई योजनाओं पर राज्य (राज्यवार) ने कितनी धन राशि व्यय की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर पर रख दी जायेगी ।

एस्टेट अफसरों द्वारा तय किए गए मामले

६३४. **श्री राम स्वरूप :** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री २ मई, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक एस्टेट अफसरों द्वारा कितने मामले तय कर दिए गये हैं ;

(ख) कितने मामले गैर सरकारी व्यक्तियों के पक्ष में तय हुए हैं ; और

(ग) कितने मामले भूमि तथा विकास अधिकारी के पक्ष में तय हुए हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (ग). २१ जनवरी, १९६४ तक भूमि तथा विकास अधिकारी के कार्यालय के स्टेट अफसर ने ६२४ मामले निबटाये थे। अनाधिकृत रूप से कब्जा करने वालों के विरुद्ध ५८० मामले तय किए गए थे तथा शेष ४४ मामले या तो वापस ले लिये गये या भूमि तथा विकास अधिकारी द्वारा वापस ले लिये गये।

पट्टे पर दिए गए प्लाट

६३५. **श्री रामस्वरूप:** क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(घ) क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली क्षेत्र में १९२४ में अस्थाई पट्टे पर कुछ प्लाट दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में अस्थाई आबंटन किया गया था :

(ग) क्या इन प्लाटों को जिनकी सरकार को जरूरत नहीं शाश्वत पट्टे पर देने का कोई प्रस्ताव है ?

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

चेचक उन्मूलन

६३६. { **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में चेचक उन्मूलन का काम औषधियों की कमी के कारण रुक गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) और (ख). भारत में चेचक उन्मूलन कार्यक्रम क्रियान्विती चेचक के टीके के कारण नहीं रुकी है तथा रूस से नियमित संभरण हो रहा है। इसके अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सदस्य देशों से की गयी अपील के

प्रत्युत्तर में ब्रिटेन से ४० लाख चेचक के टीके दिये जाने का प्रस्ताव मिल गया है और स्विटजरलैंड तथा नीदरलैंड की सरकारों से ३२.५ लाख टीके दिए जाने का भी प्रस्ताव मिला है। जमे हुए सूखे टीके निम्नलिखित संस्थाओं में शीघ्र बनाने का काप हो रहा है :

(१) स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट करवडनाप ।

(२) किंग्स इस्टीट्यूट, गुइन्डीं ;

(३) वैक्सीन इंस्टीट्यूट, बेलगांव ;

(४) इंस्टीट्यूट आफ प्रिवेंटिव मैडिसिन, हैदराबाद ।

C. G. H. S. Dispensaries

937. **Shri Onkar Lal Berwa** : **Will** the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to paucity of staff in the Central Government Health Scheme dispensaries in Delhi and New Delhi, much inconvenience is being experienced and people have to stand in queues for hours; and

(b) if so, the steps Government propose to take to increase the staff and remove such inconvenience ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Dr. D. S. Raju): (a) and (b). The average attendance at the dispensaries increased from year to year since 1955 when it was 8180 to 22103 in 1963. The staff sanctioned has also been increased from 69 to 293 but there are some vacancies due to difficulties of recruitment. Steps are being taken to fill up the vacancies. It is not however a fact that people have to wait for hours and a survey conducted in 1961 showed that the waiting time did not exceed 40 minutes.

गुजरात में ग्रामीण जल संभरण

९३८. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजनावधि में राज्य के ३४४ गांवों में पीनेके पानी की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये ३२५ रुपये से अधिक वित्तीय सहायता देने के लिये गुजरात सरकार ने संघ-सरकार से कहा है; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है ।

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न विचाराधीन है ।

विदेशी विनियोजन

९३९. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दस वर्षों में वर्ष वार इस देश में विदेशों से कितना धन व्यापार में लगाया गया है ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : विदेशों से गैर-सरकारी साधनों से हुए विदेशी विनियोजनों के संबंध में निम्नलिखित विवरण दिया जाता है :

अन्त में		करोड़ में रुपये
जून	१६४८	२५५.८
दिसम्बर	१६५३	३६२.०
	१६५५	४५३.४
	१६५६	४७८.२
	१६५७	४६६.१
	१६५८	५००.४
	१६५६	५११.५
	१६६०	५६६.४
	१६६१	३५.४*
	१६६२	२६.६*
	१६६३	३७.४*

*भारतीय कम्पनियों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत गैर-सरकारी नये विदेशी विनियोजन हैं ।

दिनांक २८ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७७३ के उत्तर में शुद्धि

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): २८ नवम्बर, १६६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७७३ के उत्तर में मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में पचमढ़ी या होशंगाबाद किसी केन्द्रीय सरकारी कार्यालय को लेजाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । परन्तु १७ दिसम्बर, १६६३ को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का एक डिवीजन चला गया तथा एक डिवीजन तथा ४ सब-डिवीजन नागपुर से होशंगाबाद जाने वाले हैं । जिस समय इस प्रश्न का उत्तर दिया गया था उस समय सरकार को इन बातों की जानकारी नहीं थी तथा अशुद्ध उत्तर दिये जाने के लिये मुझे खेद है ।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

वर्ष १९६४–६५ के लिये दामोदर घाटी निगम के आय-व्यय्क प्राक्कलन

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): मैं वर्ष १६६४–६५ के लिये दामोदर घाटी निगम के आयव्ययक प्राक्कलनों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०–२४५२/६४]

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
पच्चीसवां प्रतिवेदन

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन से, जो ४ मार्च, १९६४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति क पच्चीसवें प्रतिवेदन से, जो ४ मार्च, १९६४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : वित्त विधेयक के विस्तार को देखते हुए और यह देखते हुए कि इस में ६५ खंड हैं, इस पर चर्चा के लिये १२½ घंटे का समय अपर्याप्त है। पहले इस पर चर्चा के लिये १७½ घंटे नियत किये गये थे। मेरा अनुरोध है कि इस पर चर्चा के लिये समय बढ़ाया जाए। इस विधेयक द्वारा आय-कर अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण अधिनियमों का संशोधन भी किया जायेगा और खंडवार चर्चा भी होगी। इसलिये यह राष्ट्रीय हित में भी है कि हम इस पर पूरी तरह विचार करें। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य सहयोग देंगे।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : गत वर्ष, १० वर्ष के पश्चात् संसद्-कार्य विभाग संबंधी अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर के हम ने एक अच्छी संसदीय प्रथा कायम की थी। मेरा अनुरोध है कि लोक-सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय संबंधी अनुदानों की मांगों पर सभा में अथवा सभा की एक समिति में यदि चर्चा हो, तो यह एक अन्य अच्छी संसदीय प्रथा होगी। संविधान के अनुच्छेद ९८ के अन्तर्गत ऐसा होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उस वाद-विवाद का उत्तर कौन देगा ?

श्री हरि विष्णु कामत : इसी लियेसंसद्-कार्य मंत्री से बात चीत के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस प्रयोजनार्थ एक समिति बनाई जाए, जिस में सभा के सभी दलों का प्रतिनिधित्व हो, जो आप की सुविधानुसार समय नियत करके इन दो सचिवालय संबंधी मांगों पर चर्चा कर सकेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आप की बात समझ ली है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर): मैं जानना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति किन सिद्धान्तों के आधार पर समय नियत करती है। किसी दिन आधा घंटा अधिक बैठ कर या शनिवार के दिन काम कर के कार्य निबटाने की बजाय ऐसा प्रबन्ध क्यों नहीं किया जाता है कि सभा की बैठकें कुछ दिन और हों। या आप प्रत्येक शनिवार बैठक करने का प्रबन्ध क्यों नहीं करते ?

अध्यक्ष महोदय : सभी दलों के प्रतिनिधियों ने संसद्-कार्य मंत्री से मिल कर कार्य के लिये समय नियत किया था। यह स्वयं दलों के प्रतिनिधियों ने फैसला किया है कि सभा दो अथवा तीन शनिवारों के दिन बैठे। यह कोई मान्य तर्क नहीं है कि या तो हम प्रत्येक शनिवार के दिन कार्य करें

[अध्यक्ष महोदय]

या किसी शनिवार के दिन नहीं। अब श्री मसानी चाहते हैं कि वित्त विधेयक पर चर्चा के लिये एक अन्य शनिवार के दिन बैठक हो। इस बारे में निर्णय सभा को लेना है। संसद्-कार्य मंत्री का क्या विचार है ?

श्री सत्यनारायण सिंह : यदि सभा यह चाहती है कि शनिवार के दिन बैठक हो और वित्त विधेयक पर चर्चा के लिये ५१/२ घंटे का समय और दिया जाय तो सरकार को इस में आपत्ति नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं तो केवल स्पष्टीकरण के तौर पर पूछना चाहता हूं कि कार्य का प्रबन्ध समिति द्वारा किन सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मेरे पास आ कर बात कर सकते हैं। सब से बड़ा सिद्धान्त यही है कि कार्य का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाए कि सभी दल उस से सहमत हों।

अब मैं श्री मसानी के इस संशोधन को भी सभा के निर्णय के लिये रखता हूं कि वित्त विधेयक पर चर्चा के लिये १२१/२ घंटे की बजाय १७१/२ घंटे का समय नियत किया जाए और इस प्रयोजनार्थ १८ अप्रैल, (शनिवार) को भी सभा की बैठक हो।

प्रश्न यह है

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन से, जो ४ मार्च, १९६४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET—GENERAL DICUSSION—(*Contd*).

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : Yesterday I was saying that we are still passing through our emergency period. We are confronted with danger from both China and Pakistan. Hence it is imperative for us to strengthen our defence. It is equally important to pay heed to the development side. Finances are required both for defence as well as development purposes. Finances can be acquired only by leaving taxes. But at the same time we must keep in mind the object of socialism inside the country.

The ideals of Democratic socialism and welfare state for the attainment of which our Government have taken the responsibility upon itself, can be realised only if the economic disparities found in the country are remedied. Crores of our men earn hardly eight or ten annas a day whereas the income of some persons is as high as 4, 6 or 8 thousands rupees or even one or two lacs per day. This condition is adverse to the principle of socialism which our Government avowedly accepts. This condition is retarding the progress of the nation. Bare necessities must be provided to all.

Agriculture is the main profession of our people . Nearly eighty to ninety percent of the masses depend on it. But we find that our agricultural production

is decreasing successively after the year 1960-61. The main factor responsible for this shortfall is that the tiller does not own the land. There can be no improvement in production unless the tiller of the soil is made the owner of land. Moreover, fertilizers, seeds and irrigation facilities must be provided to him. Secondly, though Government have effected decentralisation, and it is making available resources also inspite of all this little improvement is in sight. For this, I think, our administrative set up is also responsible. We should bring about improvements in the administrative set-up and give all kinds of incen tives to the farmers. Their crops should be insured.

Besides fertilizers, the farmers should also use manure made from cowdung and leaves, so that the productive capacity of the land does not deteriorate.

If we increase our production large amounts of foreign exchange can be saved. Another step to increase production is control over floods. Crops worth crores of rupees are yearly destroyed by floods alone in Bengal, Bihar, Assam and U. P. If we control floods our food problem can be solved to a considerable extent.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : No Minister is present in the House.

अध्यक्ष महोदय : अन्य मंत्री तो उपस्थित हैं परन्तु वित्त मंत्रालय से सम्बद्ध कोई मंत्री अवश्य उपस्थित होना चाहिए ।

Shri Vishwa Nath Pandey : No mention has been made of the existing disparities in the Government services in the Budget. We talk so much of socialistic ideals, but in our village we find the same abject poverty. Food shelter and clothing are not provided to the rural people. If we are true to our ideals we have to make people in the rural areas realise the ideals of socialism.

There are certain proposals in the Budget, like the withdrawal of C. D. S. removal of excise on Gramaphone records etc., which are most welcome. But no provision has been made for the backward areas of the country. No special consideration has been shown to the Harijans. No more concessions have been given to the farmers. Some relief should have been given by reducing indirect taxes.

U. P. which is most densely populated State is most backward in all respect in agriculture, in industries, in education etc., A Patel Committee was appointed for four districts of U. P. Davaria, Azamgarh, Jaunpur and Gazipur. But we do not know what happened to that. Devaria is my constituency whose population is 24 lakhs and total land available for them is 11 lakh acres. That means ½ acre of land comes to the share of one man. You can imagine how can the poor person make his both ends meet. Therefore these places should be industrialised, especially when raw materials are available there in plenty.

Hindi has been rightly accepted as the national language. This is the only language widely used in India. But it is a pity that we have not been able to give this language its proper place. A date should be fixed by which all the work of Government will be done through the medium of Hindi language.

श्री के० दे० मालवीय (बस्ती) : माननीय मंत्री द्वारा जिस प्रकार आय-व्ययक प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। उनका दृष्टिकोण पूर्णतः व्यावहारिक है। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यावहारिक नहीं हो सकता, परन्तु साथ ही साथ मेरे विचार में हम में अपने सिद्धान्तों और मूल उद्देश्यों को नहीं छोड़ना चाहिये। यह आय-व्ययक तैयार करते समय उन उद्देश्यों की

[श्री के० दे० मालवीय]

अवहेलना की गई है । यह बात वर्तमान स्थिति में और भी खटकने लगी है क्योंकि मूल्य ब रहे हैं, कृषि क्षेत्र में गति बद्धता आ गई है और सेवाओं के कार्य सम्पादन में भी गतिरोध आ गया है। भुवनेश्वर कांग्रेस अधिवेशन से जो धारणा लोगों के मन में बन्धी थी, वह आयव्ययक को देख कर छिन्न भिन्न हो गयी है ।

यह आयव्ययक उद्योग के हित की दृष्टि से तैयार किया गया है न कि कृषि के हित की दृष्टि से। भवनेश्वर अधिवेशन में बार बार इस बात पर बल दिया गया था कि वर्तमान संकट से छुटकारा पाने के लिये कृषि उत्पादन का बढ़ना अनिवार्य है। परन्तु वित्त मंत्री ने उद्योग, व्यापार आदि की दृष्टि से आयव्ययक तैयार किया है । सिंचाई और विद्युत् के लिये केवल ५ अथवा ६ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है जो पूर्णत: अपर्याप्त है । आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने संसाधन कृषि क्षेत्र में ही जुटायें । इस विषय में राज्य सरकारों को दोषी ठहराना अनुचित है । सिंचाई संबंधी सुविधा जहां कहीं उपलब्ध है भी वहां पर भी किसान उन से लाभ नहीं उठा सकता चूंकि उस के पास देने के लिये पैसा नहीं है । योजना आयोग आज तक इस बारे में किसी निर्णय तक नहीं पहुंच सका । आवश्यकता इस बात की है कि यदि किसान पैसा नहीं दे सकता तो उस के बावजूद भी उसे सिंचाई की सुविधा दी जाए । अपने निर्वाचन क्षेत्र में हम ने राज्य सरकार से ऋण ले कर ४० नलकूप लगाये परन्तु उन की क्षमता का १७ प्रतिशत भी अभी तक प्रयुक्त नहीं हो सका । इसका कारण यह है कि गांवों में लोगों के पास देने के लिये पैसा ही नहीं है ।

किसानों को बड़ी मात्रा में सहायता, खाद्यान्नों में राज्य द्वारा व्यापार तथा सिंचाई पद्धति के पुनर्गठन के बारे में आय व्ययक में कुछ नहीं कहा गया है । इसलिये मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि खाद्य उत्पादन संबंधी लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे । यदि हम चाहते हैं कि हम लक्ष्य प्राप्त करें तो ग्राम व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि हम योजना तो बनाते हैं परन्तु उसे कार्यान्वित नहीं कर सकते । वास्तव में हमारे कार्य करने में एक त्रुटि यह है कि किसी एक मंत्रालय को स्वतन्त्र रूप से काम नहीं करने दिया जाता । एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय के कामों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करता है । इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिये ।

अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के समान अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवाद भी है जो विकास के लिये बाधा सिद्ध होता है आप मद्रास पत्तन को लीजिये । हर छ: मास के पश्चात् कोई न कोई अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण वहां पर आता है और देखता है कि कार्यक्रम पूरा हो सकता है अथवा नहीं । इस के मुकाबले में गैर-सरकारी क्षेत्र की बड़ी बड़ी योजनाये हैं जिन पर अत्यधिक धन लगाया जाता है । और गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ तुलना की जाती है । उस के साथ सरकारी क्षेत्र की स्पर्धा है । परन्तु जो सुविधायें गैर-सरकारी क्षेत्र को उपलब्ध हैं वह सरकारी क्षेत्र को उपलब्ध नहीं है । इसलिये यह आशा करना कि सरकारी क्षेत्र से तुरन्त लाभ होने लगे अनुचित है । यदि सरकार चाहती है कि भारी एवं आधारभूत उद्योगों का विकास हो तो इन से तुरन्त लाभ की आशा नहीं करनी चाहिये । भारी उपभोक्ता, सामान, जैसे कपड़ा, मशीनें, आदि से तुरन्त लाभ प्राप्त होता है उसलिये यह उद्योग सरकारी क्षेत्र में होने चाहियें ।

वित्त मंत्री के एकाधिकार संबंधी विचारों से भी मैं असहमत हूं । आज देश में एकाधिकार बढ़ रहा है जो कि समाजवादी सिद्धान्तों के विपरीत है । एकाधिकार से आर्थिक विषमता बढ़ रही है और लोग पिस रहे हैं । यदि इस विषमता को रोका न गया तो भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ।

योजनाओं का सब से अधिक लाभ एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र को पहुंचा है। बड़े बड़े उद्योगपति अपनी इच्छानुसार मूल्यों को घटा बढ़ा सकते हैं। और लाभ कमा सकते हैं। इन के साथ ही प्रबन्ध अर्भ कर्ता, निदेशक, बिचौलिये, और वित्त उपलब्ध करने वाले व्यवसाय हैं। जो समूचे भ्रष्टाचार के लिये उत्तरदायी हैं। इन लोगों पर नियन्त्रण प्राप्त करने संबंधी विधान बनाने से काम नहीं चलेगा, आवश्यकता इस बात की है कि सरकार व्यापार को अपने हाथ में ले। देश में लगभग ३००० करोड़ रुपया ऐसा है जिस को लेखों में नहीं दिखाया जाता। सरकार को समाजवादी दृष्टिकोण से उपयुक्त कार्यवाही कर के इस धन को निकलवाना चाहिये।

बहुत से सार्थ जो पहले ब्रिटेन के लोगों द्वारा चलाये जाते थे आज लोगों के हाथ में आ गये हैं और उन के प्रति नरम नीति अपनाना ठीक नहीं होगा। विदेशी विनियोजन को प्रोत्साहन देने से हमारी अर्थव्यवस्था में विषमता और बढ़ेगी।

प्रैस, बैंकों और उद्योगों में एकाधिकार बढ़ रहा है। दियासलाई की विमको कम्पनी का ६० प्रतिशत काम केवल एक व्यक्ति के हाथ में है। वही इसके मूल्य पर नियंत्रण रखता है। इसी प्रकार बिड़ला वालों का भी एकाधिकार है। बाल-बेयरिंग उद्योग केवल एक व्यक्ति के हाथ में है।

इसलिये भुवनेश्वर संकल्प की ओर ध्यान दे कर समाजवादी सिद्धान्त को कार्यरूप देने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की जानी चाहिये। एकाधिकार को समाप्त कर के विषमता को दूर किया जाना चाहिये। आयव्ययक के द्वारा आम लोगों को अधिक रियायतें दी जानी चाहिएं। आय-व्ययक इस का पुनरीक्षण कर के इसे एक समाजवादी रूप देना चाहिये।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): Mr. Speaker, Sir, we are discussing the grants involving an amount to the tune of 200 crores or rather 550 crores of rupees to find out whether better means could be substituted for raising this amount or whether it could be spent on more important items. It is rather a larger question which has its impact over whole of the nation.

In the first place, I would like to submit that the question of relationship between Minister and bureaucrates is of vital importance. To cite a case in last February the hon. Home Minister has appointed a gentleman as a Member of U. P. S. C.

Mr. Spekear: I would again like to submit to the hon. Member that a prior notice is necessary if It is intended to raise any individual case and if the reply is sought from the Minister.

Dr. Ram Manohar Lohia: I had already communicated to the hon. Minister that I intended to raise this issue during the Budget Session and I had also received his reply. I was not aware of this fact that it was also necessary to inform you.

The person concerned was Chief Engineer in Bihar State till March, 1956 when on 6th March, 1956 the question of relieving him of his services was discussed at length in the Bihar Assembly and his services were done away with; although there were still two years for his retirement.

Subsequently in July, 1956 he was appointed as the Chief Engineer for flood control in the Delhi administration by the present Home Minister who was in charge of Irrigation at that time. Later, in February 1964, as I have just now stated, he was appointed as a Member of U. P. S. C. He is a relative of the Home Minister. He is the son of his aunts' aunt.

Shri Sidheswar Prasad (Nalanda) **:** Sir, It is against the prestige of the House to make such individual references.

An hon. Member : It is against the decorum of the House. (*Interruption*)

Mr Speaker : Order, order. I have allowed the hon. Member to raise this issue though it is not ordinarily permisible unless prior notice is given. But the limit should not exceed. He has referred to the Engineer and now he need not to go into further relationship.

Shri R. S. Pandey (Guna) : Sir, I rise on a point of order. You have on various occasion given your direction that as far as possible the reference to individual names should be avoided in the House. Still the things are going on and it is all the more regrettable that your order are not observed. Is would like to know what is the real position in this respect.

श्री वी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मेरा भी एक औचित्य प्रश्न है क्या हम यहां लोगों के वैवाहिक सेवाओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं ।

Dr. Ram Manohar Lohia : I would ask for your indulgence to listen to me before you give your direction.

We are discussing here over the issue of the relationship between the administration and politics. If the relation obtaining between bureaucrates and Ministers becomes partial and arbitrary, there is no doubt that whole of the country would go to dogs. If I can prove that the hon. Minister has shown favouritism towards this officer by arbitrarily giving him oppointment against the rules at two occasions it would almost amount to showing that the administration of the country is completely debased and that there is no respect for any rules whatsoever.

Mr. Speaker : He has finished . Now he may resume his seat.

Shri Pandey has raised a point of order. I had already objected to this thing and had requestedDr. Lohia that prior notice should be given in such cases. However, I have allowed it when the hon. Member informed me that he had given advance notice of this issue to the Minister. But I would again request that it would be better if things are not stretched too far. He has finished his statement on this point and now he should proceed further.

Dr. Ram Manohar Lohia : I was trying to develop the point to say it a case of gross corruption if the Minister employ bureaucracy for the purpose of grabing the money for themselves, for their relatives. or for their own party or if, they use it for concentrating power in their] own hands so as to make their party strong enough to take hold of the administration of the country.

Next thing which requires our attention is the relationship between trade and politics. To cite a case, a person who was on one occasion fined by the Government for in dulging in malpractices has been appointed as a managing agent of British India Corporation through the votes of L.I.C. perhaps because he has donated a huge amount , 26 or 30 lacs, to the congress party for election purposes.

Thirdly I want to draw your attention towards this fact that human life seems to have lost all its value in India that murders have become very common here. A full fledged discussion over this subject should be immediately be held here in the House.

The evasion of tax has been referred to in the House every now and then and it has been estimated that unaccounted money to the extent of rupees 800 crores is in circulation in the market. In this reference it would not be out of place to mention that the amount of house tax being levied on Prime Minister's house at Allahabad is rupees 1800 per year whereas it ought to be about rupees 1800 or 2000 per month.

Mr. Speaker: Who levies the tax?

Dr. Ram Manohar Lohia: The Allahabad Corporation.

Mr. Speaker: Then why he should have raised the matter here?

Dr. Ram Manohar Lohia: I myself do not like to refer to these sort of things but when there is extreme........(Interruptions). It is a mistake if this *Jhund* thinks that I can be cowed by their shouting.

Mr. Speaker: It is not proper to address the House as *Jhund*. Despite all the bitter feelings we should exhibit some sense of respect in our behaviour with each other.

Dr. Ram Manohar Lohia: I never meant it for the House as such I was refering to a certain group of members.

I always like to go into the root causes of the things...To me the basic cause of this present unhappy state of affairs appears to be that whole of Hindu Society, which constitutes the majority of the population in India, has degenesrated. There is so such groupism and demoralisation in the society and for last 1500 years nothing in the society has changed for good. There is so much disunity in the country, based on caste, creed financial standing etc. that nothing short of revolutionary shake up can liberate it.

In addition to all these differences there is gross econmic disparity prevailing in the country in that 27 crores of population has to live on 3 annas per day while a large portion of the income about 500 crores of rupees, is grabed by 5 million people belonging to capitalist class. It is only in our country that capitalists are allowed 30 to 40 per cent profit and still there are talks of giving them incentives. In administration too money is being spent levishly. Until the high profits occuring to the capitalists is curbed, and pump and show in the bureaucracy is bade good bye we would not succeed in capital formation or in lightening the burden of taxes.

If land revenue on the holdings measuring 6-1/2 acres and below is exempted Government would lose only 60 or 70 crores but it would mean much to the farmer.

In my opinion the price of foodgrains should not be allowed to rise more than one anna per seer during the whole period between two harvests.

As far as I know Ministers and not the secretaries are responsible for all the decisions taken in their respective Ministries. It was not proper on the part of Shri A.K. Sen, to shield himself by reading out the opinion of the Secretary of the Law Ministry as he did yesterday.

Mr. Speaker : I agree with the hon. member on this point but members here were insisting to know the opinion of the secretary.

Dr. Ram Manohar Lohia : In the end I would like to say that it is not the budget which will bring socialism in the country, it would be achieved only when 43 crores of people would revolt.

श्री हेडा (निजामाबाद) : श्रीमान्, आजकल मंत्रियों पर आरोप लगाने की प्रवृत्ति चल पड़ी है। कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाये जिससे यदि कोई सदस्य किसी आरोप को सिद्ध न कर पाये तो वह अपना दोष स्वीकार करे।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in this Chair

माननीय मंत्री ने बजट में करों का एक ऐसा ढांचा प्रस्तुत किया है जो दुनिया के किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिल सकता। हर्ष का विषय है कि उन्होंने उद्योगों और व्यापार में तथा विभिन्न उद्योगों के प्रति भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण अपनाया है। समस्त गैर-सरकारी क्षेत्र को एक ही दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं है।

मूल्यों के बढ़ने का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। निर्धारित वेतन पाने वाले लोग और निम्न मध्य वर्ग के लोग इससे सबसे अधिक पीड़ित हैं। माननीय मंत्री इस बात को अनुभव करते हैं किन्तु उन्होंने जहां मूल्य वृद्धि को रोकने का प्रयत्न किया है, वहां उसे कम करने का कुछ भी प्रयत्न नहीं किया गया। मैं समझता हू कि यह उनके कार्यक्षेत्र के बाहर की बात थी।

मल्यों की वृद्धि से दृढ़ मनोवृत्ति वाले व्यक्तियों का भी विश्वास मिल गया है। श्री वियोगी हरि ने, जो एक रचनात्मक कार्यकर्ता हैं, अपने लेख में अपनी आशका प्रकट की है उन्हें देश का भविष्य उज्वल नजर नही आता।

समाजवाद के दो भिन्न पहलू हैं। एक तो यह कि विषमता को दूर किया जाये, धन का समान वितरण हो और दूसरा यह कि उत्पादन पर अधिक महत्व दिया जाये। इस समय उत्पादन पर बल देने की आवश्यकता है। मुख्यतः उत्पादन कृषि क्षेत्र में बढ़ना चाहिये। कृषि के उत्पादन में कमी के दो मुख्य कारण हैं एक तो यह कि ऋण प्राप्त करने में किसानों को काफी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं और कई मामलों में वह किसी दूसरे कार्य के लिये खर्च कर दिया जाता है। ऋण प्राप्त करने के क्षेत्र में भी राजनैतिक प्रभाव का बोलबाला है।

दूसरा कारण यह है कि इस क्षेत्र में भी समर्थ व्यक्ति ही प्रगति कर सकता है। जिस व्यक्ति को खाना भी कठिनाई से प्राप्त करता है वह इस क्षेत्र में भी आगे नहीं बढ़ सकता। कम एकड़ भूमि में रुपया लगाने से अधिक एकड़ भूमि की अपेक्षा कम तेजी से उत्पादन बढ़ता है। इसलिये ऋण उस किसान को दिया जाये जिसमें इसका उपयोग करने की क्षमता हो। छोटे किसानों की प्रगति के लिये हमें सहकारिता आदि व्यवस्थाओं का आश्रय लेना चाहिये।

कई वर्षों से अत्यावश्यक कच्चे माल के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं। नया वित्तीय वर्ष चालू होते समय इन वस्तुओं के मूल्य बढते रहते हैं। लोहा, कोयला आदि जैसा वस्तुए, जो किसी भी उद्योग के उत्पादन के लिये बहुत आवश्यक हैं, अधिकाधिक महगी होती जा रही हैं जिसका परिणाम यह होता है कि भारत में मजदूरी अन्य देशों की अपेक्षा बहुत सस्ती होने के बावजूद

भी तैयार उत्पादों के मूल्य दूसरे देशों की तुलना में बहुत अधिक होते हैं। मूल्य अधिक होने के कारण हम इन तैयार वस्तुओं का निर्यात नहीं कर सकते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में हम दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि प्राक्कलन समिति ने अपनी रेलवे मंत्रालय और इटीग्रेवल कोच फैक्टरी सम्बन्धी पैंतालीसवीं रिपोर्ट में भी इस बात की चर्चा की है कि मूल्य अधिक होने के कारण हम निर्यात के मामले में पीछे रह गये हैं। सरकार को इस दिशा में उचित कदम उठाने चाहिये।

यह आश्चर्य की बात है कि वित्त मंत्री महोदय ने बताया है कि रेशम में चोर बाजारी रोकने के लिये इस पर उत्पादन शुल्क लगाया गया है जबकि अन्य कई वस्तुए जो चोर बाजार में बिक रही हैं उन पर उत्पादन शुल्क में छूट दी गई है। इस प्रकार किसी वस्तु पर उत्पादन शुल्क लगाने या इससे छूट देने से चोर बाजारी नहीं रोकी जा सकती है।

जबकि आयव्ययक में ६० करोड़ रुपये की बचत दिखाई है, वित्त मंत्री द्वारा अतिरिक्त कर लगाने का कोई औचित्य नहीं है। मिट्टी के तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन शुल्क पर कम से कम ५ करोड़ रुपये तक की छूट दी जानी चाहिये थी जिससे उपभोक्ताओं को किसी सीमा तक राहत मिल पाती।

श्री नि० च० चटर्जी (बर्दवान) : प्रस्तुत आयव्ययक बड़ी होशियारी से तैयार किया गया है और इसे तैयार करने वाले प्रजातंत्र तथा जनसाधारण के प्रति वफादार नहीं है। यह स्पष्ट है कि यह आयव्ययक एकाधिपत्यों को लाभ पहुचाने के लिये तैयार किया गया है। जैसा कि भुवनेश्वर कांग्रेस अधिवेशन में प्रायोजित किया गया था, इस आयव्ययक में प्रजातंत्र अथवा समाजवाद को बढ़ावा देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

अनिवार्य जमा योजना समाप्त किये जाने से निस्सदेह लोगों को कुछ राहत मिली । वित्त मंत्री द्वारा वार्षिकी (एन्विटी) जमा योजना चालू किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इससे जमा करने वालों को कोई लाभ नहीं होगा। अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा की गई राशि पर किसी प्रकार का आय कर नहीं लिया जाता था किन्तु वार्षिकी जमा योजना से किस्तों द्वारा धन वापिस करते समय किस्त की राशि पर आयकर लिया जायेगा।

यद्यपि वित्त मंत्री महोदय ने मध्य वर्ग को आय कर में छूट देकर चालाकी से शांत करने का प्रयत्न किया गया है, किन्तु राष्ट्रीय उन्नति तथा आर्थिक प्रगति की दृष्टि से प्रस्तुत आयव्ययक निराशाजनक है।

आयव्ययक में साम्य जी में विदेशी एकाधिपत्यों की सहभागिता की व्यवस्था की गई जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अंग्रेज लोग भारत की स्वतंत्रता के समय, पाकिस्तान रियासतें आदि बहुत सी समस्यायें हमारे सिर पर रख गये हैं। अब वे यहां पर पूंजीपतियों के रूप में हमारे देश पर छा जाना चाहते हैं। यहां पर अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करने से पहले अंग्रेज व्यापारी के रूप में आये थे। आज अंग्रेज ही नहीं अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि कई देशों को यहां पर व्यापारी के रूप में बुलाया जा रहा है। सरकार भारतीय करदाताओं द्वारा दिये गये धन को लाभ के रूप में विदेशों को जाने दे रही है। सरकार उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न कर बहूत बड़ी गलती कर रही है। सरकार को विदेशी पूंजी सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करना चाहिये। पूर्व इसके कि हम अपने आर्थिक जीवन में विदेशी पूंजी को छा जाने दें, हमें इस मामले में गंभीरता

[श्री नि० च२ चटर्जी]

से विचार करना चाहिए । हम राजनैतिक दासता का सामना कर सकते हैं किन्तु आर्थिक दासता का सामना करना आसान काम नहीं है । माननीय वित्त मंत्री द्वारा भारतीय अर्थ-व्यवस्था को गलत दिशा की ओर ले जाया जा रहा है, जिसका सभी देशभक्त नागरिकों द्वारा विरोध किया जाना चाहिए ।

यह अत्यन्त निराशाजनक बात है कि प्रस्तुत आयव्ययक में पूर्वी बंगाल में ९२ लाख अल्पसंख्यकों के लिये, जिन्हें भीषण खतरे का सामना करना पड़ रहा है, कुछ व्यवस्था नहीं की गई है । कलकत्ता के नागरिक सम्मेलन में पास किये गये प्रस्ताव में वहां के नागरिकों द्वारा मांग किये जाने पर भारत सरकार ने घोषित किया था कि अल्पसंख्यक लोग जो पाकिस्तान में दुखी हैं और वहां नहीं रह सकते उनके लिये भारत के दरवाजे खुले हैं । उन्हें प्रव्रजन सम्बन्धी सारी सुविधायें दी जायेंगी ।

श्री रघुनाथ सिंह के अनुसार भारत पहुंचने वाले शरणार्थियों की संख्या १,२०,००० है और १,४०,००० लोगों के प्रव्रजन के लिये आवेदन पत्र अनिर्णित पड़े हैं । ताजे समाचारों के अनुसार भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय के सामने प्रव्रजन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये लोगों की बहुत लम्बी पंक्ति लगी रहती है । गृह मंत्री के यह आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी कि यह राष्ट्रीय समस्या है और सरकार पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को बसाने का उत्तरदायित्व लेती है, प्रस्तुत आयव्ययक में इसका कोई उल्लेख नहीं है ।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान में ढाका स्थित हमारे उच्चायुक्त के कार्यालय में अधिकारी प्रव्रजन प्रमाणपत्र जारी करने में अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं । प्रव्रजन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के इच्छुक अल्पसंख्यकों के साथ स्वयं हमारे अधिकारियों द्वारा उन्हें पीटा जा रहा है और उनके साथ अपमानजनक बर्ताव किया जा रहा है । प्रव्रजन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये प्रार्थनापत्र देने के लिये भारतीय अधिकारियों द्वारा ४ या ५ रुपये घूस के रूप में लिये जा रहे हैं । सरकार द्वारा जो दायित्व अपने ऊपर लिया गया था वह उसे निभाने में असमर्थ रही है । शीघ्र ही जो १० लाख लोग बेघर हो कर भारत आने वाले हैं सरकार को उनको बसाने के लिये कोई उचित व्यवस्था करनी चाहिए ।

आज जब ब्रिटेन और अमेरिका काश्मीर के मुसलमानों को आत्म-निर्णय का अधिकार दिये जाने का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या हम भी यह मांग नहीं कर सकते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान के नारायणगंज, खुलना तथा जेसोर स्थानों में जहां हिन्दुओं और ईसाइयों पर अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं उन्हें भी आत्मनिर्णय का अधिकार मिले । जिस प्रकार काश्मीर घाटी में मुसलमानों की स्वायत्त क्षेत्र की मांग पर जोर दिया जा रहा है उसी प्रकार पूर्वी पाकिस्तान में बहुसंख्यक हिन्दुओं वाले क्षेत्रों में भी स्वायत्तता की मांग की जानी चाहिए ।

भारत सरकार को नेहरू—लियाकत पैक्ट को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ने इस समझौते का कभी पालन नहीं किया है । हमें यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने ले जाना चाहिए और विश्व के राष्ट्रों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि किस प्रकार पाकिस्तान आयोजित ढग से अल्पसंख्यकों का संहार कर रहा है । अन्त में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार द्वारा पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की सहायता के लिये दिये गये वचन का पालन करने के लिये आयव्ययक में उपबन्ध किया जाना चाहिए ।

श्री बसुमतारी (ग्वालपाड़ा) : आयव्ययक लोकतन्त्रात्मक समाजवाद की स्थापना के उद्देश्यों को सामने रख कर तैयार किया गया है। जैसा कि बहुत लोगों ने इसे निराशाजनक बताया है किन्तु मुझे इसमें ऐसी कोई निराशा नहीं दिखाई देती है।

यह अच्छी बात है कि अनिवार्य जमा योजना समाप्त कर दी गई है। यह और भी अच्छा होता यदि ५०० रुपये तक वेतन पाने वालों को आयकर से छूट दी जाती। वार्षिकी जमा योजना चालू करके तथा कुछ समवायों पर कर लगा कर वित्त मंत्री ने देश की धन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न किया है। अधिलाभ-कर को अधिकर में बदलना तथा व्यय कर फिर से लागू किया जाना अच्छी बात है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक राष्ट्रीय आय में ५ गुनी वृद्धि हुई है जो देश की तीव्र गति से आर्थिक विकास का द्योतक है।

योजना आयोग क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने की दिशा में कार्य कर रहा है, किन्तु यह आश्चर्य तथा दुर्भाग्य की बात है कि विकास उन्हीं स्थानों पर हो रहे हैं जो पहले ही विकसित हैं और जहां लोग अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आसाम जैसे राज्य में, जहां के लोग अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में असमर्थ हैं, प्रगति बड़ी ही निराशाजनक है। सिंचाई और विद्युत मंत्री श्री कु० ल० राव इस बात से अच्छी तरह अवगत हैं कि वहां बिजली और उद्योग के पर्याप्त साधन विद्यमान हैं, किन्तु उनका उपयोग नहीं किया गया है। यह मैं ही नहीं सारे आसाम के लोग कहते हैं।

जैसा कि अभी श्री नि० च० चटर्जी बता चुके हैं, पूर्वी पाकिस्तान से लोग हज़ारों की संख्या में अपने स्त्री व बच्चों को वहीं छोड़ कर भारत आ रहे हैं। यह एक गम्भीर समस्या है। इन लोगों के पुनर्वास की शीघ्र उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इस समस्या के अलावा राज्य को प्रायः बाढ़, भूकम्प, अकाल तथा विद्रोही नागाओं की कार्यवाहियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना बहुत सुदृढ़तापूर्वक करने की आवश्यकता है। इन समस्याओं को स्थानीय समस्या नहीं अपितु राष्ट्रीय समस्यायें समझ कर हल करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिए।

परिवहन तथा संचार के मामले में भी आसाम बहुत पिछड़ा हुआ है। यही कारण है कि चीनी आक्रमण के समय हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। वास्तव में देश के विभाजन के बाद आसाम, मनीपुर, त्रिपुरा तथा नेफा देश के अन्य भागों से अलग से हो गये थे और सरकार द्वारा भी इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। इन क्षेत्रों का विकास सुरक्षा की दृष्टि से अलग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सरकार को वहां रेल और सड़कों का जाल बिछाने के लिये तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। एक सड़क जमदौर से गुरुबासा, सिदली, बिजनी, बारोमा और ताम्लपुर क्षेत्रों से होती हुई मिशामड़ी तक बनाई जानी चाहिए। जब तक हिमालय की तलहटी का पूर्ण रूप से विकास नहीं किया जाता है तब तक हम चीन और पाकिस्तान से खतरे का सामना नहीं कर सकते हैं। आसाम में परिवहन व्यवस्था के अभाव के कारण आसाम की जनता को प्रायः खाद्य की कमी का सामना करना पड़ता है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह आसाम राज्य की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकता को देखते हुए, इस कार्य को प्राथमिकता दे।

इन कठिनाइयों के साथ-साथ आसाम को प्रायः दैवी प्रकोपों का सामना भी करना पड़ता है। वहां पर बरसात में सदा बाढ़ का खतरा बना रहता है। इस बाढ़ से वहां प्रति वर्ष लाखों रूपये की सम्पत्ति की हानि होती है। इस बाढ़ पर नियंत्रण रखने के लिये ब्रह्मपुत्र नदी पर

[श्री बसू मतारी]

नियंत्रण रखना होगा। इस नदी पर भाखड़ा नंगल जैसी कोई परियोजना बनाई जानी चाहिए जिससे बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ आसाम राज्य को विद्युत शक्ति भी उपलब्ध हो सकेगी जिससे उस क्षेत्र के औद्योगिक विकास में सहायता मिल सकती है।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सम्बन्ध है, उनके बारे में निराश होने की कोई बात नहीं है। वित्त मंत्री का यह कथन कुछ सीमा तक सच है कि ये उपक्रम पिछड़ गये हैं। इनके पिछड़ने का कारण सरकारी उपक्रमों में नौकरशाही का बोलबाला तथा विभिन्न मदों में फिजूल खर्ची है। सरकार को इनमें प्रशासनिक सुधार करना चाहिए और अनावश्यक व्यय पर रोक लगानी चाहिए।

सरकार को प्रजातान्त्रिक समाजवाद के सिद्धान्तों के अनुसार देश का आर्थिक विकास करना चाहिये। मिट्टी का तेल, दियासलाई आदि आवश्यक वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क हटा कर निर्धन वर्ग को कुछ राहत दी जानी चाहिये।

श्री दे० द० पुरी (कैथल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय भारत की अर्थ-व्यवस्था को तीन बड़े खतरे हैं। जिनके बारे में मैं संक्षेप में उल्लेख करूंगा।

पहला खतरा यह है कि कृषि उत्पादन गिर रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें केवल एक वर्ष में ३ ' ३ प्रतिशत की कमी हुई है। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए यह अत्यन्त गम्भीर बात है। यह और भी अधिक भय की बात है कि प्रस्तुत आयव्ययक को देखने से ऐसा लगता है कि सरकार को समस्या की गम्भीरता तथा उसको सुलझाने के लिये अपेक्षित कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं है। उदाहरणार्थ, देश में चीनी की स्थिति के विषय में सरकार का अनुमान सदा ही गलत रहा है, यद्यपि सरकार को यहां सभा में तथा सभा से बाहर बार बार चेतावनी दी गयी है। सरकार इसके बारे में अनभिज्ञ ही नहीं है अपितु जानकारी प्राप्त ही नहीं करना चाहती है। स्थिति के बारे में पूछे जाने पर मंत्री महोदय सही सूचना देने के बजाय नाराज हो जाते हैं। चीनी की स्थिति के बारे में कुल १७ वक्तव्य दिये गये हैं जिनमें से एक भी सही नहीं है। सरकार के लिये आवश्यक बात यह है वह समस्या की गम्भीरता और तत्परता को समझने का प्रयत्न करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच अच्छा समन्वय होना चाहिये।

हमारी अर्थ व्यवस्था को दूसरा खतरा लगातार तेजी से बढ़ते हुए मूल्यों से है। मूल्यों में गत वर्ष हुई वृद्धि की तुलना में इस समय मूल्यों में तिगुनी वृद्धि हो चुकी है। हमारी अर्थ-व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी यह है मूल्य बढ़ने से उत्पादकों को किसी प्रकार का लाभ नहीं होता है। बढ़े हुए मूल्यों के परिणामस्वरूप जो धन आता है वह बिचौलियों की जेब में चला जाता है। उत्पादकों को आज उनके उत्पादों का जो मूल्य मिलता है, उससे अधिक मूल्य मिलना चाहिये। इसके साथ साथ उन वस्तुओं के मूल्य कम होने चाहिएं जिनकी कृषकों को आवश्यकता होती है। कृषकों को उर्वरक तथा ऋण सम्बन्धी सुविधायें दी जानी चाहिए। रेलवे द्वारा मालभाड़ा में वृद्धि तथा इस्पात पर से नियंत्रण हटाने का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था के प्रत्येक भाग पर पड़ेगा। इससे उन सब वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे जिनका प्रयोग उत्पादन में किया जाता है। इस्पात जैसी महत्वपूर्ण वस्तु के मूल्यों में अधिक वृद्धि होना लज्जा जनक बात है। अमेरिका में इस्पात को जितना महत्व दिया जाता है वह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि एक बार वहां पर इस्पात के मूल्य बढ़ने पर भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री कैनेडी ने कहा था कि इस्पात के मूल्य में वृद्धि करके देश की अर्थव्यवस्था पर आघात किया गया है। सरकार को राष्ट्रपति कैनेडी के इन शब्दों से सबक लेना चाहिए।

भारतीय अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक खतरा अविदित धन तथा तस्कर सोने का है। इस समय भारत में इस प्रकार की धन राशि का अनुमान कई अरब रुपयों में लगाया गया है। यह भारतीय अर्थ व्यवस्था के लिये एक ऐसा रोग है जो सरकार द्वारा किये गये सारे राजकोषीय प्रयत्नों को निरर्थक बना देता है। इस प्रकार का धन रखने वाले लोग देश के वैसे ही शत्रु हैं जैसे चीन और पाकिस्तान । इन व्यक्तियों के विरुद्ध भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्दयता से कार्यवाही करनी चाहिए।

मृत सम्पदा कर लगाने का कोई औचित्य नहीं है इससे सरकार को आय तो कम होगी, किन्तु लोगों में भ्रष्टाचार अधिक बढ़ेगा, लोग करों से बचने के लिए अनुचित उपाय अपनायेंगे।

यह बहुत अच्छी बात है कि नये आयव्ययक प्रस्तावों के अनुसार निगमित क्षेत्र का वह भाग जो राष्ट्रीय महत्व के उत्पादन में लगा है, अपनी आय का अधिकांश भाग पुनः व्यापार में लगा सकेगा। इससे निगमित क्षेत्र को राहत तथा प्रोत्साहन मिला है ।

उन सब समवायों को, जिनके उत्पादन से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास होता है, उस श्रेणी में रखा जाना चाहिए जिनमें जनसाधारण की पर्याप्त रुचि है। इसके अतिरिक्त कुछ निश्चित न्यूनतम लाभांश को धन की लागत का लाभांश माना जाय तथा कुछ सीमा तक राशियों को ७½ प्रतिशत कर से छूट दी जाये।

अधिकर सम्बन्धी कमियों को अधिनियम के अन्तर्गत एक वर्ष से दूसरे वर्ष में ले जाया जाये तथा पुराने अधिलाभ से उत्पन्न कमियों के समन्वय की, अधिकर लागू करने से पहले, अनुमति दी जाये।

आयव्ययक में विदेशियों को साम्य पूंजी में सहभागिता के लिये प्रोत्साहन दिया गया है। यह एक अनुचित बात है। किसी भी व्यक्ति को, जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, भारत में पूंजी लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। वित्त मंत्री को विदेशी पूंजी सम्बन्धी नीति के बारे में सभा के सामने एक स्पष्ट तथा असंदिग्ध वक्तव्य देना चाहिये।

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने आयव्ययक, तैयार करने में जो कठिन परिश्रम किया है उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। कई सदस्यों द्वारा इस आयव्ययक की आलोचना किये जाने पर भी यह स्पष्ट है कि वित्त मंत्री ने जिस कराधान सिद्धान्तों का उल्लेख किया वह ठोस प्रकार का है। इसके बारे में किसी को भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कर केवल वर्तमान व्यय को पूरा करने की दृष्टि से नहीं लगाये जाते हैं अपितु इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था का विकास तथा आर्थिक विषमताओं को कम करना भी है। इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए प्रस्तुत आयव्ययक तैयार किया गया है।

यह अच्छी बात है कि वित्त मंत्री ने अनावश्यक नियंत्रण तथा राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी भय से उद्योगों को राहत दी है। करापवंचन, भ्रष्टाचार, चोरबाजारी तथा मुनाफाखोरी को रोकने के लिये प्रस्तावित उपायों का स्वागत है। एकाधिकारों की जांच करने के लिये आयोग स्थापित करना एक अच्छी बात है। यद्यपि कई वस्तुओं पर से उत्पादन शुल्क हटा दिया गया है तथा कर व्यवस्था का सरलीकरण करके अच्छा कदम उठाया गया है, परन्तु यह अधिक अच्छा होता यदि ग्रामोफोन रिकार्डों के स्थान पर मिट्टी का तेल, दियासलाई आदि दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं पर से उत्पादन शुल्क हटा कर जन साधारण को राहत दी जाती। मोटरकारों पर ५० प्रतिशत से ६०

2553 (ai) LSD—6.

[श्रीमती यशोदा रेड्डी]

प्रतिशत तक की कटौती ठीक नहीं है, क्यों केवल धनी लोग ही चोरबाजारी के धन से इनका उपयोग करते हैं ।

निगमित क्षेत्रों को कुछ रियायतें इस बजट में दी गई हैं । यदि इसका उद्देश्य लोगों को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करना है, तो यह सर्वथा उचित ही है, इसमें कोई बुराई नहीं । हमने मिश्रित अर्थ व्यवस्था की नीति को स्वीकार किया हुआ है, जिसमें सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों को स्थान प्राप्त हैं । अतः इन दोनों क्षेत्रों के उद्योगों को प्रोत्साहन देना हमारा कर्त्तव्य हो जाता है । हमें सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के बीच भेद नहीं मानना चाहिये ।

निजी करारोपण के संबंध में वित्त मंत्री द्वारा काल्पनिक दृष्टिकोण अपनाये जाने का भान होता है । अनिवार्य बचत योजना का समाप्त किया जाना और छोटे तथा मध्यम दर्जे को आय कर से राहत देना इस बात का द्योतक है । समाजबाद को बढ़ावा देने की दृष्टि से मृत व्यक्ति की सम्पत्ति पर कर लगाया गया है । पैतृक सम्पत्ति के रूप में लोगों को जो धन प्राप्त होता है, उस पर अधिक कर लगाने की आवश्यकता है ।

वित्त विधेयक में कर अपवंचन के मामले में यह उचित ही है कि गलत सूचना देने के लिये दण्ड देने और जांच पड़ताल करने तथा पुस्तकों व धन आदि को बरामद करने के लिये सरकार को अधिकार देना जरूरी है, क्योंकि इस समय बहुत बड़े पैमाने पर कर अपवंचन होता है । इस रोग को दूर करने के निमित्त कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये ।

वित्त मंत्री को प्रशासन में से लाल फीताशाही, व्यर्थ की कार्यवाही और विलम्ब को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये, क्योंकि इन्हीं कारणों से प्रत्येक काम से हर जगह विलम्ब होता है और प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है ।

भ्रष्टाचार की समस्या की जड़ें बहुत लम्बी और गहरी फैली हुई हैं और समस्त समाज में व्याप्त हैं । अतः इसको सक्रिय तथा प्रभावपूर्ण तरीके से हल करने की जरूरत है । सत्तारूढ़ दल के प्रत्येक सदस्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिये कि इस पर सन्देह न किया जाए, और चूंकि कांग्रेसे देश का प्रशासन चलाती है, अतः कांग्रेसजनों को समाज के समक्ष अपने व्यवहार से आदर्श प्रस्तुत करना होगा । कांग्रेस के सभी सदस्यों को चाहिये कि वे अपनी निजी अस्तियों, सम्पतियों, और धन आदि का पूर्ण विवरण पेश करें, ताकि जनता को मालूम हो सके कि वे भ्रष्टाचारी नहीं हैं । ऐसा करना परमावश्यक है ।

साधारण व्यक्ति की हालत अत्यंत दयनीय है । उसे निर्वाह करना ही कठिन हो रहा है । मंहगाई बढ़ती जा रही है । अतः गरीब जनता की अवस्था को सम्भालने के लिये हमें प्रयत्नशील होना चाहिये । जब तक लोगों के लिये भोजन, वस्त्र, और मकान तथा चिकित्सा की व्यवस्था नहीं की जाएगी और मुफ्त शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह सर्वथा असम्भव है कि हम उनकी स्थिति को ऊंचा उठा सकें । इसलिये हमें उनकी हालत को सुधारना चाहिये क्योंकि उसके बिना हमारी सब नीतियां बेकार और असफल होंगी ।

राष्ट्र की सम्पत्ति कोषों में नहीं, बल्कि जनता में निहित होनी है, अतः उनके लिये सभी प्रकार की सुविधायें प्रदान की जानी चाहियें । खाद्य समस्या को लीजिये । खाद्य तथा कृषि में सम्यक अग्रता

होनी चाहिये । इसके लिये उत्पादन पहलू अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया । नियंत्रण आदि उपायों के द्वारा खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती । सरकार को प्रति एकड़ कृषि उपज को बढ़ाने का भी प्रयत्न करना चाहिये । पी० एल० ४८० पर निर्भर होने से काम नहीं चल सकता । इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करती हूं ।

श्री मनोहरन (मद्रास दक्षिण) : यह आय व्ययक विचित्र किस्म का है । इसकी बड़ी प्रतिक्रिया हुई है । श्री रघुनाथ सिंह ने कहा है कि यह न वाम पंथी है और न दक्षिण पंथी है । इसी प्रकार अन्य सदस्यों ने भी काफी आलोचना की है ।

समाजवाद का नारा जो सरकार द्वारा लगाया जा रहा है, उसके सम्बंध में सत्तारूढ़ दल के जो विचार हैं, उन पर देश के लोगों को सन्देह होता है । समाजवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिये इस बजट में कुछ भी नहीं किया गया । करारोपण पद्धति को देखने से तो यह प्रतीत होता है ।

यह जो बजट पेश किया गया है, इससे बड़ी निराशा होती है, क्योंकि इसमें न तो उद्देश्य पूर्ति के लिये कोई उपाय बताया गया है और न ही उद्देश्य के प्रति निष्ठा है अथवा इसको कार्य रूप में परिणत करने का कोई प्रयास है । यह तो केवल मात्र उद्देश्य का नारा लगाता है । क्रियान्विति सर्वथा शून्य है ।

आज तक जितने भी बजट पेश किये गये हैं, उनके द्वारा बड़ा भारी भार देश पर डाला गया है । जितने कर पहले में विद्यमान हैं, जनता उनसे ही अत्यधिक परेशान हो चुकी है । और इस बार तो कर अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गये हैं । फिर कैसे इस आय व्ययक को समाजवादी कहा जा सकता है । यह आय व्ययक जनता को चूसने का एक यंत्र है । दुखी जनता को दबाना ही इसका लक्ष्य रहा है ।

कृषि के संबंध में यदि एक ओर कहीं थोड़ी बहुत उन्नति दिखाई देती है, तो दूसरी और तीसरी ओर अवनति । कृषि जिस पर समस्त समाज निर्भर है, इसने महान तथा महत्वपूर्ण उद्योग के संबंध में सरकार की ऐसी निकृष्ट नीति देश के लिये घातक है । इससे देश की सुरक्षा को भी हानि है और विकास होना तो असंभव है । इस प्रकार की एकांगी नीति को बदलना चाहिये ।

[श्री तिरुमल्ल राव पीठासीन हुए ।
SHRI THIRUMALA RAO *in the chair.*]

सरकार ने इस बजट के द्वारा अनिवार्य बचत योजना समाप्त तो कर दी है, परन्तु लोगों को चालू वर्ष में धन जमा करना ही पड़ेगा । यह बहुत गलत बात है । कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों को धन जमा न करना पड़े, क्योंकि उनके पास धन जमा करने के लिये कुछ नहीं बचता । मंत्री इसकी ओर भी ध्यान दें ।

भारतीय रुपये की कीमत बहुत अधिक गिर गई है । पहले एक रुपये में जितना माल मिल सकता था, अब वह कई रुपयों में भी नहीं मिल पाता । ऐसी खराब स्थिति की ओर सरकार को गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिये ।

देश में कर अपवंचन की समस्या बहुत भयानक है । लाखों करोड़ों रुपयों का कर अपवंचन होता है जिसको राष्ट्र को हानि होती है । सरकार को इस दिशा में ठोस तथा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिये । इस प्रकार की कार्रवाई की जाए कि एकाधिकार भी बढ़ने न पायें, क्योंकि उनके द्वारा आर्थिक विषमता बढ़ती है और गरीब जनता परेशान होती है ।

जब तक सीधे परोक्ष करों को हटाकर सीधे करों का आश्रय नहीं लिया जाता और परोक्ष करों पर पुनरीक्षण नहीं किया जाता, समाजवाद को लाना असंभव है । परन्तु जनता को परोक्ष करों में कोई राहत नहीं दी गई । पूर्व स्थिति यथावत विद्यमान है । मूल्यों को स्थिर करने की दिशा में भी सरकार को कोई समुचित उपाय करने चाहियें ।

देश में चोर बाजारी का धन बहुत बड़ी मात्रा में विद्यमान है । उसी कारण मूल्यों में वृद्धि होती है और चोर बाजारी पनपती है । सरकार को सोचना चाहिये कि इस रोग को दूर करने के लिये वह चालू मुद्रा को रद्द कर दे और नवीन मुद्रा जारी करें । यदि सरकार इस उपाय का अवलम्ब ले तो छिपा हुआ धन निकल सकता है । वित्त मंत्री इन सब सुझावों पर विचार करके देश के प्रति न्याय करे और प्रजातत्रीय समाजवाद को देश में लाने का प्रयत्न करें, जिससे जनता को सरकार के प्रति विश्वास उत्पन्न हो ।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): कुछ माननीय सदस्य एक ओर तो यह कहते हैं कि आर्थिक विकास सुनिश्चित और तीव्र गति से होना चाहिये और दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि आर्थिक विकास के लिये जो आवश्यक उपाय हैं वे नहीं किये जाने चाहिये, अर्थात कर नहीं बढ़ाये जाने चाहिये । आज हमारे सामने जो समस्याएं हैं वित्त मंत्री उन से अच्छी तरह अवगत हैं । कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि प्रत्यक्ष करों को नहीं बढ़ाया जाना चाहिये जबकि दूसरे माननीय सदस्यों का कहना है कि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि नहीं होनी चाहिये । मेरी समझ में नहीं आता कि इन परस्पर विरोधी बातों के होते हुए समस्या का कैसे समाधान हो सकता है ।

अब आप निगम कर को लीजिये । श्री मसानी और कुछ अन्य सदस्यों ने इसकी आलोचना की है और यह प्रश्न उठाया है कि इस सबंध में कुछ उद्योगों के साथ भेद भाव क्यों वर्ता गया है । कुछ उद्योगों को रियायतें क्यों दी गई हैं । परन्तु माननीय सदस्य को अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते पता होना चाहिये कि एक नियोजित अर्थ व्यवस्था में प्राथमिकता का उतना ही महत्व है जितना कि स्वयं योजना का । कुछ उद्योगों को प्राथमिकता देना आवश्यक बन जाता है । आधार भूत उद्योगों को मजबूत बनाये बिना हम अपनी अर्थ व्यवस्था को कैसे मजबूत बना सकते हैं आज हमारे सामने बेरोजगारी की समस्या भी है और इसलिये हमें उन उद्योगों का भी ध्यान रखना पड़ता है जिस में मजदूर बड़ी सख्या में काम करते हैं । इनका वैज्ञानिक व्यवस्था करण नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ जायेगी । इसलिये इन उद्योगों को भी कुछ रियायतें दी गई हैं । मैं इस बात पर फिर जोर दूंगी कि हमारे देश के आर्थिक विकास में बुनियादी उद्योगों जैसे इस्पात, ऐल्यूमिनियम, उर्वरक और मशीनें बनाने वाल उद्योगों का बड़ा महत्व है । हम सदैव आयात किये गये उपकरणों पर निर्भर नहीं रह सकते । यह खेद की बात है कि फिर भी यह कहा जाता है कि इन बुनियादी उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये । यदि हम अपनी अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि विदेशी पूंजी का विनियोजन और आयात की मात्रा दिन प्रति दिन घटती जाये । आय व्ययक में निगम कर को ५० प्रतिशत से घटा कर ४५ प्रतिशत करने का प्रस्ताव है और यह भी कि अधिकर २० प्रतिशत घटा दिया जायेगा । इससे बुनियादी उद्योगों को अधिक लाभ होने लगेगा । और इस बचत का विनियोजन भी उन्हीं उद्योगों में किया जायेगा जो देश की अच्छी अर्थ व्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि मसानी साहब को इसमें क्या बुराई दिखाई देती है । बुनियादी उद्योगों के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में विनियोजन करने के कार्य को भी प्रोडसाहन दिया गया है । अधिलाभ कर के स्थान पर अधिकर लागू करने से समस्त उद्योगों को सहायता मिलेगी । माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि प्रतिरक्षा और विकास के

लिये हमें अधिक संसाधन चाहिये और इसका भार करारोपण द्वारा लोगों पर ही पड़ेगा। जो लोग सहन कर सकते हैं उन पर अधिक भार पड़ेगा और जो लोग सहन नहीं कर सकते उन पर कम पड़ेगा।

समवाय अधिनियम की धारा "२३ क" के अन्तर्गत जो समवाय आते हैं उनके लाभों पर कर ५० प्रतिशत से बढ़ा कर ६० प्रतिशत किया जा रहा है। इन समवायों के लाभांश के भुगतानों पर लाभांश कर भी लागू होगा। हमारा पिछला अनुभव यह है कि कभी कभी समवायों की पूंजी लाभांशों के वितरण में ही चली जाती थी और उसका फिर से विनियोजन नहीं होता था। इसलिये यह लाभांश कर लगाना पड़ा।

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कम आय वाले लोगों पर करों का कम भार पड़े। आय व्ययक में यह व्यवस्था की गई है कि १५,००० रु० प्रति वर्ष तक की आय वाले लोगों पर कर की दरें कम हैं और अधिक आय वाले लोगों पर इन दरों में पर्याप्त वृद्धि की गई है। मुझे हर्ष है कि सभा ने सामान्य रूप से इस प्रस्ताव का स्वागत किया है।

दूसरी आलोचना उपहार कर और संपदा शुल्क के बारे में की गई है। मैं सभा को बता दूं कि धन की असमता आय की असमता से अधिक गंभीर स्वरूप की है। अतः इसकी जो आलोचना की गई है वह उचित नहीं है।

दीर्घकालीन पूंजी लाभों पर अधिक कर लगाने से राज कोष में आने वाले राजस्व में भी वृद्धि होगी। सबको पता है कि सम्पति के मूल्य दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिन व्यक्तियों को बिना परिश्रम किये सम्पत्ति मिल जाती है उन पर कर लगाने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

अमीर लोगों में फिजूल खर्ची को रोकने के लिए व्यय कर की व्यवस्था की गई है। मैं ने देखा है कि अमीर लोग १०-१५ रु० के मूल्य की आयात की गई वस्तुओं पर १०० रु० तक खर्च करने से नहीं हिचकिचाते। इन फिजूल खर्चियों की सभा में कई बार आलोचना की गई है। अतः इस कर के लगाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

आज हमारे सामने करापवंचन की भी समस्या है। मैं कुछ माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस समस्या को हल करने के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। जो भी संभव बातें होतीं हैं हम करते हैं। इस दिशा में हमारे प्रयत्न सफल हो रहे हैं। वर्तमान आयव्ययक में करापवंचन के लिये अधिक दण्डों की व्यवस्था की गई है।

इस बात का भी जिक्र किया गया है कि करों को वसूल करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात को पूरा करने के भी भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अब मैं उन वस्तुओं को लेती हूं जिनका कम आमदनी वाले लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है। इस बात का ख्याल रखा गया है कि इन वस्तुओं पर और कर न लगाया जाये। इस संबंध में सभी लोगों ने आयव्ययक की सराहना की है। मोटे कपड़े पर कर नहीं लगाया गया है, केवल बढ़िया कपड़े पर ही लगाया गया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि जनसाधारण के उपभोग की वस्तुओं पर जो उत्पादन शुल्क लगाया हुआ है उसमें पर्याप्त कमी होनी चाहिये। श्री मसानी ने सुझाव दिया है कि मिट्टी के तेल और चीनी पर से उत्पादन शुल्क हटा लेना चाहिये। चीनी दुर्लभ पदार्थों के अंतर्गत आती है और उस पर से उत्पादन शुल्क हटाने का परिणाम यही होगा

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

कि बिचोलिये अधिक मुनाफा कमायेंगे और मूल्यों में और वृद्धि हो जायेगी । मिट्टी के तेल पर हमारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है । इसलिये हमें इसके उपभोग को बढ़ने से रोकना है । अतः यह कहना कि इन वस्तुओं पर से उत्पादन शुल्क बिलकुल हटा देना चाहिये उचित बात नहीं है ।

अब मैं बचत को लेती हूं । हमारी अर्थ-व्यवस्था में बचत का बड़ा महत्व है । प्रायः यह कहा गया है कि विनियोजन के बिना विकास नहीं हो सकता और बचत के बिना विनियोजन नहीं हो सकता । व्यक्तिगत बचत के दो फायदे हैं । एक तो यह कि व्यक्तिगत खर्चे में कमी होती है और दूसरे यह कि मुद्रास्फीति को बढ़ने से रोकती है । हम कब तक विदेशी ऋणों और करों का सहारा लेते रहेंगे आखिर हमें बचत का सहारा लेना ही पड़ेगा ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. SPEAKER *in the Chair*]

छोटी बचत से योजनाओं के लिये वित्त प्राप्त होने में काफी सहारा मिलता है । चालू वर्ष में छोटी बचत में काफी वृद्धि हुई है । इस से पता चलता है कि यद्यपि सदस्य इसकी आलोचना करें फिर भी जनता ने अपना कर्तव्य पालन किया है और विश्व को बता दिया है कि वे अपने कर्तव्य को जानते हैं । चालू वर्ष के प्रथम दस मासों में ८१ करोड़ रु० इकट्ठा किया गया जब कि पिछले वर्ष उसी काल में इकट्ठी की गई यह राशि ३७ करोड़ ० थी । परन्तु जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने आय-व्ययक के भाषण में बताया, इस गति पर भी हम योजना के लिये आवश्यक ६०० करोड़ रुपये का लक्ष्य पूरा नहीं कर पायेंगे ।

अनिवार्य बचत योजना को पूर्ण रूप से हटा लिया गया है और कम आय वाले लोगों पर अब इसका भार नहीं पड़ेगा ।

अब मैं विस्थापित व्यक्तियों की समस्या के बारे में कुछ कहना चाहूंगी । मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री अपने उत्तर में इस पहलू को भी लेंगे । जिस दिन स्थिति अधिक गंभीर हो गई थी तो वित्त मंत्री ने कलकत्ता में स्पष्ट शब्दों में बता दिया था कि इन विस्थापित व्यक्तियों को बसाने की जिम्मेदारी हमारी होगी । इस से अधिक हम उन से और क्या कहने की आशा रख सकते हैं । यदि आय-व्ययक में इसका उल्लेख नहीं किया गया है तो इस में कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिये क्योंकि सरकार ने अनेक बार इस समस्या के सम्बन्ध में चिंता प्रकट की है । वित्त मंत्री स्वयं अनेक अवसरों पर इस संबंध में बोले हैं ।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं कोलार की सोने की खानों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगी । श्री त्रिवेदी ने प्रश्न उठाया कि हम नुकसान उठा कर इन खानों को क्यों चला रहे हैं । इस में दो बातें हैं । एक तो यह कि सोना एक दुर्लभ वस्तु है और हम पहले से ही विदेशी मुद्रा की कमी का सामना कर रहे हैं । इसलिये जितना भी सोना हम सम्भवतया निकाल सकते हैं हमें निकालना चाहिये । इस के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के प्रति हमारा कर्तव्य है । हानि उठाने का दूसरा कारण यह है कि हम केवल निर्धारित किये गये दर पर सोना बेच या खरीद सकते हैं । अब हम ने इन खानों को अपने हाथ में ले लिया है । इन खानों के कार्य में किस प्रकार सुधार हो सकता है इस सम्बन्ध में हम ने एक समिति

नियुक्त की है। समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं जिन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं कुछ मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे, परन्तु हम उन्हें अन्य कामों पर लगाने का यत्न करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

महाराज कुमार विजय आनन्द (विशाखापटनम): मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय वित्त मंत्री को इस बात पर बधाई देता हूं कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी वह सफलता प्राप्त करते चले जा रहे हैं। मैं अधिक आंकड़ों में जाना नहीं चाहता। केवल व्यय कर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पहले हम देख चुके हैं कि इस कर से हमें सफलता नहीं मिली। मेरी समझ में नहीं आता फिर इस कर को क्यों लगाया जा रहा है।

आज स्वतंत्रता को प्राप्त किये १६ वर्ष हो गये हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। परन्तु ग्रामीण लोगों के लिये हम ने आज तक कुछ नहीं किया है। हम ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि उनकी क्या आवश्यकतायें हैं, जो कि सरकार का पहला कर्तव्य था। गांवों में उन के लिये सड़कें नहीं हैं। बरसात में उन के घर गिर जाते हैं, वहां पर पुलों की व्यवस्था नहीं है, डाक्टरों की व्यवस्था नहीं है। हमें कपड़े और खाद्य पदार्थों के मूल्य कम करने चाहिये। यदि आप ये दो बातें नहीं करेंगे, तो आपको ऐसी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जिसका आप मुकाबला नहीं कर सकते।

मेरा सम्बन्ध खेल कूद से रहा है। मैं हिटलर की अधिकांश बातों से सहमत नहीं हूं, परन्तु एक बात से अवश्य सहमत हूं और वह यह कि उसने जर्मनी को, पोषक खुराक, अनिवार्य शारीरिक शिक्षा और अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण दे कर, बहुत मजबूत बना दिया।

गत वर्ष मैं ने अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण का प्रस्ताव किया था, परन्तु उस पर कोई विचार नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि जब कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो कर बाहर आता है तो उसके पास दो प्रमाण पत्र अवश्य होने चाहिये; एक तो यह कि वह शारीरिक रूप से ठीक है और दूसरा यह कि कोई उसने सैनिक प्रशिक्षण ग्रहण किया है। आज हमारे सामने जो समस्याएं हैं उन के समाधान के लिये इन दोनों बातों का होना अत्यावश्यक है।

इन बातों को पूरा करने के लिये हमें खेल कूद के मैदानों की व्यवस्था करनी चाहिये जिस से कि प्रत्येक व्यक्ति दिन भर के काम के बाद कुछ खेल सके।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

अतः मैं निवेदन करूंगा कि खेल कूद और अनिवार्य शिक्षा के लिये अधिक धन मंजूर किया जाय। पाकिस्तान का हमारे विरुद्ध प्रचार बढ़ता जा रहा है। जब श्री जिन्ना केन्द्रीय विधान परिषद में थे तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मुझे इस्लामी राज्य चाहिये। आज श्री जिन्ना की बातों का अनुसरण करते हुए ही पाकिस्तान हिन्दुओं को वहां से निकाल रहा है। हमें अपने इन भाइयों का स्वागत करना चाहिये और इन्हें समस्त आवश्यक सुविधायें देनी चाहिये।

आज पाकिस्तान कहता है कि हमारा देश धर्म-निरपेक्ष नहीं है। मैं पाकिस्तान को कहता हूं कि वह देखे कि हम किस प्रकार अपना शासन चला रहे हैं। यहां पर मैजिस्ट्रेट, न्यायाधीश और राजदूत भी मुसलमान हैं। यहां तक कि एक महान मुस्लिम—श्री मु० क० चागला ने सुरक्षा परिषद में हमारा प्रतिनिधित्व किया। हम इतने लौकिक हैं कि क्रिकिट के खेल में भी हम ने एक मुसलिम नवाब आफ पटौदी को कप्तान बनाया।

मैं पर्यटन के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। जब विदेशी हमारे देश में आते हैं तो वास्तव में विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है। जब वे पत्तन पर उतरते हैं तो उनका सामान खोला जाता है, उनके कपड़े इधर उधर फेंक दिये जाते हैं और साधारण शिष्टाचार भी नहीं बर्ता जाता। मेरा निवेदन है कि हम में शीघ्र परिवर्तन लाना चाहिये। हमें पर्यटकों को सभी सुविधाएं देनी चाहिये और उनके साथ विनम्रता से पेश आना चाहिये। इस से हमें अधिक विदेशी मुद्रा मिलेगी।

हमें अपनी कानून की किताब से "हिन्दू" और "मुस्लिम" शब्दों को हटा देना चाहिये और प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय राष्ट्रजन कहना चाहिये, इससे धर्म निरपेक्षता आदि का प्रश्न ही समाप्त हो जायेगा।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक निवेदन करूंगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय की जिन्होंने स्वतन्त्रता सग्राम में महत्वपूर्ण भाग लिया था, मूर्ति यहां अवश्य होनी चाहियें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

Shri R.S. Pandey (Guna): The budget presented by the hon. Finance Minister has some welcome features as well as some unpleasant ones. It is unfortunate that we have to fight poverty on the one hand and defend our frontiers on the other. We should speed up the production of our defence requirements and make full use of the money sanctioned for defence purposes. It is not true to say that this budget does not lead us to socialism. On an objective assessment of the budget, there is no room left for doubt that the present budget is a socialistic budget.

Some concessions have been given to investors to make our economy self-generating. The country has accepted the doctrine of mixed economy. We should not grudge some incentives that have been made available to investors. So far as foreign collaboration in Indian industries is concerned we should not object to the investment of foreign capital in India. It is invested on our terms and the charge that we have mortgaged our independence is baseless.

It is a welcome step that the Compuslory Deposit Scheme has been scrapped. But depositors should be allowed to withdraw the deposited amount at their sweet will and the completion of a period of five years should not be insisted upon.

We should divert our resources to the agricultural sector with a view to increasing agricultural production. The opposition should strive to create an atmosphere which may induce the farmer to grow more. Every facility should be made available to the farmers to induce them to produce more. Then alone we can achieve the target production fixed in the Third Five Year Plan.

The steep rises in prices, particularly since last February, have created panic among labour and low-income group classes. They are justified to ask for an increase in their salaries. Government should accord top priority to this problem.

Some effective measures should be taken to unearth unaccounted money. Lakhs of money are wasted on marriages and bribe is given for securing an import licence. All these things are a blot on our society. Government should take some action to curb these elements.

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : कांग्रेस का उद्देश्य देश में अधिकाधिक उत्पादन करना, आय का समतापूर्ण वितरण करना तथा सब वर्गों का सामान्य कल्याण करना है । हम इन उद्देश्यों को सामन्तवादी तरीकों से नहीं अपितु लोकतंत्रात्मक तरीकों से प्राप्त करना चाहते हैं । यह भी माना गया है कि अनुपातिक त्याग के सिद्धान्त के आधार पर कर लगाये जाने चाहिये । परन्तु यह देखना है कि इसमें सफलता मिलती है या नहीं । मैं व्यय कर, उपहार कर या सम्पदा शुल्क के विस्तार में नहीं जाना चाहता । सरकार अपनी कराधान नीति में समय समय पर परिवर्तन करती रही है । इससे सरकार तथा सत्ताधारी दल का सम्मान कम हुआ है । सरकार को अपनी नीतियों में स्थिरता लानी चाहिये ।

हमने कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की शपथ ली है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये शिक्षा तथा स्वास्थ्य को सब से अधिक महत्ता दी जानी चाहिये । हम निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सके हैं और नहीं दवाइयां आदि सस्ती दरों पर जनता को उपलब्ध करा सकें हैं । अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि कम से कम शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय किये गये धन पर व्यय-कर नहीं लगाया जाना चाहिये । वित्त मंत्री को इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिये ।

निगम क्षेत्र को काफी छूटें दी गई हैं परन्तु मध्यम, लघु तथा घरेलू उद्योग उन सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर सकते । छोटे एककों को ऋण देने का हमारा मुख्य उद्देश्य यह था कि बड़े उद्योगपतियों के प्रभुत्व को समाप्त किया जाये । इस नीति को ध्यान में रखते हुए हमें छोटे उद्योगों को भी निगम क्षेत्र को दी गई रियायतें उपलब्ध करानी चाहियें और इस भेदभाव को समात करना चाहिये ।

सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा शक्तियों के दुरुपयोग की गम्भीर शिकायतें की जाती हैं । इन परिस्थितियों में कर एकत्र करने अथवा लोगों के घरों की तलाशी लेने वाले अधिकारियों को अधिक शक्तियां देना उचित नहीं है । इससे यह खतरा हो सकता है कि जो लोग जनतत्र में विश्वास नहीं रखते, वे इन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं । हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हम जो भी कार्यवाही करें उससे लोकतन्त्रात्मक समाजवाद की जड़ें कमजोर न हों तथा देश में पुलिस राज कायम न होने पाये ।

वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति उनके लिये चिन्ता का विषय बन गई है । ३,००० करोड़ से भी अधिक रुपया उनसे वसूल किया जाना है । अतः स्पष्ट है कि वे राज्य अपनी आय नहीं बढ़ा पाये हैं । राज्यों तथा समूचे देश की उन्नति कृषि पर निर्भर करती है । कृषि क्षेत्र में हमारी असफलता से समस्त योजना तथा विकास कार्य अस्तव्यस्त हो जायेगा । अतः राज्यों को कृषि के लिये अधिक धन दिया जाना चाहिये ।

यह खेद का विषय है कि प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये नियत धन का पूरा प्रयोग नहीं किया गया है ।

जो रियायतें उर्वरकों के लिये दी जाती हैं वे नाशिकीटमार तथा फफूंद को नष्ट कर देने वाले पदार्थों पर भी दी जानी चाहियें ।

श्री स्वैल द्वारा आसाम पुलिस के बारे में कही गई कुछ बातों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING CERTAIN OBSERVATIONS MADE BY SHRI SWELL ABOUT ASSAM POLICE.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : एक व्यवस्था का प्रश्न है : नियमों के अन्तर्गत जिस माननीय सदस्य ने ये टिप्पणियां की हैं उसको पूर्व सूचना दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कोई शुद्धि नहीं कर रहे हैं। उनका वक्तव्य मेरे पास है।

श्री हरि विष्णु कामत : मंत्री महोदय किस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कल कुछ गम्भीर आरोप लगाये गये थे और वे अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह एक प्रश्न के बारे में कही गई बातों से संबंधित है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि संबंधित सदस्य चाहें तो वे उसे उठा सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : नियमों के अन्तर्गत ऐसा नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उस प्रश्न के बारे में नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या वह किसी प्रश्न के उत्तर या किसी भाषण से संबंधित है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह किसी प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री स्वैल: एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते थे और उसमें उन्होंने आसाम सरकार के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे। अतः गृह-कार्य मंत्री स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : यह वक्तव्य श्री स्वैल की उपस्थिति में ही दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी राय में इन गम्भीर आरोपों के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी जानी चाहिये।

यदि श्री स्वैल कुछ कहना चाहते हैं तो वे कह सकते हैं।

'श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : क्या श्री स्वैल को सूचना दी गई थी कि मंत्री महोदय इस बारे में वक्तव्य देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वैल दिल्ली में नहीं हैं। हम इन गम्भीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए उनके आने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

आप को स्मरण होगा कि श्री बागड़ी ने एक ऐसा ही वक्तव्य दिया था और कहा था कि उसमें श्री हुमायून कबिर के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये थे। अध्यक्ष महोदय ने श्री बागड़ी को स्वयं अपने वक्तव्य को ठीक करने के लिये काफी समय दिया था। उसके पश्चात् मंत्री महोदय को अपना वक्तव्य देने की अनुमति दी थी। इसमें चार या पांच दिन लग गये थे क्योंकि श्री बागडी उपस्थित नहीं थे। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सदस्यों के हितों तथा विशेषाधिकारों की रक्षा करें।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। प्रत्येक सदस्य अपने वक्तव्य के लिए जिम्मेदार है। ऐसे वक्तव्यों का खण्डन किया जाना चाहिये। श्री नन्दा।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): १८ फरवरी, १९६४ को स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सुचनाओं पर चर्चा के दौरान, शिलांग सैनिकों के बुलाये जाने तथा कर्फ्यू के संबंध में जो श्री स्वैल ने कहा था कि सीमान्त सुरक्षा सेना देश की सीमा की रक्षा करने की बजाय युवा स्थितियों का जंगली पशुओं की परह पीछा कर रहे थे।

फिर २० फरवरी, को जब आपने श्री रा० बरुआ तथा अन्य सदस्यों द्वारा लाये गये आसाम की सुरक्षा के संबंधित स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी थी, श्री स्वैल ने कहा था कि आसाम में हुई घटनायें आसाम मंत्रि-मण्डल के कुछ सदस्यों तथा आसाम सरकार के उच्चाधिकारियों द्वारा कराई गईं थीं। और चीन सरकार द्वारा आसाम मे शांति तथा व्यवस्था भंग करने के लिये लोगों को धन दिया गया था।

श्री स्वैल की इन टिप्पणियों का समाचार पत्रों मे काफी प्रचार हुआ है।

आसाम सरकार ने इन आरोपों का प्रेस द्वारा खण्डन किया है जिसमें कहा गया है कि उन्हे इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि पुलिस ने स्थानीय महिलाओं के प्रति अभद्र व्यवहार किया राज्य सरकार ने ऐसे वक्तव्यों के प्रति खेद प्रकट किया है।

जहां तक अन्य आरोपों के संबंध है, आसाम के मुख्य मंत्री ने मुझे लिखा है कि वे आरोप निराधार हैं और उन्होंने कहा कि आसाम के मंत्री तथा अधिकारी देश के प्रति वफादारी में किसी से भी पीछे नहीं हैं। मैं उनसे सहमत हूं कि कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, जो इस सभा में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकते, कोई आक्षेप लगाना उचित नहीं है।

मैंने आसाम सरकार की प्रतिक्रिया से सभा को सूचित करना उचित समझा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : क्या मंत्री का इन आरोपों की जांच किये बिना ही आसाम के मुख्य मंत्री स्पष्टीकरण से सहमति प्रकट करना उचित है। इन आरोपों की आसाम तथा बंगाल में खूब चर्चा है।

श्री कपूर सिंह : गृह कार्य मंत्री ने इस बारे में व्यक्तिगत जांच नहीं की है। यहां तक कि श्री स्वैल को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर भी नहीं दिया गया है।

श्री नन्दा : मैंने कहा है कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध, जो संसद में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकते, कोई आक्षेप लगाना उचित नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, ६ मार्च, १९६४ । १६ फाल्गुन १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lock Sabha then adjonrual till Eleven of the Clock on Friday, Marcn 6, 1964/Phalguna 16, 1885 (Saka)